खण्ड-228, अंक-8
बुधवार, 14 चैत्र, शक संवत् 1884
(4 अप्रैल, 1962 ई0)

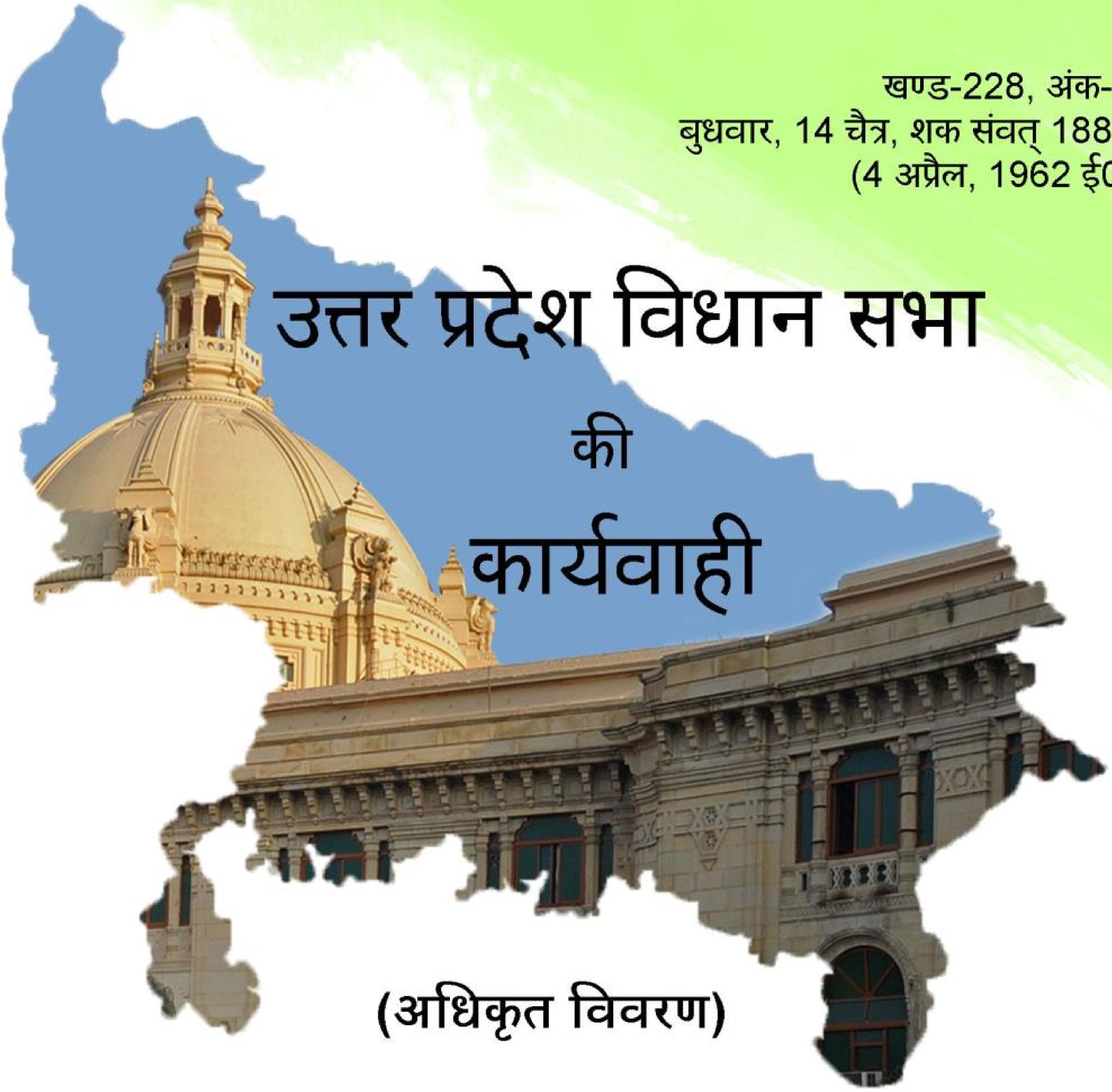

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 228 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४०१–४०५
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें	४०५
मेरठ तथा बुलन्दशहर जिलों में टिड्डी दल के आक्रमण से फसल को हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	४०५–४०८
अधिष्ठाता मंडल के शेष दो सदस्यों के नामांकन की सूचना	४०८
कार्य-मंत्रणा समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा	४०८–४०९
उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विचारोपरान्त पारित)	४०९–४५४
एपीडेमिक डिजीजेज (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, १९६२ (विचारोपरान्त पारित)	४५४–४६१

विधानसभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ४ अप्रैल, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६७

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार, श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस०जी०दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिल, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री (वाराणसी)
गयाप्रसाद, श्री (सीतापुर)
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्ता, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगन्नाथ, श्री (बलिया)
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड०ए०अहमद, श्री
जे०पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम, श्री
नत्थूराम, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री

बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री (इटावा)
बद्रीप्रसाद, श्री (फतेहपुर)
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेमीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री (आगरा)
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नू सिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती

राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शांतिचन्द, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, श्री कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्रीराम, श्री (बिजनौर)
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुक्खनलाल, श्री

सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरजन, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना आई है माननीय रामसुन्दर पांडेय जी की, उसको मैंने स्वीकार किया है। इसको मैं पढ़कर सुनाये देता हूं।

नियम अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिये उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

"आजमगढ़ जिले की विभिन्न तहसीलों के सैकड़ों ग्रामों में चेचक के भीषण प्रकोप के कारण जानें जा रही हैं। जिला अधिकारी एवं सरकार के पास बार-बार लिखने के बाद भी गांवों में दवाई और कार्यकर्त्ता नहीं पहुंच पाये हैं जिससे रोग की रोकथाम की जा सके।"

यह आया है, इसको मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास भेज दिया है।

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नोटिस मुझे अभी १०-४० पर मिला है। मैं तीन दिन का समय स्टेटमेंट देने के लिये चाहता हूं। सोमवार को मैं दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—ठीक है (कुछ ठहरकर)।

एक सूचना मैं और इस समय दे दूं। एक सूचना माननीय शिवनाथसिंह जी ने नियम ५२ के अन्तर्गत दी थी। उसके संबंध में माननीय सिंचाई मंत्री जी ने उत्तर भेजा है जिसको मैं कल सायंकाल न बतला सका कि वे इस संबंध में कल अपना वक्तव्य देंगे।

मेरठ तथा बुलन्दशहर जिलों में टिड्डी दल के आक्रमण से फसल को हुई क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब माननीय राजस्व मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

पाल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, टिड्डियों की फौज मेरठ जिले में ४ मार्च से आनी शुरू हुई और २७ मार्च तक जारी रही और छः तहसीलों में इनका हमला हुआ। हापुड़ में ४, ५, १४, २३, २५, २७ और २८ मार्च, गाजियाबाद में ११ मार्च, १३ से १६ मार्च, बागपत में ११, १२, १४ और १५ मार्च, सरधना में १२ से १४ मार्च और १८ से २० मार्च तक तथा मवाना तहसील में १४, १५, १७, १८, २० से २४ मार्च तक और मेरठ में १७, १८ को। ये जो टिड्डियां थीं मेच्योर थीं। रात को इन्होंने वास भी किया है और मुख्तलिफ जगहों पर अंडे भी दिये हैं। पहले नानो गांव में और मंडोला गांव में ११ मार्च

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

को अंडे दिये हैं जो कि गाजियाबाद में हैं। सैदपुर ऐना में २७–२८ को अंडे दिये हैं। ५४ गांवों में इसका असर हुआ है। ग्रसित रकबा है ६ हजार ९० एकड़ जमीन का। एक खुशी की बात यह है कि यह टिड्डियां सब मेच्योर थीं। इसलिए यह मेटिंग और अंडे देने में ज्यादा मशगूल रहीं बजाय फसल को नुकसान पहुंचाने के। इसलिए फसल की क्षति कम हुई है। जो एंटी मेजर्स एडाप्ट किये गये वह इस प्रकार हैं। जहरीली दवाओं का छिड़कना, मिट्टी का तेल डाल कर जलाना। गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स का सब स्टाफ मोबिलाइज करके इस काम में लगा दिया गया है। तहसील वाइज इंतजाम हो रहा है। टेक्निकल परसोनेल प्लान्ट प्रोटेक्शन सेंटर ने दिया। डिस्ट्रक्शन स्क्वाड्स बना दिये गये हैं। छोटी और बड़ी वेहिकिल्स दे दी गयी हैं ताकि समान जल्दी से पहुंच सके। हमारी दवाओं और मशीनों वगैरह की स्टाक पोजीशन बहुत संतोषजनक है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स सुपरवाइज कर रहे हैं। एटोमोलोजिस्ट, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने आकर इंस्पेक्शन किया है।

अंडे से बच्चे निकलने में १९–२० दिन लगते हैं। लेकिन इसी दरमियान में अंडे बरबाद किये जा रहे हैं काफी तादाद में। यू० पी० लोकस्ट कंट्रोल ऐक्ट भी लागू कर दिया गया है जिससे जिलाधीश को अधिकार मिल गया है कि मैन पावर को इकट्ठा करके सिचुएशन मीट करें। रिपोर्ट है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है।

बुलन्दशहर में मार्च में हमला हुआ है और चारों तहसीलों में हुआ है। खुर्जा में ३–४ मार्च को, बुलन्दशहर में ६, १४, १६, २०, २४ और २५ को, सिकन्दराबाद में १४, १५, १९, २० को, अनूपशहर में मार्च १६ से १९, २४ और २५ को। इसमें जो पहले फौज आयी वह बधूरा थी लिहाजा खाने पीने में लग गयी, उन्होंने कुछ क्षति पहुंचाई। लेकिन बाद को जो टिड्डियां आयीं वह मेच्योर थीं। वह भी अंडे देने में मशगूल रहीं। १४–१५ से अंडे देने शुरू किये सिकन्दराबाद तहसील में, २४–२५ को अनूपशहर तहसील में, और बुलन्दशहर तहसील में। यह है कि सब तहसीलों में अंडे दिये हैं, सिवा खुर्जा तहसील के। २३ मौजे बुलन्दशहर, सिकन्दराराऊ, अनूपशहर तहसीलों में अंडे देने से मुतास्सिर हुए जिनका रकबा १६,३९० एकड़ है। सीरियल क्राप को मामूली नुकसान है। लेकिन लेग्युमनस क्राप को दो आने नुकसान है। मैंगो क्राप को आठ आने और फाडर क्राप को चार आने नुकसान है। काफी तादाद में ये टिड्डियां बरबाद कर दी गई हैं। ताजी रिपोर्ट यह है कि २ हजार मन टिड्डियां मार डाली गईं और ८०० गैलन केरोसीन आयल उनके ऊपर छिड़का गया। ३४४ हंडरवेट जहरीली दवा उन पर डाली गई। हर डिपार्टमेंट के लोग इस काम में मशगूल हैं, टेक्निकल परसोनेल भी मशगूल हैं और प्लान्ट प्रोटेक्शन सेक्शन तथा गवर्नमेंट आफ इंडिया का एंटोमालोजिस्ट डिपार्टमेंट सभी इस काम में लगे हैं। प्लान्ट प्रोटेक्शन स्कीम जिलों में लागू है और ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए इन्तजाम है जिसमें कि सामान पहुंच सके। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ और बुलन्दशहर जिलों में टिड्डियों से जो नुकसान उन्होंने बताया है उसको देखते हुए, इन जिलों के किसानों के लगान, आबपाशी और तकावी के लिए कोई प्रबन्ध कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी तो नहीं कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—मेरठ और बुलन्दशहर जिलों में ओले से भी किसानों की फसल बरबाद हुई और टिड्डियों से भी बरबाद हुई, तब भी लगान, आबपाशी वगैरह या पिछले टैक्सों की वसूली में छूट क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ओले के बारे में एक बयान मैंने अलग से दिया था और परसों एक फिर देना है। उसका सवाल बिलकुल दूसरा है। इस सिलसिले में नुकसान बिलकुल नेग्लिजिबिल है इसलिए कोई छूट देने का विचार नहीं है। ओले के सम्बन्ध में जब प्रश्न आयेगा तो उसका जवाब दिया जायगा।

श्री रामायण (जिला देवरिया)---क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैच्योर टिड्डियों को अंडा देने में कितना वक्त लगता है और अंडा देने की प्रक्रिया के पूर्व और पश्चात् कितनी अवधि के बाद वह फिर से भोजन करना प्रारम्भ करती हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसका तजुर्बा अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं है। मैं जवाब नहीं दे सकता। (हंसी)

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---आपके द्वारा मैं माननीय माल मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि अंडे की गोलाई और उसका आकार क्या था ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह टिड्डियों के यदाकदा जो हमले हुआ करते हैं, इस सम्बन्ध में हमारी राज्य सरकार पंजाब या राजस्थान की सरकारों से या केन्द्रीय सरकार से बातचीत करके कोई ऐसी योजना तैयार करने के ऊपर सोच रही है, जिससे कि हमारे प्रदेश में या पंजाब या राजस्थान में जब ये प्रवेश करें उसके पहले ही कोई कार्यवाही उनको रोकने या नष्ट करने के सम्बन्ध में की जा सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह सूबा खुद ही इन्तजाम कर रहा है। दूसरे की नकल करने की कोई जरूरत मालूम नहीं होती।

श्रीपाल कुंवर (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने क्षेत्र में बचूरा ने हमला किया और कितने में हामिला का हमला हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---गिना नहीं गया।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---इस क्षति को देखते हुए कि इतनी ज्यादा क्षति हुई, फसलों को नुकसान हुआ, आम की फसल को नुकसान हुआ, क्या सरकार कोई घोषणा उनको तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने पहले ही अर्ज किया कि फसलों का नुकसान नेग्लिजिबिल है, ज्यादा नहीं है, इसलिए घोषणा करने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो फाडर का जिक्र उन्होंने किया, उसमें कौन-सी फसल को नुकसान हुआ और जो फाडर कम हुआ है उसकी जगह चारे की क्या व्यवस्था की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह नहीं है कि बिलकुल नुकसान हो गया हो। कुछ नुकसान हुआ है जैसे कि बरसीम और मोथा वगैरह को पश्चिम में बोते हैं उनको कुछ क्षति हुई है। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि सारे का सारा फाडर नष्ट हो गया है।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला बहराइच)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन टिड्डियों से मेरठ और बुलन्दशहर के समीपवर्ती कुछ और जिलों को भी हानि हुई है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मुझसे मेरठ और बुलन्दशहर का पूछा गया था। और जिलों का मैंने दरियाफ्त नहीं किया है, इसलिए उसका जवाब मैं नहीं दे सकता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या टिड्डियों के आने की सूचना और चेतावनी उनके समूह के हमले के पहले सरकार ने वहां के लोगों को दे दी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब वह आ गई तो इत्तिला सबको हो गई। उसके पहले मुझे खुद पता नहीं था तो मैं क्या इत्तिला देता ?

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---क्या माननीय मंत्री महोदय का ऐसा विचार है कि टिड्डी दल के लिये भी कोई फैमिली प्लानिंग किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---फैमिली प्लानिंग में वे यकीन नहीं करती लिहाजा अंडे मार दिये जाते हैं।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि इस अवधि के अन्दर जो हमला हुआ उसके लिये सरकार को सूचना नहीं थी कि इस अवधि के अन्दर हमला होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने इसका जवाब दे दिया।

श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अभी जो नुकसान के बारे में कहा, तो नुकसान की कोई मियाद है कि इतना नुकसान हो जाय तब उनकी सहायता की जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उसके लिये नियम बने हुये हैं। पढ़ लें तो मालूम हो जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद (जिला इटावा)---क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि वह टिड्डी दल वहीं समाप्त हो गया या आगे भी बढ़ने की उसके संबंध में रिपोर्ट है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---२ हजार मन वहीं पर समाप्त कर दिये हैं।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि नुकसान की जो उनको सूचना मिली है वह मेरठ जिले का कितना है और बुलन्दशहर में कितना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बुलन्दशहर जिले की सूचना तो मैंने बतला दी है लेकिन मेरठ की डिटेल अभी हमारे पास नहीं है।

श्री अम्बेश्वरीप्रसाद---इस बात को देखते हुये कि कृषकों को यह सूचना देना आवश्यक है कि टिड्डी दल चल चुका है, क्या माननीय मंत्री जी कोई व्यवस्था आगे से करेंगे ताकि कृषकों को पहले ही सूचना मिल जाय कि टिड्डी दल आ रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस पर विचार किया जा सकता है। इस वक्त मेरे लिये कहना संभव नहीं है।

अधिष्ठाता मंडल के शेष दो सदस्यों के नामांकन की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब मैं आपके सामने दो सूचना उपस्थित करना चाहता हूं। अधिष्ठाता मंडल के लिये दो स्थान रिक्त थे। उनकी पूर्ति के लिये श्री चन्द्रजीत यादव और श्री काशीनाथ मिश्र को मैं मनोनीत करता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष---कार्य-मंत्रणा समिति के संबंध में १३ सदस्य मेरे द्वारा मनोनीत होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उसके पदेन सदस्य होते हैं। १३ माननीय सदस्य, जिनको मैं मनोनीत कर रहा हूं, वह इस प्रकार से हैं :

१---श्री बनारसीदास
२---श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी

३—श्री रामायण
४—श्री नरसिंहनारायण
५—श्री भीखालाल
६—श्री नवरंगसिंह
७—श्री नेकराम शर्मा
८—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई
९—श्री शांतिप्रपन्न शर्मा
१०—श्री नवलकिशोर
११—श्री वीरसेन
१२—श्रीमती सुशीला रोहतगी
१३—श्री नरेंद्रसिंह विष्ट

उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—अब माननीय चन्द्रसिंह अपना भाषण जारी रखेंगे।

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भाषण माननीय सदस्य ने इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये किया है उससे मुझे उनके विचारों और भावनाओं का परिचय मिला। और मैं उनके भाषण को सुन कर इस नतीजे पर पहुंचा कि उनके विचार अभी निश्चित और स्थिर नहीं हैं। जो तर्क उन्होंने अपने संशोधन के सपोर्ट में दिये हैं वे एक दूसरे को खुद ब खुद काटते हैं और एक दूसरे को अपंग करते हैं। उन्होंने चिन्ता प्रकट की कि टाउन एरिया और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वालों की वह जमीनें जो खरीद फरोख्त की जायंगी वह केवल गरीबों की होंगी और यह टैक्स गरीबों पर ही पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जब उनके दिमाग में विचार और भावना यह है तब तो उनको डट कर इस बिल का मुकाबला करना चाहिये और कोशिश करनी चाहिये सदन के माननीय सदस्यों को कंविंस करने की कि यह बिल जनता के हित में नहीं है और इसको लौटाया जाना चाहिये। लेकिन इस के साथ-साथ वह आगे चल कर दलील पेश करते हैं कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर देने से प्रवर समिति के सदस्यों को एक मौका होगा और दूसरे रिसोर्सेस को ढूंढने का जिनसे कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को आमदनी हो सकती है और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की तरक्की की जा सकती है। मैं समझता हूं कि जब यह बिल माननीय सदस्यों को बताता है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एरिया के नागरिकों के हितों के संपादन के लिये इस बिल के द्वारा टैक्स लगाने का विधान किया जा रहा है और उसके द्वारा हम उनके कार्यों का सम्पादन करना चाहते हैं तो यह निश्चित हो जाता है कि इस बिल का मकसद किसी को तंग करने का नहीं है, किसी को परेशान करने का नहीं है, तबाह करने का नहीं है। परन्तु इस बिल का मकसद यह है कि यह बिल उन लोगों के लिये सहूलियत पैदा करने के लिये यह टैक्स लगाना चाहता है। फिर जहां यह तर्क दिया जाता है कि इस बिल से गरीबों को दबाया जायगा, मैं समझता हूं कि वहां उनका यह तर्क साउन्ड नहीं है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जब हम प्रवर समिति की बात करते हैं तो हमें इस सदन में यह स्पष्ट रूपरेखा रखनी चाहिये कि जिन बातों की खोज हम टैक्स लगाने के लिये करना चाहते हैं उनकी गुंजाइश हमें इस बिल के पैरा वाइज डिस्कशन में नहीं मिल सकती है, उसके लिये पूरा मौका हमको नहीं मिल सकता है और समस्या कुछ जटिल है परन्तु जब हम अपने दिमाग के दरवाजे को बन्द कर देते हैं और प्रकाश की रश्मियों को दरवाजे के बाहर रखना चाहते हैं, और किसी बात को समझने की कोशिश नहीं करते, तो कोई चीज फिर समझ में कैसे आयेगी? रंगीन चश्मे से, जब हम किसी चीज को देखेंगे तो किसी चीज

*३ अप्रैल, १९६२ की कार्यवाही से।

[श्री चन्द्रसिंह]

की तस्वीर भी हमें उलटी नजर आयेगी। आखिर हमें रिसोर्सेज को ढूंढ़ना है और विचारों को समझने की जरूरत है। अतः मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय। अगर किसी अमेन्डमेंट की जरूरत है तो वह लाया जा सकता है और उस पर विचार, जब पैरा वाइज डिस्कशन होगा, हो सकता है। उस समय एक मौका होगा और आप कोई संशोधन ला सकते हैं। इन शब्दों के साथ, मैं इसको प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इस समय विचारने लायक है कि यह बिल गरीबों को परेशान करेगा या अमीरों को परेशान करेगा। जिसके पास कुछ हैसियत है उस को परेशान करेगा या उस को जो गरीब है। कल हमारी तरफ से यह आवाज आई थी कि हो सकता है कि यह नुक्सान गरीबों के ही पल्ले पड़े। मेरा यह निश्चित मत है कि इस का भार गरीबों पर ही पड़ेगा। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। अगर यह कर खरीदने वाले पर लगाया जायेगा तो वह इतना भर लेगा जिससे वह खरीदेगा और अगर बेचने वाले पर लगेगा और वह गरीब है तो वह भी उसी पर पड़ेगा। हर हालत में यह चीज उसी पर आती है। जो दबा हुआ है उसी को और दबाया जा रहा है। जो कमजोर है उसी पर सारा भार डाला जा रहा है। हमारे देहात में एक कहावत है—"बरसे चाहे जहां, चुई ओरैनिये या मां बट्टा नाहीं है"। हम यह समझते हैं कि हमारे पक्ष के लोग भी और सरकारी पक्ष के लोग भी यह अच्छी तरह से समझते हैं कि अब इतने टैक्स हो चुके हैं जिनको कि अब सहन करना हर आदमी के लिये नाकाबिले बरदाश्त हो गया है और इतना वसूल करने के बाद भी हम किसी टाउन एरिया को और सहूलियत देते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा? टैक्सों का भार आज बरदाश्त करने के बाहर होता जा रहा है और जनता बहुत परेशान है। मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि इसको प्रवर समिति में भेज कर और मौका देना चाहिए ताकि इस पर ठंडे दिल से सोचा जाय।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो विरोधी दल ने अमेंडमेंट पेश किया है उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज उन्होंने यह जो अमेंडमेंट दिया है कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती, क्योंकि बिल में जो अमेंडमेंट रखा गया है उसमें केवल यह प्रस्ताव किया गया है कि एक रुपये के बजाय दो रुपये की फीस लगा दी जाय। यह टैक्स एक कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ाया जा रहा है इसलिए इसके विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं समझता हूं कि यह जो वाद-विवाद उठ खड़ा हुआ है इससे जनता के पैसे और समय का दुरुपयोग किया जा रहा है। सदन को चाहिए कि एक रुपया के स्थान पर दो रुपया स्वीकार करे। इसलिए मैं वित्त उपमंत्री जी के अमेंडमेंट बिल का समर्थन करता हूं और विरोधी दल के अमेंडमेंट का विरोध करता हूं।

श्री रामायण (जिला देवरिया)—प्वाइंट आफ आर्डर, यह वित्त मंत्री का कौन-सा अमेंडमेंट है, स्वायत्त शासन मंत्री का है?

श्री अध्यक्ष—यह जो आपके सामने है यह माननीय जयराम वर्मा जी ने प्रस्तुत किया था और वही इसके मिनिस्टर-इन्चार्ज हैं।

श्री रामायण—मान्यवर, जिस पर पहले बहस चल रही थी उसी पर चलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—उसी पर चल रही है, आप को भ्रम है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)—श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं श्री टम्बेश्वरीप्रसाद जी के संशोधन का समर्थन कर रहा हूं. . . . .

श्री अध्यक्ष—यह संशोधन माननीय कल्पनाथसिंह जी का है। अच्छा, बोलिये।

*__श्री विश्वनाथप्रसाद__—मैंने गलती की, संशोधन कल्पनाथ जी का ही है। स्थानीय जांच समिति जो १९४९ में स्थापित की गयी थी उसने सिफारिश की थी कि स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने और अपने विकास कार्य में सफलतापूर्वक चलने के योग्य बनाने के लिए सम्पत्ति का हस्तांतरण, मनोरंजन कर, बिक्री-कर तथा राजस्व के सूत्र उन्हें उपलब्ध कराये जायं। आज उस पर ध्यान न देकर महापालिका, पालिका और दूसरे स्थानीय निकायों पर यह भार लादा जा रहा है कि वह एक रुपये से दो रुपये कर दें जब कि बारबार पालिका और महापालिकाओं से प्रस्तावों द्वारा यह मांग की गई है कि हमको बिक्री-कर तथा मनोरंजन कर में कुछ हिस्सा दिया जाय। पर आज तक सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और उसका कोई जवाब नहीं दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि इस आमदनी से किसी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का क्या सुधार किया जा सकता है? मान लीजिये कहीं दस लाख रुपये के मकानात बिके, तो उससे जो दस हजार रुपये की आमदनी कर द्वारा होगी उससे क्या सुधार किये जा सकेंगे? मैंने बनारस महापालिका की ओर से भी यह प्रस्ताव भेजवाया था कि सरकार हमको इन मदों की आमदनी में से कुछ प्रतिशत दे जिससे शहर का सुधार किया जा सके, मगर सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि उनके ऊपर इतने कर्जे लाद दिये गये हैं कि इन करों के बढ़ाने से कोई लाभ नहीं हो सकता और न उनका कोई सुधार ही किया जा सकता है बल्कि जनता में एक खलबली पैदा की जा सकती है कि हमारे ऊपर कर ही कर बढ़ाये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें जोकि उचित संशोधनों के सुझाव दे और सरकार से हम कह सकें कि इन इन मदों में हमें हिस्सा दिया जाय और एक अच्छी रकम पाकर शहरों की तरक्की की जा सके।

*__श्री जे० पी० मिश्र__ (जिला हरदोई)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में और प्रवर समिति में भेजने के संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक में केवल प्रश्न यह है कि एक प्रतिशत की जगह पर दो प्रतिशत कर दिया जाय और उससे रकम में जो इजाफा हो उसका इस्तेमाल कहां किया जाय, वह इस विधेयक में स्पष्ट है। अब प्रश्न यह है कि विरोधी दल के जो सम्मानित सदस्य इस बहस में हिस्सा ले रहे हैं उन्होंने अपनी बातों को सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया। बड़ी परेशानी यह है कि बनारस में मणिकर्णिका घाट पर किसान नजर आता है, कानपुर की माल रोड पर किसान नजर आता है गर्ज कि उत्तर प्रदेश की गली-गली में किसान नजर आता है और किसान के हितों की दुहाई इस सदन के सामने हर विधेयक में आ जाती है। मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कानपुर शहर के विकास के लिये इस विधेयक के द्वारा आमदनी हो या बनारस शहर के विकास के लिये हो, तो उसमें किसान कहां से आ जाता है और अगर वह आमदनी बनारस शहर के विकास के लिये, लखनऊ शहर के विकास के लिये या कानपुर शहर के विकास के लिये इस्तेमाल की जाय, नाली की सफ़ाई में, सड़कों की दुरुस्ती में या दूसरे विकास के कामों में तो इसमें विरोधी दल के सम्मानित सदस्यों को क्या आपत्ति है?

जहां तक सम्पत्ति बेचने की बात है, आज हालत यह है कि अमीनाबाद में पगड़ी से बेचने का रिवाज है, लम्बी रकम मांगी जाती है, इसलिये यदि १० हजार के ऊपर दो प्रतिशत मांग लिया जाता है और उसे शहर के विकास में खर्च किया जाता है तो किस प्रकार से किसानों की परेशानी बढ़ जाती है? मैं विरोधी दल के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे कृपया हर जगह किसानों के नाम का प्रयोग न किया करें। किसानों की खैर-ख्वाही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जे० पी० मिश्र]

आप के नाम ही नहीं लिखी है, हम में भी जितने प्रतिनिधि आये हैं वह किसानों के ही चुने हुए नुमाइन्दे हैं। आज इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव लाकर किसानों के नाम पर इस सदन में सस्ती लीडरशिप और चीप पापुलेरिटी हासिल करना चाहते हैं प्रेस गैलरी के द्वारा.....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि विरोधी दल इस तरह के प्रस्ताव लाकर प्रेस गैलरी के द्वारा चीप पापुलेरिटी हासिल करना चाहता है, यह वह हमारी नीयत पर शक कर रहे हैं, मैं इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—इस भाषा में नीयत का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री जे० पी० मिश्र—माननीय सदस्य को विरोधी दलों की नीयत के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहिये क्योंकि जिस तरह से वे चुन कर आये हैं उसी प्रकार से हम लोग भी चुन कर आये हैं। लेकिन आप के और हमारे काम करने में फर्क है। आप केवल प्रवर समिति का नाम ले कर नुक्ताचीनी कर के सदन का समय जाया करते हैं और हम ठोस कदम उठाना चाहते हैं। इस बिल में है क्या? एक प्रतिशत तो टैक्स पहले से ही लगा हुआ था, अब केवल १ प्रतिशत और बढ़ा कर दो प्रतिशत किया जा रहा है। यह टैक्स शहर और टाउन्स में लगाया जायगा, इसमें किसानों का प्रश्न कहां आता है? शहर में किसानों का सवाल कैसे उठता है? अब यह आमदनी किस लिए बढ़ाई जा रही है? टाउन्स के विकास के लिये, तन्दुरुस्ती, रोड, सफ़ाई आदि के कामों में यह रुपया खर्च होगा। सरकार की जो महान पवित्र नीयत है उसको समझने में आपको दिक्कत है। फिर शहरों की आमदनी शहरों पर और देहातों की देहात पर खर्च होगी, यह बात क्यों भुला दी जाती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये सम्मानित विरोधीदल के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के काम को चलने दीजिये। प्रवर समिति के नाम पर देर करने से कोई फ़ायदा नहीं है और इस सदन के समय को बेकार बरबाद करने से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। यह एक छोटा-सा विधेयक है और छोटी-सी तरमीम है। मान लीजिये आप ने इस विधेयक का विरोध किया और यह विधेयक खत्म हो गया तो कानपुर जैसे शहर में, जहां बहुत घनी आबादी है, शहर में स्लम क्लीयरेंस आदि के सवाल रखे रह जायेंगे। अगर शहर का विकास नहीं होता तो राज्य किस प्रकार से गंदगी आदि को हटाने की स्कीम्स को कार्यान्वित कर सकता है। ऐसी हालत में, अगर वहां कोई एपीडेमिक फैल गया तो हजारों इंसानों की जानें चली जायंगी, उस वक्त आप को अफसोस होगा कि हमने ऐसे अच्छे बिल का विरोध किया था।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विषयान्तर कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये।

श्री जे० पी० मिश्र—मुझे अपनी बात कहने दीजिये। आप के समय में, मैं बराबर बठा रहा। अतः मैं इस विधेयक के समर्थन में और प्रवर समिति के संशोधन के विरोध में मैं अपनी राय आप के सामने प्रस्तुत करता हूं।

***श्री राधेश्याम** (जिला मथुरा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सम्मानित सदस्यगण.....

श्री अध्यक्ष—आप मुझे ही सम्बोधित करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राधेश्याम—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो सरकारी बेंचों की तरफ से यह बात कही गयी कि प्रवर समिति के प्रस्ताव को लाकर सदन का समय नष्ट किया जाता है, वह बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर ऐसी ही बात है तब तो आप ऐसा कानून बना लेते कि उस पर वैसे ही राय लेकर उसको पास करा लेते। उसमें सदन का समय बिलकुल भी नष्ट न होता। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो विधेयक के पास करने के तरीके हैं उनको हमें अवश्य ही पूरा करना होगा।

यह सरकार विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को तो मानती है और मंत्रियों को बढ़ाने में उसन विकेन्द्रीयकरण के सिद्धान्त को माना भी है, फिर टैक्स के लगाने में, वह विकेन्द्रीयकरण के सिद्धान्त को क्यों नहीं मानती? सोशलिस्ट पार्टी की तो यह नीति है कि आपकी जो आमदनी है उसमें से कुछ हिस्सा आप स्थानीय निकायों को दे दें तो उनका और आपका काम बहुत बढ़िया तरीके से चल सकता है। गाजर और मूली बेचने वालों पर टैक्स लगाने से कुछ हल होने वाला नहीं है, केवल हल्ला ही ज्यादा मचेगा।

श्री अध्यक्ष—इससे गाजर मूली वालों पर टैक्स लगने का सवाल नहीं है।

श्री राधेश्याम—उसमें बिक्री-कर है, उस पर लगेगा। जब सरकार विकेन्द्रीयकरण की बात करती है तो उसे टैक्स के विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को अपनाना चाहिये और सरकार को चाहिये कि वहां से जितनी आमदनी उसे होती है उसका एक चौथाई भाग इन स्थानीय निकायों को दे जिससे वे बहुत बढ़िया तरीके से अपने कार्य का संचालन कर सकें और अपनी तरक्की कर सकें। इन टटपूंजिये टैक्सों से सरकार नागरिकों का कोई भला नहीं कर सकती है।

***श्री कृष्णानन्द राय** (जिला गाजीपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के आदरणीय सदस्य श्री कल्पनाथसिंह ने जो इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है, उसका मैं विरोध करता हूं। जहां-जहां ये टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कायम हैं वहां पर इस समय विकास के कार्य बड़ी तेजी से चल रहे हैं। स्लम क्लियरेंस व सड़कों को चौड़ा करने की योजना लागू की जा रही है। पिछले ८–१० साल से जितने विकास कार्य हुए हैं, उनके लिये रुपये का स्रोत केवल सरकारी अनुदान ही रहे हैं। लोकल बाडीज फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हुए लगभग ७ साल हो गये। सरकार को बहुत पहले चाहिये था कि उसमें जो संकेत था और आगे पूंजी बढ़ाने के जो तरीके बताये गये थे उनको वह लागू कर दे, लेकिन खेद की बात है कि कुछ नागरिकों की स्थिति को देख कर या जो कुछ भी कारण हो, सरकार ने वैसा कदम पहले नहीं उठाया। तो आज तो विरोधी दल के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिये था कि अब एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है, जिससे इन स्थानीय निकायों की आर्थिक पूंजी कुछ बढ़े।

एक चीज मैं और भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स बड़े नगरों में ही कायम हैं और सरकार उनके विकास कार्य के लिये काफी अनुदान देती है, जिसका नतीजा यह होता है कि वे छोटे-छोटे नगर जहां टाउन एरियाज या म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनके विकास कार्य के लिये सरकार अधिक अनुदान नहीं दे पा रही है और इस तरह से छोटे नगरों के कास्ट पर ही, इन बड़े नगरों का विकास हो रहा है जो कि श्रेयस्कर नहीं है।

यह प्रस्ताव जिन आदरणीय सदस्य ने रखा उन्होंने बड़े भावावेश में कहा कि फुटपाथ पर सोने वाले और रिक्शा चलाने वालों पर भी इस टैक्स का प्रभाव पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि फुट पाथ पर सोने वाले तथा रिक्शा चलाने वालों के पास कौन-सी अचल सम्पत्ति वहां पर रखी हुई है जिसके हस्तान्तरण करने पर इस कर का उनके ऊपर असर पड़ेगा? अभी तक टाउन एरियाज और स्थानीय निकायें सरकमस्टेंसेज एंड प्रापर्टी टैक्स लिया करती थीं जिससे निकायों की आमदनी हो जाया करती थी लेकिन आदरणीय हाईकोर्ट ने अभी हाल में एक नजीर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

दी है कि सरकमस्टेंसेज ऐंड प्रापर्टी टैक्स अवैधानिक है और केवल केन्द्रीय सरकार उसे लगा सकती है। तो ऐसी हालत में अब तक स्टाम्प टैक्स के माध्यम से जो स्थानीय निकायों की आमदनी का एक साधन था वह भी समाप्त हो गया। ऐसी हालत में यह आवश्यक है कि इसके लिये कोई दूसरा रास्ता सोचा जाय। सरकार को मैं इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि सम्पत्ति हस्तान्तरण के ऊपर टैक्स का एक रास्ता उसने निकाला जिससे कुछ आमदनी बढ़ जायगी। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव के प्रवर समिति में भेजे जाने का विरोध करता हूं।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत है उसको प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। यहां माननीय सदस्यगण जो विवाद कर रहे हैं, उनमें से कुछ ने तो यह कहा कि किसानों से इसका कोई ताल्लुक या सम्बन्ध ही नहीं है। मेरा जहां तक खयाल है, जो माननीय सदस्य यह कहते हैं कि किसानों से इस विधेयक का कोई ताल्लुक या संबंध नहीं है, उन्होंने इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को नहीं पढ़ा है, इसके उद्देश्य में साफ दिया हुआ है कि भूमियों और भवनों के विक्रय से जो आय प्राप्त होती है उस पर यह कर लगाया जाय। भूमि से मतलब है कि जमीन किस किस्म की है। जमीन का मालिक हमेशा किसान होता है.....

श्री अध्यक्ष---टाउन इम्प्रूवमेंट टैक्स कहां अप्लाई होता है यह आप जान लीजिये।

श्री कमलासिंह यादव---यह म्युनिसिपैलिटी या टाउन एरियाज में लगता है लेकिन यदि वहां भी कोई ऐसी जमीनें हैं जो खेतों के रूप में आज भी पड़ी है और बहुत सी जमीनों पर मकानात भी बने हुये हैं तो ऐसी सूरत में जब भूमि का ट्रान्सफर होता है तो उसका संबंध किसान से आ जाता है। वह किसान जिसको हम कहते हैं कि उनकी भूमि नगर या टाउन एरिया में है। वह देहात के किसान भी हो सकते हैं, वह छोटे या बड़े सब तरह के हो सकते हैं। किसान से भी इसका सम्बन्ध है और भूमि और भवनों का जहां तक सम्बन्ध है यह माना जा सकता है कि टाउन एरिया या म्युनिसिपैलिटीज से ही वह सम्बन्ध रखेगा। इसमें दो तरह की चीजें हैं जिनसे निकायों की आय हो सकती है। पहले तो सम्पत्ति के हस्तान्तरण से, तो जहां तक ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी का सवाल है उसमें हर आदमी यह मानता है कि जब किसी के पास पैसा होता है तभी वह खरीदारी की इच्छा जाहिर करता है। जहां तक भवन के ट्रान्सफर की बात है और जो उस हालत में १ प्रतिशत का कर लगता है वह अनुचित नहीं है लेकिन जहां पर लोग अपनी जमीन को भोगबन्धक या मारगेज करते हैं उन पर वह नहीं लगना चाहिये। इसमें दिया हुआ है कि "अथवा भोगबन्ध की दशा में जो आय हो" उस पर भी लगेगा। जो इंस्ट्रूमेंट ट्रान्सफर या मारगेज का होगा उसके वेल्यूएशन पर यह टैक्स लगेगा। इसके सम्बन्ध में, मैं सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि कोई भी आदमी है जिसके पास भवन या भूमि है वह खुशी से उसे बेचने या रेहन रखने के लिये तैयार न होगा। जब उसको रुपए की जरूरत होगी तभी वह उसे मजबूरन रुपए की गरज से अलग करना चाहेगा। जब वह बिलकुल अलग करना चाहेगा तब तो वह उसको ट्रान्सफर कर देगा लेकिन यदि वह उसको मारगेज करेगा तब वह भोग-बन्धकी की स्थिति आयेगी। लेकिन ऐसे मारगेज के माने यह हैं कि वह विपत्ति की दशा में ही, रुपए की सख्त जरूरत की वजह से ही वह भोगबन्धकी करेगा और किसी तरह अपना काम चलायेगा। ट्रान्सफर वाले लोगों की बात तो ठीक है, उसको खरीदने के लिये वही तैयार होंगे जिन की आय अच्छी होगी या खरीदने लायक जिनकी हैसियत होती है लेकिन जो लोग मारगेज रखते हैं वह तो एक तरह से अपनी चीज पर कर्जा ले रहे हैं और कर्ज लेने वालों पर उनकी मुसीबत के वक्त कर लगाना उचित नहीं है। जो लोग किसानों के साथ और निकायों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों के साथ हमदर्दी रखते हैं उनके हक में यह उचित न होगा कि वह ऐसा करें। क्योंकि वह तो कर्ज लेने के लिये मजबूर हैं और उनकी मुसीबत में कर लगाना उचित नहीं है और जो अब तक १ प्रतिशत था जिसको सरकार २ प्रतिशत करने जा रही है वह उचित नहीं है। इसलिए हमें डिस्टिंगुइश करना जरूरी है ट्रांसफर आफ लैन्ड में और मारगेज में। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उचित नहीं होगा, १ परसेंट से २ परसेंट दोनों में कर लें। अतः इसको डिस्टिंगुइश करने के लिये इस विधेयक का प्रवर समिति में जाना जरूरी है ताकि वहां सोचा जा सके कि जो जमीन मारगेज की जाती है उस पर किसी तरह का टैक्स लगना चाहिये या उस पर १ परसेंट से २ परसेंट बढ़ाना उचित है कि नहीं। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, सदन में प्रस्तुत विधेयक पर काफी बातें कही जा चुकी हैं। मैं केवल यह बात कहना चाहता हूं कि विरोधियों की एक सबसे बड़ी दलील यह है कि प्रवर समिति में इसको भेजा जाय। आश्चर्य की बात यह है कि एक समिति ने ही, जो कि टैक्स लगाने के लिये बनायी गई थी, एक रिपोर्ट दी और उस पर अमल करने के लिये आज सरकार ने एक विधेयक रखा। उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जब सरकार टैक्स लगाना चाहती है, अर्थात् १ परसेंट से २ परसेंट करना चाहती है तो उसके विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता। जब स्वयं विरोधी दल के लोग अनुभव करते हैं कि हमको इस विधेयक को ऐसी समिति में भेजना चाहिए ताकि वहां उसमें कुछ सुधार हो जाय और विचार हो सके। वहां उन्हें यह भी सोचना चाहिये कि एक कमेटी ने जो सिफारिश की थी उसी को मान करके सरकार उसे पूरा कर रही है। अतः इसकी मुखालिफत करना अच्छा नहीं मालूम होता।

यह कहा गया कि अगर किसी तरह से बड़े-बड़े शहरों में रिक्शा वाले या फुट पाथ पर सोने वाले ने कहीं अपनी झोपड़ी डाल ली तो उन्हें इससे कितनी तकलीफ होगी। मैं समझता हूं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जमीन खरीद लेता है तो उसके साथ भी वही नियम लागू होगा जो एक अमीर पर होगा। नियम रईस और गरीब के लिये एक ही बनते हैं, उसमें भेद नहीं किया जा सकता। अगर कोई रईस इनके नियमों के मुताबिक टैक्स देने का हकदार हो जाता है तो एक गरीब भी जो जमीन खरीदता या बेचता है तो वह भी टैक्स देगा।

इसके अलावा अगर किसी तरह से निकायों की आमदनी बढ़ेगी तो क्या उससे केवल रईस का ही फायदा होगा ? नहीं। स्लम एरियाज में उसी पैसे से सड़कें बनेंगी, सफाई के अन्य काम किये जायेंगे। निकायों का फर्ज है, जहां ज्यादा आवश्यकता हो वहीं ज्यादा खर्च करे और जहां कम आवश्यकता हो, वहां कम खर्च करे। मैं समझता हूं इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता उन्हीं इलाकों में ज्यादा है जहां गरीब ज्यादा रहते हैं। [अगर निकायों की आमदनी बढ़ेगी तो उससे गरीबों का ज्यादा लाभ होगा और उसके बाद अन्य शहरों के रहने वालों का होगा।

एक बात और है। हर बात पर गरीब, किसान और मजदूर की चर्चा आ जाती है। एक तरफ तो यह कोशिश की जाती है कि खर्चे बढ़ाये जायं और तरह-तरह के इम्प्रूवमेंट भी हों तथा अन्य बातें भी हों। लेकिन जब सरकार किसी तरह से आमदनी बढ़ाने की सोचती है तो उसकी मुखालिफत की जाती है। मेरी समझ में नहीं आता ऐसा कौन-सा ढंग है जिससे खर्चे तो बढ़ जायं पर उसके साथ-साथ आमदनी न बढ़े। इसलिये मैं चाहूंगा, विरोधी लोग सोचें कि किस तरह से हमें वह ढंग निकालना चाहिये जिससे आमदनी भी बढ़े, उसके साथ-साथ खर्चा भी बढ़े। एक बात और भी है और वह यह कि अगर एक अच्छा काम होने से कुछ थोड़ा-सा खर्चा किसी गरीब मजदूर पर या गरीब किसान पर पड़ भी जाय तो यह भी सोचना चाहिये कि जितना खर्चा उस पर पड़ जायगा उस हिसाब से उसे लाभ भी होगा और जब लाभ उसे होगा तो उसे खर्च करने में किसी प्रकार की शिकायत नहीं होगी।

एक बात यह कही गयी कि ४९ में एक कमेटी बनी थी, आज उस कार्यान्वित किया जा रहा है। मैं यह समझता हूं कि अगर एक भला काम देर से हो रहा है तो हानि क्या है और

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

अधिक देर उनमें की जाय तो इससे क्या लाभ होगा ? जो संशोधन विधेयक हमारे सामने आता है उसका विरोध करने का एक ही ढंग है कि उसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । इस तरह से जो भी रिजोल्यूशन, जो भी प्रस्ताव या विधेयक यहां हाउस में आवें वे सब प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिये जायेंगे, तो इसका अर्थ यह होगा कि उनमें समय दुगुना लगा करेगा । फिर यह क्या आवश्यक है कि प्रवर समिति जिस चीज को हमारे सामने भेज दे उसको ज्यों की त्यों हम मान लें । फिर भी यह आवश्यक हो सकता है कि हम उस पर विचार करें और कुछ बातें रखें और फिर कोई सदस्य यह कह सकता है कि अभी कुछ कमी रह गयी है और इसमें कुछ और दिन बढ़ाये जायं । परिणाम यह होगा कि कोई भी संशोधन या विधेयक कभी भी पास नहीं हो सकेगा ।

अतएव जो विरोधी दल के माननीय सदस्य हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने प्रवर समिति में भेजने का जो संशोधन रखा है उसे वापस ले लें और यह समझें कि यह एक ऐसा निर्दोष और अच्छा काम हो रहा है जिससे गरीब और अमीर दोनों का भला होगा । यह एक ऐसी चीज हो रही है जिसमें, मैं समझता हूं कि विशेष रूप से शहर में रहने वाले जो गरीब मजदूर हैं, जो रिक्शे वाले हैं या और दूसरे गरीब आदमी हैं उन्हें ज्यादा लाभ होगा और आमदनी उनसे ज्यादा नहीं होगी, आमदनी ज्यादा पैसे वालों से ही होगी । हम लोगों को उन बातों को अच्छा समझना चाहिये जिनमें आमदनी पैसे वालों से हो और भला गरीबों का हो या ऐसे इलाकों का हो जहां सुधार कम हुआ हो । इससे अच्छा सुधार का तरीका कोई दूसरा नहीं हो सकता इस लिये जो संशोधन प्रवर समिति के लिये रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं और जो विधेयक आपके सामने उपस्थित है उसका मैं समर्थन करता हूं । विरोधी पक्ष से मैं यह चाहता हूं कि अपने प्रवर समिति के संशोधन को वापस ले कर सर्वसम्मति से इस विधेयक को वह पास करें ।

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं आदरणीय सदन के सामने रखना चाहता हूं । मैं सदन का ध्यान नियम २९१ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें असंगति या पुनरावृत्ति के संबंध में निषेध-सा है । मेरा निवेदन माननीय सदस्यगण से यह है कि अगर कोई नई बात कहना चाहते हों, जिसका उल्लेख सदन में न हुआ हो, तो वह कहें अन्यथा उसी बात को दुबारा, तिबारा कहने से कोई विशेष लाभ कदाचित् नहीं होगा ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—श्रीमन्, जो विरोधी पक्ष की तरफ से संशोधन रखा गया है उस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । हमारे सत्तारूढ़ दल की तरफ से एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि यहां पर विरोधी पक्ष के लोग बार-बार बोलते हैं, उनको बार-बार मौका दिया जाता है । सबसे पहले उनको ध्यान रखना चाहिये कि यह हमारा सौभाग्य है कि जनता ने इसलिये हमको भेजा है कि आपके द्वारा हम अपने विचारों को सदन में रखें और जनता की तकलीफों को आपके सामने रखें । हम लोग यहां बोलने के लिये ही आये हैं, खामोश रहने के लिये नहीं आये हैं ।

जहां तक टैक्सेज का सवाल है, सभी को ज्ञात है कि आज भी जनता किस प्रकार टैक्सेज से छुटकारा पाने के लिये बेचैन है और तड़पती है । इसमें कोई शक की बात नहीं कि यहां पर मजदूर और किसानों के नाम पर कहा जाता है कि विपक्षी दल उन चीजों को नहीं समझते । लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि कानपुर और बनारस जैसे शहरों में भी विदेशों से आने वालों को जो देश का भ्रमण करने के लिये आते हैं, काश फुट पाथ पर सोने वाले और देहातों में गरीब, किसानों की झोपड़ियों को दिखा दिया जाय और इस सदन के माननीय सदस्य अगर अपने हृदय पर हाथ रख कर देखेंगे तो शायद टैक्स लगाने के पक्ष में कोई भी माननीय सदस्य यहां पर हां नहीं करेंगे । लेकिन यह दुर्भाग्य या सौभाग्य समझिये कि जो लोग विदेशों से आते हैं उन्हें गरीब और फुट पाथ पर सोने वालों से दूर कर दिया जाता है और ताज दिखा दिया जाता है.....

श्री अध्यक्ष---टैक्स और ड्यूटी, इन दोनों में कोई अन्तर है ?

श्री लखपतराम शर्मा---अन्तर है, मैं बता रहा हूं । जिस प्रकार बाहर से आने वालों को ताज दिखा दिया जाता है तो वे यह सोचते हैं कि हिन्दुस्तान में रहने वाले कितने खुशनसीब हैं कि मरने के बाद भी करोड़ों रुपये की इमारत में रखे जाते हैं । वे हिन्दुस्तान की सही तस्वीर से अनभिज्ञ रह जाते हैं । यह सही है कि अगर कोई भी टैक्स लगाया जाता है तो उसका असर गरीबों पर पड़ता है । हर शहर के अन्दर यह मिसाल है कि जब कोई इन्सान अपनी चीज को बेंचता है तो यह तय है कि उसको रुपये की जरूरत थी, उसकी आर्थिक दशा खराब थी । लिहाजा जिसके पास पैसा ज्यादा होता है वह गरीब की चीज को खरीदता है । यह बदनसीबी की बात है कि अभी ३,४ महीने हुये माननीय सदस्यों ने भी सुना होगा कि गाय, बैल और बकरी के ऊपर इतना टैक्स लगाया गया कि २॥ रुपये की जगह साढ़े ५ रुपये और करीब ३ रुपये की जगह करीब साढ़े ६ रुपये कर दिया गया । अगर आप देखें तो इंसान टैक्सों के बोझ से आज इतना दब चुका है कि अब वह जिन्दा नहीं रह सकता, लेकिन यहां कहा जाता है कि इसका असर सिर्फ बड़े आदमियों पर पड़ेगा । बेचने वाला जरूरतमन्द होता है यह तो साफ जाहिर है । जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था, बिना टैक्स लगाये हुये भी काम चल सकता है और उसके लिये मनोरंजन कर बढ़ाने के लिये सरकार को लिखा था लेकिन सरकार ने उधर कोई ध्यान नहीं दिया । और भी जरिये टैक्स लगाने के हैं ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि ये लोग तो सिर्फ सदन का समय बरबाद करते हैं । श्रीमन्, मैं विश्वास दिलाता हूं कि वर्तमान चुनाव में चुनकर हम लोग यहां आये हैं । अगर यह कह कर आते कि टैक्स का समर्थन करेंगे तो आज इस तरह के सदस्य जो हमारी आलोचना करते हैं वे इस सदन में शायद न होते, यह तय है । लेकिन बोलने का तो अधिकार सभी को है इसलिये जो चाहे हम पर कटाक्ष कीजिये । कहा जाता है कि हम प्रेस गैलरीज का फायदा उठाना चाहते हैं । ऐसी बात नहीं है । हम लोगों को जनता जनार्दन ने चुन कर इसीलिये भेजा है कि हम लोग उनकी आवाज को यहां उठायें, उसे आप तक पहुंचायें । अभी मंत्री महोदय ने कहा कि कई जगह टिड्डियों और ओलों से विनाश हुआ । मैं तो चाहता हूं कि अब जनता पर कोई भी टैक्स न लगे क्योंकि यह सही है कि जिस जनता पर टैक्स लगाया जाता है वह टैक्स के बोझ से कराह रही है । उसका दिल और दिमाग इतना परेशान है कि वह सोच भी नहीं सकती थी कि आने वाले माननीय सदस्य टैक्स के पक्ष में जाते ही हां में हां मिला देंगे । श्रीमन्, यह तो हमारा अधिकार है और यह न्याय की आवाज है जिसे हमको देश की जनता ने दिया है, यह उसकी पुकार है कि तुम विधान सभा में जाकर आखिरी दम तक इन टैक्सों का विरोध करो और जनता पर कोई टैक्स न लगने दो । यह राज्य के भी हित में है । जनता के हित में भी है और माननीय सदस्यों के हित में भी है कि इस प्रकार के टैक्सेज लगना बन्द हो । मैं माननीय सदस्यों से जो हम लोगों की आलोचना करते हैं कहता हूं कि इस प्रकार के टैक्सेज को, इस तरह के कानूनों के बनाये जाने को और इस प्रकार से हमारी आवाज की कीमत न समझने का ही परिणाम यह है कि सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य जो आज यहां से बोल रहे हैं वह क्यों भूल जाते हैं, कि पहले की तादाद में और अब की तादाद में यह कितने स्थान खो चुके हैं । मैं तो श्रीमन्, कहूंगा कि ज्यादा टैक्सेज लगाने की वजह से ही तो आप इस हालत को पहुंच चुके हैं, फिर भी नहीं चेते । यह सही है कि हम अल्पमत में हैं और हम "ना" के जरिये से भी आपको टैक्सेज लगाने से नहीं रोक सकते और ना "हां" के जरिये को भी रोक सकते हैं । आप इस तरह के कानून बनाते जाइये, हम लोगों की आलोचनाओं को मत सुनिये, सत्ता के मद में गरीब जनता पर इसी तरह से जोर जुल्म करते जाइये और दबाते जाइये, जनता पर कानूनी सख्ती करते जाइये, मैं कह सकता हूं कि वह भी इंसान है, उनके भी इंसान का दिल है, जो गरीब होते हैं और यदि गरीबों के प्रतिनिधियों की आवाजों की अवहेलना की गयी तो जो भी ईश्वरवादी हैं वह जानते हैं कि गरीबों का सहारा भगवान होता है, उन्हें उसका आशीर्वाद प्राप्त रहता है । आप ज्यादा टैक्स लगवायेंगे, चुनाव में यह कहकर नहीं आये हैं ।

[श्री लखपतराम शर्मा]

एक बात यह कही गयी है कि अगर टैक्सेज न लगाये जायें तो काम कैसे चले। काम तो पहले भी चलता था। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। अफगानिस्तान का एक बादशाह था। एक बुढ़िया ने उसके दरबार में जाकर फरियाद की कि ऐ शहंशाह, तेरे दरबार में काफिले के लोगों की जायदाद लूट ली जाती है और उस काफिले में मेरी सारी जायदाद लूट ली गई, क्या तेरी हुकूमत में उसके लिये कोई इंसाफ नहीं है, क्या कोई सजा नहीं है? शहंशाह ने उस बुढ़िया मां से कहा कि ऐ बुढ़िया मां, जहां तेरी जायदाद काफिले की लुटी है वह जगह यहां से बहुत दूर थी इसलिये हम तेरी कोई इमदाद नहीं कर सकते। श्रीमन्, उस बुढ़िया मां ने उस शहंशाह से यही कहा कि ऐ शहंशाह तुम ठीक से काफिले की हिफाजत नहीं कर सकते हो और न डाकुओं का इंतजाम कर सकते हो, इस तरह से लोगों की लूट को बन्द नहीं कर सकते तो तुमको हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। इसी तरह से अगर आपकी हुकूमत और महापालिकायें इतना धन टैक्सों से लेने के बाद भी इंतजाम ठीक से नहीं कर सकतीं तो ऐसी महापालिकाओं को खत्म कर देना चाहिये जो अपने को इस तरह से टैक्सों पर जिन्दा रखना चाहती हैं। अफगानिस्तान के शहंशाह ने उस बुढ़िया मां से यही कहा था कि मां तुम ठीक कहती हो। अगर काफिलों की लूट जारी है तो मुझे हुकूमत करने का कोई हक नहीं है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं हुकूमत छोड़ दूंगा अगर मेरे राज्य में आगे कोई काफिला किसी का अब लूटा जायगा। इसी तरह से इस सरकार को भी मैं उधर के माननीय सदस्यों से कहता हूं कि अगर उनमें हिम्मत हो तो कहें। एक मरतबा भी क्या वह यह कह कर आये थे कि हम जाते ही तुम्हारे ऊपर इस तरह से टैक्सेज लगावेंगे? हम तो लाखों और करोड़ों लोगों की फरियाद यहां आपके द्वारा रख सकते हैं।

कानपुर शहर की बात कही गयी है। मैं तो उन लोगों से जो इस तरह से हमारी आलोचना करते हैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं झांसी से चुनकर आया हूं, मैं अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र देकर कानपुर से ही किसी भी उस माननीय सदस्य से इस बात पर चुनाव लड़ सकता हूं कि "टैक्स लगना चाहिये" या नहीं लगना चाहिये। अगर वे, उनमें से कोई, श्रीमन् इस्तीफा देने के बाद इसी विषय पर चुनाव लड़ने को तैयार हों। अगर इस तरह से जुल्म ज्यादतियां और होने लगें तब तो जनता की कमर टूट जायगी। हम तो सिर्फ आपके जरिये से यहां केवल इतना ही कर सकते हैं, माननीय सदस्यों के सामने, माननीय मंत्री महोदयों के सामने और इस सदन के सामने अपनी फरियाद ही पहुंचा सकते हैं लेकिन अगर उस फरियाद की कोई कीमत न हो तो हम लोग सिवाय इसके कि वैधानिक तरीके से अपनी राय को रख दें और कर ही क्या सकते हैं। अगर टैक्स नहीं लगेगा तो, मैं जानना चाहता हूं कि कौन-सा ऐसा टिड्डी दल का हमला है जो विनाश कर देगा और जिसको रोकने की आवश्यकता है और जिसके लिये इतना शोर मचाया जा रहा है? एक छोटी-सी बात हम कह रहे हैं कि इसको प्रवर समिति में भेज दीजिये, उसकी एक रिपोर्ट ले लीजिये और फिर सदन में उस पर विचार कर लीजिये। इसमें कोई विनाश की बात नहीं है, जनता के हित की बात है, उस जनता की जिसके ऊपर आप टैक्स लगाना चाहते हैं। क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है जो हम जनता के हितों की बातें रख सकें? श्रीमन्, यदि इतनी भी न्याय की सहूलियत नहीं है तो जनता के हितों का क्या फायदा है? श्रीमन्, यह तो हम लोगों का दुर्भाग्य होगा। इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूं। श्रीमन्, चूंकि आपके इशारे से ऐसा मालूम होता है कि समय कम है, इसलिये ही मैं बैठता हूं।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत हुआ है और इसमें एक प्रतिशत से दो प्रतिशत कर देने का प्रश्न है, उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय सदस्यों ने जो आज अपने विचार प्रकट किये हैं उनको सुनकर, कम से कम जो मजदूर सदस्य हैं, उनको अति पीड़ा हुई होगी क्योंकि जब कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्न आता है तो गरीब किसान और मजदूरों को जबर्दस्ती उसमें खींच लिया जाता है। कोई भी सरकार हो, कर अवश्य लगेगा, चाहे कम लगे या ज्यादा लगे, क्योंकि बिना कर लगाये कोई सरकार नहीं चल सकती है। सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है और निकायें जो कर लगाती हैं वे उन्हीं के फायदे के लिये लगाती हैं तो भी गांव वालों का उदाहरण अवश्य दिया जाता है। यह विधेयक उनके लाभ के लिये है। इसमें गांव वालों का प्रश्न कहां से आगया ? क्या गांव वालों पर टैक्स लगेगा ? इसका संबंध गरीबों से क्या है ? क्या गरीबों के पास शहर में प्रापर्टी होती है ? जो निर्धन रिक्शा चलाने वाला है उसको तो किराये पर रहने तक के लिये मकान नहीं मिलता है। लेकिन आज उनका उदाहरण दिया जा रहा है। यह पैसे वाले कोई न कोई बहाना लेकर यह प्रश्न खड़ा कर देते हैं। हमारी सरकार जो कर उनके लाभ के लिये ही लगायेगी उसके लिये भी गाय, भैंस और बकरी का उदाहरण दिया जाता है। यदि गाय, बैल, भैंस और बकरी पर कर लगाया जाय तो भी वह इन्कार नहीं करेगा। इन्कार तो वह उस समय करता है जब उस पर कर लगता है लेकिन उसको कुछ लाभ नहीं पहुंचता है, तब वह कराहता है।

हमारे प्रदेश का अधिक रुपया शहरों पर ही खर्च हुआ है। बिजली के बल्ब शहरों में ही चमकते हैं, अच्छी सड़कें शहरों में ही बनती हैं और ये बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें भी शहरों में ही बनती हैं और फिर भी श्रीमन्, देहात वालों को घसीटा जाता है क्योंकि देश की बहुसंख्या देहात में रहती है उसी के द्वारा सरकार बनती है और यह कल्याणकारी सरकार है जो सभी का लाभ चाहती है। कल देहात वालों के फायदे के लिये बिल था लेकिन उस पर भी यहां पर बड़ी बहस हुई थी। यह प्रापर्टी वालों पर लगेगा और प्रापर्टी बड़े आदमियों के पास ही है इसलिये गरीबों पर इसका बोझा नहीं पड़ेगा। हमें इसको स्वीकार करना चाहिये।

श्रीमन्, मेरा आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह नम्र निवेदन है कि हर बात में गरीब जनता को न घसीटा जाय। जनहित की बात अवश्य ही कही जाय। लेकिन आज गरीबों के लिये कोई बात नहीं कहता, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों। हर आदमी हर बात में गरीब, किसान और मजदूरों को घसीट लाता है। चाहे उस पर कर लगे या न लगे। कानपुर में बड़े-बड़े करोड़पति और लखपति रहते हैं, जो समय पर टैक्स भी नहीं देते हैं। रोज इस हाउस में क्वैश्चन होते हैं। करोड़पति लोग जो अपनी प्रापर्टी इधर उधर करेंगे, उन पर जो दो प्रतिशत टैक्स लगेगा वह जनता के काम आयेगा। उस पर इतनी चिल्लाहट मच गयी। इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और जो संशोधन आया है प्रवर समिति में भेजने का, उसका मैं घोर विरोध करता हूं। यह एक नयी बात हो रही है कि हर एक बिल को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव आ जाता है। सदन के समक्ष बातें होनी चाहिये। प्रवर समिति में भेजने से इस विधेयक को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। प्रवर समिति में नहीं जाना चाहिये।

श्री उमाशंकर (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं उस संशोधन का समर्थन करता हूं जो साथी कल्पनाथसिंह जी ने रखा है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि जो सरकारी सदस्य इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं वह इसलिये कर रहे हैं कि शहरों के विकास के लिये रुपये की आवश्यकता है और उसमें विरोधी पक्ष टांग अड़ा रहा है। परन्तु संशोधन में तो यह कहीं नहीं कहा गया है कि टैक्स लगाया न जाय बल्कि सदन का समय बचाने के लिये कहा गया है, ताकि जो सरकारी सदस्यों की राय में यहां अनावश्यक बहस हो रही है, उस बहस को खत्म करने के लिये, एक प्रवर समिति में यह विधेयक भेज दिया जाय। उस प्रवर समिति में विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष दोनों के सदस्य रहेंगे। उसमें विचार हो कि टैक्स किस हालत में और किन लोगों पर लगाया जाय। इसलिये मैं उन सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि जो लोग यह कह रहे हैं कि किसान और मजदूरों को और गरीबों को इस विधेयक से अहित नहीं होगा, वे इस बात पर विचार करने के लिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दें कि टैक्स किन लोगों पर और कैसे लोगों पर लगाया जाय।

[श्री उमाशंकर]

हम विरोधी पक्ष के लोग इन बातों का विरोध नहीं कर रहे हैं कि शहरों का विकास न हो। इस बात को सरकारी सदस्य और हम भी मानते हैं कि शहरों का विकास हो। लेकिन सवाल है कि कैसे हो? क्या हमारे सदस्य भूल गये हैं कि जहां-जहां बड़े आदमी हैं, पूंजीपति हैं, वहां उनको हर तरह की सुविधाएं प्राप्त हैं लेकिन जहां गरीब मजदूर और रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले होते हैं वहां शहर की क्या हालत है? कहते हैं कि रिक्शा चलाने वालों पर असर नहीं पड़ेगा, फुटपाथ पर सोने वालों पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा उन्हीं पर असर पड़ेगा। रिक्शा चलाने वालों तथा फुटपाथ पर सोने वालों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। रिक्शा चलाने वालों के पास और फुटपाथ पर सोने वालों के पास मकान नहीं है। अगर वह मजदूरी करके कुछ पैसा बचा कर मकान बनाने के लिये जमीन खरीदते हैं तो उसी पर सबसे ज्यादा असर होगा। तो इस विधेयक से उसी पर सबसे ज्यादा असर होगा। इन्हीं सब बातों पर विचार करने के लिये यह संशोधन लाया गया है कि किन हालतों में किन लोगों पर यह टैक्स लगाया जाय। हमारे सरकारी सदस्य किसान और मजदूरों के हिमायती बन रहे हैं। लेकिन अगर वह वास्तव में किसान और मजदूरों के हिमायती हैं और इस सदन का समय बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी यह राय होनी चाहिये कि यह विधेयक जो पेश किया गया है उसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय। वहां इसकी मैरिट पर बहस हो जाय कि यह जो आय होगी वह कैसे खर्च होगी और किन पर खर्च होगी।

जहां तक टैक्स की बात है, आप देखें, यह सरकार तो ऐसे-ऐसे टैक्स लगाती जा रही है जैसे कि सुरसा का बदन बढ़ता जा रहा हो। हर चीज पर टैक्स, पानी पर टैक्स, हवा पर टैक्स-हर चीज पर टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। तो इस टैक्स की क्या कोई सीमा है? इसलिए हम आप से निवेदन कर रहे हैं कि जो यह प्रवर समिति में भेजने का संशोधन पेश किया गया है उसको मान लिया जाय जिससे कि न हाउस का समय बरबाद हो और न हम आपका समय बरबाद करें। प्रवर समिति में इसके ऊपर विचार हो जाय, उसके बाद यहां हाउस में बहस हो और चूंकि वहां प्रवर समिति में दोनों तरफ के सदस्य रहेंगे जो कि इस विधेयक की मेरिट्स पर विचार कर सकेंगे, इसलिए वहां से दोनों की इत्तफाक राय से यह विधेयक यहां आयेगा। उस वक्त हमें भी और सरकारी पक्ष के सदस्यों को भी यह कहने का मौका मिलेगा कि सदन का समय इसमें बरबाद न किया जाय। जो संशोधन रखा गया है वह अच्छी नीयत से रखा गया है और गरीबों के हित में रखा गया है और इसलिए रखा गया है जिसमें कि ऐसा न हो कि गरीबों पर और टैक्स का भार लदे। इन शब्दों के साथ मैं सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री कल्पनाथसिंह के संशोधन के विरोध में खड़ी हुई हूं। संयोग से कहिए या सौभाग्य से कहिए, मैं इलाहाबाद नगरमहापालिका की सदस्या भी हूं और इस सदन की भी सदस्या हूं। पिछले दो वर्षों में मुझे जो अनुभव हुआ है महापालिका की सदस्या होने के नाते, उस अनुभव पर मैं यह समझती हूं कि हमारी गवर्नमेंट को महापालिकाओं को कुछ ऐसे नये अधिकार देने ही चाहिए जिससे कि वह अपनी आमदनी को बढ़ा सकें और नये टैक्सेज के रूप में या यह कर तो पुराने ही हैं, इनकी दरों में कुछ परिवर्तन करके वह अपनी आमदनी कुछ बढ़ा सकें और उस आमदनी के द्वारा नगर की कुछ भलाई कर सकें। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करती हूं। यह कोई नया टैक्स तो है नहीं, पुराना टैक्स है। कहा यह जाता है कि जो पुराने टैक्स होते हैं वह कोई टैक्स नहीं माने जाते हैं। जनता जिस टैक्स को देने की आदी हो जाती है उस टैक्स में यदि कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो वह अधिक खटकता नहीं है। जो संशोधन यहां रखा गया है एक प्रतिशत की जगह दो प्रतिशत बढ़ाने का, वह कोई नया टैक्स नहीं है। उसमें केवल दर में परिवर्तन की बात है और जनता अब इसकी आदी हो चुकी है। इसलिए मैं समझती हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज कर और अधिक समय इसमें लगाना और

सकी वजह से उनकी आमदनी के मार्ग में बाधा उपस्थित करना, यह विरोधी भाइयों के लिए उचित बात नहीं मालूम होती।

मैं, आपके द्वारा सदन का ध्यान उस प्रसिद्ध वाक्य की ओर जो मिस्टर बर्क ने कहा है, दिलाना चाहती हूं–It is as difficult to tax and please as it is to learn and be wise. तो यह तो साधारण सी बात है कि जब हम कोई नया टैक्स लगायेंगे या उसमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करेंगे तो ऐसी ही बातें कही जायंगी। लेकिन हमें इस दृष्टि से इसे नहीं देखना चाहिए। आज महापालिकाओं का जो नया अधिनियम बना है उसके अन्तर्गत कुछ नये टैक्स लगाने की राय गवर्नमेंट से उनको मिली है लेकिन फिर भी महापालिकाओं ने अभी तक अपने उस अधिकर का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। आज हम जानते हैं कि यदि हम नगरों की हालत सुधारना चाहते हैं तो उसके लिये बहुत जरूरी है कि महापालिका की आमदनी बढ़ायें और नगरों की आमदनी बढ़ायें। इस समय जो यह विधेयक रखा गया है वह एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरों को यह अधिकार देता है कि वह अपनी आमदनी बढ़ा सके। यदि नगरों की संख्या को देखा जाय तो हिन्दुस्तान में ऐसे नगरों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। इसलिये यहां पर गरीबों की दुहाई देना और किसान मजदूरों की बात कहना कि उनके लिये टैक्स लगाना बहुत अनुचित है या सुरसा की तरह बदन बढ़ाने की बात कहना ,मैं समझती हूं, बहुत कुछ तर्कसंगत नहीं है। आज कल इस समय बहुत ही कम ऐसे टैक्स हैं जो महापा लिका या म्युनिसिपैलिटी लगाया करती है। महापालिका में जो बहुत बड़ा आइटम टैक्स का है वह हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का है। आज हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के लिये तो यह कहा जा सकता है कि मध्यम श्रेणी के लोग शहरों में अधिक रहते हैं और उनके ऊपर टैक्स का भार अधिक है तो उनकी दर को न बढ़ाया जाय और वे टैक्स ऐसे हैं कि उनमें हम ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते। तो जब इस प्रापर्टी टैक्स की बात करते हैं तो हम थोड़ा-सा परसेंटेज इसमें बढ़ा सकते हैं और यह एक प्रत्यक्ष कर रहेगा। इसमें इतनी परेशानी लोगों को नहीं होगी और कुछ थोड़े से लोगों के ऊपर ही यह बात जायगी। इसलिए मैं समझती हूं कि अगर कुछ थोड़ा-सा प्राविधान इस विधेयक में किया जा रहा है कि एक प्रतिशत या दो प्रतिशत तक उसको बढ़ायें तो यह न्यायसंगत है और उचित है और उसे सदन को मान लेना चाहिये। मैं अपने विरोधी भाइयों से यह अपील करूंगी कि हम हमेशा हर एक प्रस्ताव को इस नजर से न देखें कि उसका विरोध ही करना है। मैंने देखा कि जितने संशोधन माननीय विरोधी सदस्यों ने उपस्थित किये, उन सब संशोधनों में प्रवर समिति में भेजने की ही बात कही जाती है। ऐसा लगता है कि यह केवल विरोध के लिये शब्द जोड़ दिये गये हैं और यह संशोधन इस हाउस में बहस करने के लिये रखा गया है। अगर यह कंक्रीट प्रपोजल होता तो यह मानने की बात होती।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्रवर समिति के अन्दर विरोधी लोग भी होंगे और सरकारी पक्ष के सदस्य भी होंगे और वहां पर विचार अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो इस हाउस में भी हमारे विरोधी दल के सदस्य बैठते हैं और इस तरफ भी काफी लोग बैठे हुये हैं। जब बहुत से और अधिक लोगों की राय से एक चीज तय होगी तो वह अधिक शान की बात होगी। इन शब्दों के साथ, मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री के प्रस्ताव का, जिसमें महापालिका और म्युनिसिपैलिटी और नगरों को १, २ प्रतिशत आमदनी बढ़ाने का अधिकार दिया जा रहा है, समर्थन करती हूं।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल्पनार्थसिंह जी के प्रस्ताव के समर्थन में दो शब्द कहना चाहता हूं। श्रीमन्, यह सोचने की बात है कि यदि कहीं व्यय बढ़ाने की बात आती है तो दूसरी जगह कहीं पर व्यय कम करने की बात सोचनी चाहिये। यह क्या आवश्यक है कि कर बढ़ाया ही जाय। अब १ या २ प्रतिशत कर बढ़ा देने की बात कही जाती है। आपको यह मालूम होना चाहिये कि १ से २ प्रतिशत की वृद्धि कर देना, क्या यह कोई साधारण बात है, ठीक दूनी है। कर के बढ़ाने से क्या बात पैदा होती है, यह आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। यह कर बढ़ाने की बात सीता के जन्म की याद

[श्री लोकपालसिंह]

दिलाती है। सीता का जन्म क्यों हुआ? जब ऋषियों पर टैक्स लगा तो यही कारण हुआ लंका दहन का और रावण मरण इत्यादि का। यह सब रावण की क्रिया थी कि जिसने टैक्स की वृद्धि सोची थी।

श्री अध्यक्ष---आप चाहते हैं कि सीता फिर से न आयें?

श्री लोकपालसिंह---अगर सीता के आने की बात होगी तो फिर वही बात होगी। रावण मरण होगा, और लंका दहन होगा।

"जब करों द्वारा विधायक जनकरों को बांध लेता,
और फिर अपने पराये की गगन चढ़ बांग देता,
कर्म का प्रिय पारितोषिक क्षुब्ध मानव जब न पाता,
शान्तिमय जनता जलधि में तब तत्क्षण ज्वार आता।
डोल उठती है धरा झट व्योम झंझाझोर होता,
क्रान्ति होती देश में, चट राज्य विप्लव घोर होता।।"

महज करों के बढ़ाने से कार्यसिद्धि होने वाला नहीं है, इसलिये मेरा आप से नम्र निवेदन है कि कर बढ़ाने की यह क्रिया खत्म कर दी जाय।

*श्री अमजद अली (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, इस टाउन इंप्रूवमेंट बिल की मामूली-सी तरमीम पर इतना ज्यादा बहस मुबाहसा और उसमें इतना ज्यादा वक्त खर्च होना, कोई जरूरी बात नहीं थी। टैक्स एक परसेंट से दो परसेंट किया जाना जरूरियात के लिहाज से जरूरी है। जब हम देख रहे हैं कि म्युनिसिपलटीज में, टाउन एरियाज में, सभी जगह तरक्की के साथ-साथ लोग सफाई पसन्द भी हो रहे हैं और पुराने तरीकों में तब्दीली होती जा रही है, कूड़ा गाड़ियों की जगह मोटरें आती जा रही हैं, सड़कों को सीमेंटेड किया जा रहा है, तो इस सब के लिये हमें पैसे की जरूरत भी पड़ती है। उस पैसे को हासिल करने के लिये हम वहां के गरीब रहने वालों, दूकानदारों, सब्जीफरोशों के ऊपर नजर नहीं उठा सकते। अगर उनके छोटे कारबार पर टैक्स लगा कर हम वहां की तरक्की करना चाहेंगे तो उसका उन गरीबों पर बुरा असर पड़ेगा। जिनके पास सरमाया है वे लेनदेन कर सकते हैं। वे पैसे वाले लोग हैं और उन पर इस एक परसेंट के बजाय दो परसेंट कर देने से कोई असर नहीं पड़ेगा। मौजूदा जमाने में हमें हर काम के लिये मशीनरी की जरूरत है, ज्यादा खर्च करने की जरूरत है और इसलिये उन पैसे वालों से ही हमें रकम ले कर उन शहरों और कस्बों की तरक्की करनी है। उस पर अपोजीशन के लोग इतना ज्यादा वक्त बहस में खर्च कर रहे हैं, जब कि यहां का वक्त इतना कीमती है, कुछ ठीक बात नहीं है और वे उसमें यह भी नहीं बताते कि आखिर यह पैसा कहां से लाया जाय। वे यह चाहते हैं कि सफाई हो, तरक्की हो और काम तेजी के साथ हो, लेकिन उस सब के लिये पैसे की जरूरत है और उसे हासिल करने के लिये जब कोई सूरत सोची जाती है तो उसकी इतनी मुखालिफत की जाती है, यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि यह मुखालिफत सिर्फ मुखालिफत के लिये है और इसमें वक्त जाया करना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कोई ऐसी तरमीम होती कि जिससे तमाम हल्के पर, तमाम सूबे पर कोई असर पड़ता और उस पर वक्त जाया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यह मामूली सी बात है। जो पैसे वाले लोग हैं उन पर इसका असर पड़ेगा और इसलिये इस पर इतना ज्यादा वक्त सर्फ करने की जरूरत नहीं है। मैं इस मौजूदा बिल की ताईद करता हूं।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)---अध्यक्ष महोदय, इस समय जो यह विधेयक हमारे सामने आया हुआ है और जिस पर बहस हो रही है उसमें जितने भी टैक्सों का जिक्र है उसका

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भार गरीबों पर ही पड़ता है। बहुमत दल कहता है कि इसका असर अमीरों पर पड़ता है, लेकिन यह बात गलत है। हर एक पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि जब वह कोई चीज खरीदने के लिये जाता है तब बेचने वाला उससे टैक्स भी वसूल कर लेता है और जो रसीद देता है उसमें चीज की कीमत के अलावा नीचे टैक्स भी लिख देता है। तो टैक्स का भार तो गरीब जनता पर ही पड़ता है। जिस समय जमींदारी खात्मा बिल पास हुआ उस समय टाउन एरिया और जो बड़ी-बड़ी निकायें थीं वहां के लोगों की जमींदारी का खात्मा नहीं हुआ। वह अब हुआ है, उनके पीछे एक लम्बा चौड़ा हदूदर्बा होता है और उसमें गरीब, कुछ खास लोगों की उपनगर बस्ती हुआ करती थी। जब वह खात्मा हुआ तो अब बड़े-बड़े नगरों के लिये विधेयक बनाया जा रहा है।

मैंने बड़े-बड़े नगरों में यह देखा है कि वहां पर किसी के पास अगर छोटा-सा मकान है और वह मध्यम वर्ग का व्यक्ति है और उसके कुछ बच्चे बढ़ गये तो फिर उसे कुछ और जमीन की भी जरूरत पड़ जाती है। जब बच्चे बढ़ जायेंगे तो वह सोचेगा कि चलो, थोड़ी सी जमीन ले लें ताकि उसके बच्चों के लिये भी चारपाई बिछ सके। व्यक्ति जमीन लेने के लिये किसी तरह सोचता है यदि उसको ५०० रुपये की जरूरत पड़ती है। जब यह टैक्स बढ़ जायेगा तो उसके हिसाब से उसी को वह टैक्स भी अदा करना होगा। जो बेचने वाला होगा वह तो दूकानदार होगा, उसको तो जरूरत होगी नहीं जल्दी बेंचने की, जरूरत तो होगी उस खरीदार को जो एक चारपाई के नीचे सोता है दूसरी चारपाई डाल कर तब टैक्स का बोझ सारा उस पर ही पड़ेगा। एक सदस्या मेरी बहन बोल रही थीं और दूसरे सदस्य कह रहे थे कि टैक्स से निकायों का उद्धार और तरक्की होगी। ये सब बातें गलत हैं। इससे तो अच्छा यह है कि सरकार रहने, खाने और पीने का प्रबन्ध कर दे और घंटी बजाया करे तब मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग तसला लेकर रोटी खाने के लिए भाग पड़ा करें और सोने के लिए एक छोटा कमरा बनवा दिया जावे। स्काटलैण्ड में तो खैर हर चीज पर टैक्स लगाने की बात सरकार कहती है और हम भी जानते हैं कि जब गर्म हवा चलती है, तेज धूप होती है तो समुद्र में से पानी उठता है, तालाबों में से उठता है और फिर बादल बन कर बरस जाता है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि यह जो पानी उठता है यह वर्षा रूपी वर्षा से जो भाप, पानी, सर्दी, उठे वह सब जगह से उठे। गरीबों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है और भला शहर वालों का होता है। सन् १९३५ से पहले जब साइमन कमीशन आया और हमने सुना कि वह कानपुर और लाहौर जायगा तो कांग्रेस वालों ने कहा था कि गांव को जाकर देखो। वहां की हालत का पता तब चलेगा। यहां पर सारी चीजें शहरों में ही दी जायंगी। जब आबादी बढ़ जायगी तो शहर के आस-पास की जमीन उसमें शामिल करके अच्छे पैसे उठाये जायेंगे। उन जमीनों को बेच कर गरीबों की जेबों से पैसा निकाला जायगा। इसलिए कल्पनाथसिंह जी के संशोधन का मैं समर्थन करता हूं और इस प्रस्ताव को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की प्रार्थना करता हूं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस प्रस्ताव पर बोलने के इरादे से नहीं आया था क्योंकि सदन में बात होती है सदन का समय बचाने की, तो मैं सोचता था कि मैं ही आत्म-नियंत्रण करके उस समय को बचाने में कुछ योगदान कर सकूं, लेकिन कुछ बातें जो यहां कही गयीं उनसे प्रेरित होकर, मैं आपके सामने खड़ा हूं।

पहली बात तो यह है कि आज जब प्रवर समिति का प्रस्ताव मैंने पढ़ा तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि क्या कोई प्रस्ताव इस सदन में ऐसा आ सकेगा जिसमें प्रवर समिति की मांग नहीं होगी? यदि इस प्रस्ताव में भी प्रवर समिति का औचित्य हो सकता है तो फिर अच्छा है कि विरोधी दल की तरफ से मांग हो जाय कि नियमों में ऐसा समावेश हो जाय कि जितने भी बिल यहां आयें वह अनिवार्य रूप में प्रवर समिति में जाया ही करें। यदि कोई बिल ऐसा हो सकता है जिसको प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता नहीं, तो कम से कम यह बिल तो हो ही सकता था।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

दूसरी बात, मान्यवर, यह भी है कि आखिर इधर से आने वाले क्या सारे बिल ही ऐसे होंगे जिनका कोई स्वागत उधर से नहीं होगा और उसमें विरोध होना आवश्यक ही है। स्वतन्त्र दल के लोग यदि टैक्सेज का सिद्धान्ततः विरोध करें तो, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उनकी नीति स्वतंत्र है, लेकिन अगर समाजवाद को अपना लक्ष्य मानने वाले सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग टैक्सेज का इस सिद्धान्त पर विरोध करें कि टैक्सेज लगाना अच्छा नहीं है या सिद्धान्ततः गलत है तो समझ में नहीं आता कि आखिर हमारी कौन दिशा है और किस तरफ हम अपने देश को और प्रदेश को ले जाना चाहते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिये।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---अगर उग्रसेन जी ने पढ़ा होता तो जो लोकल बाडीज टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें सब से ज्यादा इस बात की मांग की गयी है, उसमें इस बात की तरफ ध्यान दिलाया गया है कि यदि प्रगति करनी है तो टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा। जहां तक लोकल बाडीज के टैक्सेशन का सवाल है, मान्यवर, एक तरफ हम डिसेन्ट्रलाइजेशन की बात करते हैं, विकेन्द्रीकरण की मांग करते हैं और दूसरी तरफ जब विकेन्द्रीकरण के लिये स्टेप लिये जायं तो आप नारों में पड़ कर उसका विरोध करते हैं, इसको मैं समझ नहीं पाता। मेरा भी सम्पर्क नगरमहापालिका के अध्यक्ष के रूप में और सदस्य के रूप में रहा है और जो लोकल बाडीज की कान्फ्रेन्सेज हुई, उनकी मांग रही है कि लोकल बाडीज को इतनी शक्ति और क्षमता दी जाय कि वे अपने कार्य का सुचारु रूप से पालन कर सकें और पूरी क्षमता तब मिल सकती है जब उनकी आर्थिक भित्ति मजबूत हो सके, आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो सके। इसलिये आवश्यक है कि कई तरह के टैक्स लगाने की इजाजत दी जाय और जो सरकार दूसरे टैक्स लगाती है उनमें से कुछ अंश उनको दिया जाय मसलन सेल्स टैक्स में से। तो मान्यवर, यह जो प्राविधान किया जा रहा है कि लोकल बाडीज को यह अधिकार हो कि जहां पर एक लाख से अधिक की संख्या हो, वहां पर जो मकान की बिक्री हो उन पर दो परसेंट का टैक्स वह लगा सकें। यह तो बहुत दिनों से की जाने वाली मांग का पूरा किया जाना है। मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि खरीदने वाले पर इसका बोझ पड़ने वाला है, तो मैं समझ नहीं पाया कि बेचने वाले की स्थिति कमजोर होती है या खरीदने वाले की ? मकान वही बेंचता है जो कि परिस्थितियों से विवश होकर वैसा करने के लिये बाध्य हो जाता है और खरीदता वही है जिसकी परिस्थिति उसको इजाजत देती है कि उस सुविधा को प्राप्त करने के लिये वह कुछ धन व्यय कर सके। तो प्रत्यक्ष है कि जो खरीदता है वह सामर्थ्यवान होता है और ज्यादा शक्तिवाला होता है। अगर उस पर कुछ बोझ पड़ जायगा तो वह न्यायसंगत होगा। इसलिये उस पर पश्चाताप करना और उसका पक्ष लेना, मैं समझ नहीं पाया। इन शब्दों के साथ इस विषय में ज्यादा समय न लेकर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और प्रवर समिति का जो प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूं, क्योंकि इसमें उसका कोई स्कोप नहीं है।

*कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में जो बहस हुई और जो विचार रखे गये, उनको मैं बड़ी देर से सुन रहा हूं। सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं और जिसके लिये उधर के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि विरोधी दल का कुछ ऐसा रवैया है कि हर एक विधेयक को प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं .....

श्री अध्यक्ष---यह तो पुरानी बात है, कोई नई बात बताइये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुंवर श्रीपाल--मैं सरकारी पक्ष के लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में कुछ इस प्रकार की परिपाटी है जिनको अपनाये बिना हम अपना कार्य कर ही नहीं सकते। जिस प्रकार से बजट में हम एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखते हैं क्योंकि बगैर उस कटौती को रखे हुये अपनी बात कह नहीं सकते तो यह प्रजातांत्रिक परिपाटी की एक मजबूरी है। इसलिये हम और आप क्या कर सकते हैं।

प्रश्न यह है कि जो विधेयक आया है, वह क्यों आया और इसको ले आने की आवश्यकता क्यों हुई? वह आवश्यकता उद्देश्य और कारणों में स्वयं सरकार ने दी है। कहते हैं सन् ४९ में एक स्थानीय वित्तीय जांच समिति बनी थी, जिसने यह सिफारिश की थी कि लोकल बाडीज की कुछ आमदनी बढ़ाने के लिये सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर, मनोरंजन कर और बिक्रीकर जैसे स्रोत उपलब्ध कराये जायं। अब श्रीमन्, यह देखने की बात है कि मनोरंजन कर और बिक्रीकर को छोड़ दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--इस कानून में सब नहीं आते हैं। एक ही लिया गया

कुंवर श्रीपाल--उन दोनों को इसमें क्यों नहीं लिया गया? इसलिये नहीं लिया गया है कि उनको लेने से सरकार को अपनी जेब से देना पड़ता। सरकार स्वयं इस बात की दोषी है कि उसने बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखे हैं इसलिये उसने अपने गले के फंदे को धीरे से खिसका कर लोकल बाडीज के गले में डाल दिया। जनता अगर इस टैक्स के खिलाफ भी हो तो उनके खिलाफ हो। धीरे से नकेल डाल कर वे किनारे खड़े हो गये। इसके लिये इस विधेयक में चालाकी से १ के बजाय २ कर दिया गया है।

उधर से बड़े जोश खरोश के साथ कहा गया क्या कुछ बढ़ाया गया है, महज एक प्रतिशत ही तो बढ़ाया गया है। केवल एक का दो ही तो किया गया है लेकिन इसके माने होते हैं दुगना। अगर केवल एक प्रतिशत का ही मजा देखना है तो एक काम कीजिये, उधर आगे जो लोग बैठे हैं उनकी तनख्वाहों में १ प्रतिशत की कमी कर दी जाय। कुर्सी पर से उछल पड़ेंगे। लेकिन चूंकि इसका प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है, तथा उसको लगाने वाले दूसरे हैं और उसके दोष अपने ऊपर पड़ते नहीं हैं, लिहाजा बड़ी उम्दा चीज है और इसीलिये यह कहा जा रहा है कि बड़ी उम्दा चीज है। १ प्रतिशत जरूर बढ़ा दिया जाय।

इधर से कहा गया कि इसका असर गरीबों पर पड़ेगा और उधर कहा गया कि उसका असर अमीरों पर पड़ेगा, ये सब तो अटेंशन डायवर्ट करने की चालें हैं। एक रास्ते को छोड़ कर दूसरा रास्ता दिखाया जा रहा है। क्या गरीबों के साथ किया हुआ ही अन्याय अन्याय होता है और अमीरों के साथ किया हुआ अन्याय, अन्याय नहीं होता?

अब देखना यह है कि इस टैक्स को बढ़ाया क्यों जा रहा है? इसको स्वयं क्यों नहीं लगाया, इसलिये कि स्वयं तो वैसे ही बहुत से टैक्स लगाये बैठे हैं और जो वृद्धि हो रही है उसके लिये न जाने कितना टैक्स और लगाया जायगा। अगर वे इसको भी अपनी तरफ ले लेते हैं तो अभी से हुल्लड़ मच जायगा, इसलिये स्वशासन संस्थाओं के जिम्मे इसको कर दिया। और इस प्रकार से स्वशासन सस्थाओं को दोषी ठहराने के लिये आगे कर दिया। इस तरह से टट्टी की आड़ में से यह चीज आई है। अगर मनोरंजन कर और बिक्रीकर भी इसमें रखते तो पूरा का पूरा अपनी जेब से देना पड़ता, इसलिये उनको इसमें रखा नहीं।

श्रीमन्, एक चीज मैं जरा और निवेदन कर दूं--हालांकि थोड़ा विषयान्तर तो अवश्य होगा, लेकिन माननीय जगदीशशरण जी ने एक बात कही, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं, इसलिये कि उन्होंने कम से कम सत्य का प्रतिपादन तो किया। उन्होंने समाजवाद की परिभाषा देते हुये बड़ी सुन्दर बात कही। उन्होंने कहा कि समाजवाद के माने ही हैं टैक्सवाद। समाजवाद की इस परिभाषा के लिये मैं उनको कोटिशः धन्यवाद देता हूं और मैं समझता हूं कि इसके लिये शायद जनता भी धन्यवाद देगी।

[कुंवर श्रीपाल]

श्रीमन्, प्रवर समिति में भेजने के लिये इसलिये भी कहा जाता है कि यहां कुछ थोड़ी गर्मी आ जाती है, यहां रास्ता भी थोड़ा बदल जाता है। जैसे श्री जगदीशशरण जी ने समाजवाद की एक परिभाषा कर डाली, थोड़ी देर बाद शायद उग्रसेन जी उठेंगे तो वे अपनी परिभाषा करने लगेंगे, फिर पी० एस० पी० वाले अपने समाजवाद की परिभाषा करेंगे, क्योंकि संसार में समाजवाद के अनेक रास्ते हैं, फिर विधेयक रखा ही रह जायगा। यहां जो डाइवर्शन हो जाया करता है वह प्रवर समिति में न होगा। वहां कम से कम चाय की चुस्कियों पर बातें होंगी, आपस में रसगुल्ले और समोसे पर बातें होंगी और वहां सभी एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकेंगे।

श्री अध्यक्ष---आप तो यहीं प्रवर समिति का आनन्द ले रहे हैं। (हंसी)

श्री कुंवर श्रीपाल---मैं तो वहां की बात कह रहा हूं, वहां का आनन्द नहीं ले रहा हूं। इसलिये श्रीमन्, जरूरत इस बात की है कि इसपर ठंडे दिल से विचार किया जाय क्योंकि यह एक परसेंट से दो परसेंट करने की बात होगी यानी दुगुना करने की बात होगी, इसलिये भी आवश्यक है कि उसको प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि वहां लोग ठंडे दिल से विचार करें और विचार करके देखें कि एक परसेंट के अन्दर या एक परसेंट के ऊपर जो बेचे या खरीदे उसके ऊपर यह टैक्स लगे, तो उसमें वह सवाल भी हल हो जायगा।

जो बड़े-बड़े लोग हैं जिनके पास पचासों मकान हैं और खरीदने बेचने का ही काम करते हैं, उनके ऊपर इसका भार पड़े, तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन मेरी शिकायत तो यह है कि वह यहां नहीं हो पायेगा। क्योंकि उधर बैठने वालों में काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास काफी मकान हैं और जो बराबर इधर उधर ट्रांसफर करते रहते हैं, वे लोग तो इसके विरोध में जायेंगे लेकिन कुछ न कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इसका समर्थन करेंगे। प्रवर समिति में इसका जाना इसलिये भी आवश्यक है कि वहां एक शांतिपूर्ण वातावरण में, एक मित्रता के वातावरण में, इस पर विवाद हो सके और सही जगह पर पहुंचा जा सके। इसलिये मैं माननीय सदस्य के संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष---पूर्व इसके कि मैं माननीय नवल किशोर जी से निवेदन करूं कि वे बोलें, मैं आदरणीय सदन का ध्यान, प्रवर समिति के सुपुर्द विधेयक कब किया जाय, और विधेयक के सिद्धान्त पर चर्चा कब हो सकती है, इस सम्बन्ध में नियम १३० और १३२ के प्रति आकर्षित करता हूं।

यह गलत ख्याल है कि विधेयक के सिद्धान्तों पर चर्चा केवल ऐसे संशोधन के द्वारा ही हो सकती है कि विधेयक को प्रवर समिति, अथवा संयुक्त प्रवर समिति या जनमत के लिये भेजा जाय। यह आवश्यक नहीं है। कोई ऐसा संशोधन न आने पर भी विधेयक के सिद्धान्त पर विवाद, वह विचार के लिये जब आवे, तब हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इस समय इस सम्बन्ध में, मैं कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूं लेकिन मैंने विभिन्न दलों के नेताओं को इस विषय पर निर्णय के लिये आमन्त्रित किया है, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ ५०१ पर कुछ सिद्धान्तों को मैंने प्रतिपादित किया है कि किन अवस्थाओं में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय। उनका कहना यह है कि "This procedure is adopted in cases where the bill requires a more minute investigation than it can receive, on the floor of the House and where before coming to a decision upon it, it is considered advisable to hear the evidence of witnesses."

यानी कोई जटिल समस्या हो जिस के सम्बन्ध में सदन में विचार-विमर्श पूर्ण रूप से न हो सकता हो और आवश्यक हो कि उसके सम्बन्ध में अन्वेषण किया जाय तो उस हालत में

प्रवर समिति में प्रायः विधेयक भेजा जाता है। इस ओर मैंने ध्यान केवल इसलिये आकर्षित किया कि कुछ भाषणों से यह प्रदर्शित हुआ कि किसी विधेयक के सिद्धान्तों पर चर्चा करने के लिये ऐसा संशोधन देना आवश्यक है, मैं समझता हूं कि यह कुछ गलतफहमी है।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत छोटा सा विधेयक है जिस में मुश्किल से एक लाइन का संशोधन किया गया है। जो प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूं.....

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप प्रक्रिया नियमावली का नियम १३१ देखें.....

श्री अध्यक्ष—पहले आप अपनी व्यवस्था का प्रश्न तो बतायें।

श्री उग्रसेन—वह मैं बता रहा हूं। पहले यह नियम मैं पढ़कर सुना दूं। 'विधेयक से सम्बद्ध पत्र मांगने की शक्ति विधेयक के पुरः स्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेगा कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जांय'।

श्रीमन, इस विधेयक का मूल अंश लोकल बाडीज इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है लेकिन उस रिपोर्ट के उस अंश को सदन की मेज पर अभी तक नहीं रखा गया है। क्या सरकार पर यह भार नहीं है कि वह उस कमेटी की सिफारिशों को हमारे सामने उपलब्ध कराये ?

श्री अध्यक्ष—अभी माननीय उग्रसेन जी ने जो नियमावली के नियम १३१ की ओर ध्यान आकर्षित किया उसके सम्बन्ध में पहली चीज यह है कि संलग्न पत्रावली की मांग की जाय। वह मांग हमारे सामने पेश नहीं की गई, नम्बर १। और नम्बर २ यह कि जब कल से आज तक बहस हो रही है तो किसी भी सदस्य ने अपनी यह कठिनाई प्रस्तुत नहीं की कि बगैर उसके आये हुये हम इस वादविवाद में भाग नहीं ले सकते। तो जिस तरह से यह प्रश्न...

श्री उग्रसेन—यह प्रथम वाचन है.....

श्री अध्यक्ष—रखा गया है यह बहुत ही अनुचित है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन, एक निवेदन सुन लें ....

श्री अध्यक्ष—अब कोई निवेदन नहीं, आप बैठें।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, यह तो बहुत आवश्यक है....

श्री अध्यक्ष—यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है और कोई प्रश्न नहीं है। आप बैठें, आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

श्री उग्रसेन—हमको अधिकार है यह कहने का ....

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल आपने जो एक व्यवस्था दी थी गन्ना विधेयक के बारे में, तो उस समय भी उस पर सदन में विचार हो रहा था। उस समय जब माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रश्न उपस्थित किया गया था तो आपने उस पर विचार किया था। अतः प्रश्न जो माननीय उग्रसेन जी ने अभी उठाया है उसपर भी आप पुनर्विचार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री नवलकिशोर—मैं यह अर्ज कर रहा था कि मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। अभी कुंवर श्रीपाल सिंह जी बोल रहे थे। मैं उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने इसे प्रवर समिति में भेजने के पक्ष में एक ही तर्क उपस्थित किया कि बड़े शांति-

[श्री नवलकिशोर]

मय वातावरण होना चाहिये, साथ ही मित्रतापूर्ण भी। पर उन्होंने एक बात और भी कही कि वहां पर चाय की चुस्की और समोसे के ऊपर विचारों का आदान-प्रदान अच्छी तरह हो सकेगा। उन्होंने शायद रसगुल्ले की बात भी कही। मैं समझता हूं जहां तक शांतिपूर्ण, मित्रतापूर्ण वातावरण का प्रश्न है वह इस सदन में भी है और सदा रहता है। हां, एक चीज की कमी रह गई जो मुझे स्ट्राइक हुई कि शायद माननीय श्रीपाल सिंह जी का यह ख्याल था कि अगर चाय, समोसे और रसगुल्ले का प्रबन्ध हो जाता तो इस बिल को प्रवर समिति में भेजने के लिये बहुत जोर न देते। मैं समझता हूं कि जो नियम हैं प्रवर समिति में जाने के उनका स्पष्टीकरण श्रीमन्, आपके द्वारा करने के बाद, जिस में कहीं समोसे रसगुल्ले का जिक्र नहीं था, इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रश्न ही नहीं रहता है और न कोई उसके पीछे गम्भीरता की बात है।

जो मूल अधिनियम है उसके अन्दर १ परसेंट का जो सिद्धान्त है, उसको माना गया है। उसको अब १ के बजाय २ करने की बात है जिस पर बहुत चर्चा की गई, तमाम इज्म बताये गये। मुझे आश्चर्य हुआ जब समाजवादी दल की तरफ से भी इस छोटे से टैक्सेशन का विरोध किया गया। माननीय श्रीपाल सिंह जी समाजवाद की व्याख्या कुछ भी करें, मैं जरूर समझता हूं, समाजवादी व्यवस्था के अन्दर मनुष्य की हैसियत को देख कर, और जिन जगहों पर टैक्स की गुंजाइश है बिना आर्थिक व्यवस्था को अपसेट किये हुये, टैक्सेशन किया जाना चाहिये, और सम्भव है कि किया भी जायगा। लेकिन समाजवादी दल की तरफ से जो ठेकेदार अपने को समझता है समाजवाद का इस तरह से टैक्सेशन का अगर विरोध हो तो समझ में नहीं आता कि उसके दिमाग में समाजवाद की कौन-सी कल्पना है।

इसकी बड़ी चर्चा की जाती है कि अर्बन एरिया के अन्दर टैक्सेशन बहुत कम होता है। और जब टाउन एरियाज में १ परसेंट के बजाय २ परसेंट की बात हुई तो गरीब, अमीर की बात आई। लेकिन यह ध्यान भी तो रखना चाहिये कि ट्रांसफर आफ प्रापर्टी पर, जो प्रापर्टी की कीमत है उसी पर टैक्स लगेगा। अगर छोटी प्रापर्टी होगी तो इंसीडेंस आफ टैक्स कम होगा, ज्यादा कीमत की होगी तो ज्यादा टैक्स लगेगा। इसमें न अमीर का प्रश्न है, न गरीब का। माननीय श्रीपाल सिंह जी ने कहा कि ट्रांसफर आफ प्रापर्टी, मार्गेज आफ लैंड के ऊपर तो टैक्स की बात आई मगर इण्टरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स की कहीं चर्चा नहीं आई। मैंने इसको पढ़ा, तो पाया कि कहीं सरकार ने यह नहीं कहा कि उन आइटम्स का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस विधेयक की जो सीमा थी उसके अन्दर वे नहीं आ सकते थे। वह चीज अपनी जगह पर अलग है। यहां तो सिर्फ १ परसेंट के बजाय २ परसेंट किया जा रहा है।

विरोधी दल के लोग जो वेस्टेड इन्टरेस्ट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे जनसंघ, उनकी तरफ से यदि टैक्सेशन का विरोध हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। एक बात विरोधी पक्ष को समझ लेनी चाहिये कि हमारे सूबे में सेंटर का जो योजनाओं के लिये धन का एलोकेशन है वह हमारे प्रदेश के लिये बहुत कम होता है पिछली बार डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने इस बात की कोशिश की थी कि इस प्रदेश का जो एलोकेशन हो केन्द्रीय सहायता का, वह आबादी के हिसाब से होना चाहिये। यहां मैं इस तर्क की मेरिट्स और डीमेरिट्स में नहीं जाऊंगा। केन्द्र का यह कहना है कि जो प्रदेश अपने साधनों का पूरा पूरा एक्सप्लायटेशन कर सकते हैं और करते हैं, जो अपने साधनों से जितनी अधिक आय अपने यहां बना सकते हैं उसी के अनुपात में केन्द्र भी फण्ड्स दिया करता है। यह सही बात है, उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है। इसलिये और भी आवश्यक है कि साधनों को जहां तक सम्भव हो सके टटोलना पड़ेगा और टैक्सेशन को हौआ समझ कर, उससे भागने से काम चलने वाला नहीं है। इस प्रदेश के हित में, अगर वास्तव में आप विकास चाहते हैं और टाउन एरियाज, इम्प्रूमेंट ट्रस्ट वगैरह जो लोकल बाडीज हैं, जो हमेशा सरकार की तरफ सहायता के लिये देखा

करती हैं, और डेफिसिट में काम करती हैं, उनके लिये आवश्यक है टैक्स लगाना, और आज एक ही छोटा-सा तरीका ढूंढा है और आगे चल कर और भी तरीके ढूंढने पड़ेंगे । कुंवर श्रीपाल सिंह जी को यह शिकायत थी कि मंत्री महोदय के वेतन पर अगर एक परसेंट टैक्स बढ़ा दिया जाय तो उनको कैसा महसूस होगा ? बढ़ाने का सवाल पैदा नहीं होता, उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों ने ८,१० व १२ परसेंट की कटौतियां अपने वेतनों में स्वयं की हैं।....

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल, पीठासीन हुये ।)

एक बात कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। प्रवर समिति की बात हर मौके पर कही जाती है। यह भी एक किस्म की रस्म सी हो गई है। पार्लियामेंटरी सिस्टम में यह होता भी है। उग्रसेन जी ने सही कहा कि उन्हें यह अधिकार है। लेकिन जहां यह अधिकार उन्हें है वहां हमें भी यह कहने का अधिकार है कि जब इस कदर दर्द है गरीब जनता के लिये, तो उन्हें यह मालूम होना चाहिये कि जितने घंटे हम यहां अपव्यय करते हैं उसका भी इंसिडेंस (भार) गरीब जनता पर ही पड़ता है। मैं समझता हूं कि नेता, समाजवादी दल इस बात की अवश्य चेष्टा करेंगे कि कम से कम ऐसे जो अबोध किस्म के टैक्सेशन हुआ करें उनके ऊपर विरोध के लिये समय नष्ट न किया करें। मुझे आशा है कि मेरी दरख्वास्त के बाद वह इस बात पर जोर नहीं देंगे कि इसे प्रवर समिति को ख्वामख्वाह भेजा जाय और जो प्रस्ताव है प्रवर समिति को भेजने का, उसे वह वापस लेंगे ताकि जिस शक्ल में यह अधिनियम पेश किया गया है उसे पास किया जा सके।

श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—मैं श्री कल्पनाथ जी के इस संशोधन पर कुछ कहना चाहता हूं । सरकारी पक्ष के लोगों ने यह कहा है कि छोटा-सा एक टैक्स लगने जा रहा है परन्तु यह विचार नहीं किया कि टैक्स लगने जा रहा है । टैक्स के नाम से कितना बड़ा भार आज हमारे उत्तर प्रदेश की जनता पर पड़ रहा है इस पर विचार करना पड़ेगा । इसी प्रकार हम देखें कि सन् ४८ में जब सेल्स टैक्स आया था और १ रुपया ९ आने सैकड़ा उस वक्त लगाया गया था तो वह १ साल के लिये इसलिये लगाया गया था कि कुछ बजट में डेफिसिट था । लेकिन आज १३ वर्ष हो चुके हैं वह कर कायम है और दो साल व्यतीत हो चुके हैं सरकार ने उसमें थोड़ा-सा और बढ़ाया था जिससे करोड़ों रुपये का अन्तर हो गया । १ रुपये ९ आने सैकड़ा की जगह २ रुपये सैकड़ा हो गया और उसका अन्तर ३० परसेंट का पड़ा । लेकिन यहां पर तो १ परसेंट की जगह २ परसेंट किया जा रहा है । इसका मतलब है कि सेंट परसेंट टैक्स बढ़ाया जा रहा है ।

अभी कुछ साथियों ने यह कहा कि यह जो टैक्स लगाया जा रहा है यह खाली अमीर लोगों पर ही लगने वाला है । आज की परिस्थिति में अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जो अपना मकान गिरवी रखना चाहता है वह गरजमन्द होगा, उसको पैसे की जरूरत होगी और उसे एक परसेंट की जगह पर दो परसेंट देना पड़ेगा । यह जो दो परसेंट देना होगा, जो लेने वाला होगा वह तो देगा नहीं, वह तो भुगतना उसी को पड़ेगा जो मकान रेहन रखने जाय। परन्तु कहा यह जायगा कि जो रेहन रखेगा उसकी हालत बहुत अच्छी होगी इसलिये देना पड़ेगा। आप प्रैक्टिकल में देखें तो गरीब जो परेशान होता है वह और परेशान हो जाता है, जो अपनी जायदाद रेहन रखने जाता है और दूसरी ओर जिसके पास पैसा होता है वह कुछ शक्तिमान् भी होता है जिसके कारण वह दबाव डाल कर खुद टैक्स तो देता नहीं, वह तो रेहन रखने वाले को ही देना पड़ेगा । इसलिये अगर आप यह कहें कि यह टैक्स खाली बड़े आदमियों पर ही पड़ने वाला है यह सही नहीं है । इसका भार उन परेशान आदमियों पर ही पड़ता है जो बेचना चाहते हैं ।

दूसरी बात अभी उधर के एक सज्जन ने कही कि यह टैक्स बड़े आदमियों पर लगता है मगर वसूल नहीं होता तो विचार करने की बात है कि जो सरकार अपने लगाये हुये टैक्स को वसूल नहीं कर पाती, ऐसी निकम्मी सरकार को तो रहना नहीं चाहिये । छोटे आदमियों से तो

[श्री रामचरणशाह]

टैक्स वसूल हो कर लिया जाता है और मैंने देखा कि हमारे यहां जिन लोगों ने कोआपरेटिव सोसायटी से कर्जा लिया था उनके साथ इतनी ज्यादती हुई, उसकी वसूली में कि उनके घर और बैल तक कुर्क करा लिये गये। लेकिन जो करोड़पति लोग हैं, जिन पर लाखों रुपया टैक्स का बाकी है उनके साथ सरकार रियायत बरतती है और वजह यह बताती है कि कहीं देश का उत्पादन न कम हो जाय । अरे क्या उत्पादन में कमी के कारण आप टैक्स वसूल करना छोड़ देंगे ? परन्तु बड़े आदमियों की सरकार है और इसलिये बड़े आदमियों से उसका गठबन्धन है । तो इस तरह से जो २ परसेंट का टैक्स लगाया जा रहा है उससे जो परेशान है वह और पीड़ित होगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और इसमें जो "बन्धक" शब्द है इस पर उस समिति को जरूर विचार करने की आवश्यकता है ।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय कल्पनाथ जी के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) विधेयक, १९६२ में विरोधी पक्ष की ओर से जो संशोधन पेश किया गया है प्रवर समिति में भेजने का, उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं । हाउस में संशोधन के पक्ष में जितनी भी बातें कही गयी हैं उनमें कोई एक भी दलील ऐसी नहीं थी जिससे यह समझ में आये कि अमुक ऐसा कारण उपस्थित हो गया है जिसकी वजह से इसे प्रवर समिति में भेजा जाय । मैं तो समझता हूं कि इस पर काफी बहस हो चुकी है और प्रवर समिति में भेजने का मतलब यह है कि केवल इसमें विलम्ब किया जाय । जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि १ परसेंट का २ परसेंट होने जा रहा है, तो यह बात तो ठीक है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा, आप जरा इस पर विचार करें, यह शहर के किन हिस्सों में या कौन-सी आबादी वाली जगह में लागू होने जा रहा है । साफ शब्दों में लिखा है कि "उन स्थानीय निकायों को अधिकार मिलेगा जिनकी आबादी १ लाख है या उससे अधिक है या ऐसे इम्प्रूवमेंटट्रस्ट कि जहां एक लाख से कम आबादी है लेकिन वहां इम्प्रूवमेंटट्रस्ट जैसी संस्था है" । तो श्रीमन्, जब एक लाख से कम आबादी वाले निकाय होंगे तो वहां पर संबंधित मूल्य भी उसी हिसाब से होगा । उसमें रहने वाले कौन होंगे ? लेकिन यहां तो हर मामले में गरीब किसान और मजदूर आ जाता है और उसका ढिंढोरा पीटा जाता है । लेकिन मैं तो विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से नम्रता से निवेदन करूंगा कि आप उसके प्रैक्टिकल स्वरूप पर गौर कीजिये । पहले अगर १० हजार रुपये का एक मकान बिकता था तो उस पर सौ रुपये यदि टैक्स होता था, तो दो सौ रुपये हो जायगा । अब जहां खरीदने या बेचने के समय १० हजार रुपया एकत्रित होगा, वहां सौ या दो सौ रुपया हो जाने से कितना अन्तर पड़ जायगा ।

रह गयी गरीबी की बात, तो जैसा खरीदने वाला या बेचने वाला होगा उसी के अनुरूप उस पर इसका असर पड़ेगा । मैं आपसे कहता हूं कि आप जरा इस दृष्टिकोण से इसको देखिये कि स्थानीय निकायों में जो टैक्सेज हैं वह कहीं ज्यादा हैं कहीं कम हैं । आपको तो इसका स्वागत करना चाहिये ऐसे बिलों का कि सब निकायों को समान रूप से टैक्स वसूल करने का अधिकार दे रहा है । मैं बनारस का रहने वाला हूं । वहां के म्युनिसिपल आक्ट्राय की दर इतनी ज्यादा है कि वहां एक समस्या पैदा हो गयी है । जितना लघु उद्योग है, बड़ी अच्छी संस्था में जो हमारे उत्पादक थे वे आज चुंगी की वजह से काम बन्द कर रहे हैं और उनके रोजगार पर काफी आघात पड़ रहा है । इसके बरक्स दूसरे स्थानीय निकायों में उसी तरह के सामानों के लिये कम चुंगी होने की वजह वहां के लोग लाभान्वित हैं । बनारस इसका प्रतिफल भोग रहा है । हालांकि यह विषयान्तर है लेकिन माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिये कह रहा हूं कि यदि ऐसे टैक्स हो जायं जिसमें सभी स्थानीय निकाय समान रूप से टैक्स वसूल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करें तो यह बड़े स्वागत की बात होगी । मैं चाहूंगा कि विरोधीदल के माननीय सदस्य इस किस्म के संशोधन करें, इस किस्म की मांग करें ताकि उत्तर प्रदेश में जितने स्थानीय निकाय हों उन्हें केवल समान रूप से टैक्स वसूल करने का अधिकार हो ।

अब मैं अपने विषय पर आता हूं । चन्दन के इत्र का व्यापार है । आप यदि चन्दन की लकड़ी मंगावें तो बनारस म्युनिसिपैलिटी के अन्दर एक पौंड के ऊपर करीब सवा ६ रुपये चुंगी देना पड़ेगा और उतना ही सामान आप लखनऊ में मंगावें, तो आपको सिर्फ २० आना देना पड़ेगा । जरा गौर कीजिये कि इस चन्दन के तेल की कीमत सौ रुपये पौंड हो रही है । अब अगर ८२ पौंड चन्दन का तेल हो, इस चन्दन के तेल की कीमत सौ रुपये पौंड के हिसाब से ही लगावें तो उसकी कीमत ८ हजार २ सौ रुपये हुई और १ आना रुपया के हिसाब से ही उस पर यदि लगावें तो कितना ज्यादा रुपया हो जाता है बनारस की म्यूनिसिपैलिटी का । लेकिन वही ८२ सौ रुपये का यदि आप लखनऊ में मंगावें तो बहुत कम होता है । इसका नतीजा यह होता है कि जो इत्र के कारखाने चन्दन का तेल तैयार करते हैं लखनऊ में, वह तो मारकेट में जा सकते हैं लेकिन बनारस में कोई फर्म यदि तैयार करना भी चाहे तो नहीं कर सकता है क्योंकि इतना ज्यादा चुंगी पड़ेगी कि वह मुकाबिला नहीं कर सकता । इसलिये मैं तो चाहता हूं कि हमारे माननीय विरोधी दल के सदस्य इसके प्रैक्टिकल स्वरूप को इस तरह से जांचें कि इस तरह के जो टैक्सेज स्थानीय निकायों के हों वह सब पर समान रूप में लगे और यह जो टैक्स यहां पर लग रहा है इसमें सब को समान अवसर मिलेगा । तो मैं चाहूंगा कि अब इस पर व्यर्थ बहस न हो और इसके ठीक स्वरूप पर हमारे माननीय सदस्यगण आवें । इसको प्रवर समिति में भेजने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार इस पर भी ध्यान दे । सरकार ने रजिस्ट्रेशन पर तो ध्यान दिया है लेकिन कमेटियों ने जैसे मनोरंजन आदि करों के बारे में जो सिफारिशें की हैं, उन पर सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है । मैं चाहूंगा कि सरकार इधर ध्यान दे और स्थानीय निकायों को लाभान्वित करे क्योंकि यह सभी जगह अनुदानों पर निर्भर रहती हैं और कोई ऐसी निकाय नहीं है जिस पर कर्ज न हो । उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिये आवश्यकता है कि सरकार इस पर ध्यान दे और विरोधी दल के माननीय सदस्यों से मैं कहता हूं कि वे इसके प्रैक्टिकल रूप को देखें और केवल बहस के लिये इसको प्रवर समिति में भेजने का अनुरोध न करें । इसलिये जो संशोधन विरोधी पक्ष की ओर से रखा गया है, उसका मैं विरोध करता हूं जो और बिल सरकार द्वारा रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं स्वतंत्र चुनकर आया हूं इसलिये इस मामले में नहीं पड़ना चाहता हूं कि दलगत दृष्टिकोण रखूं । निष्पक्षता की बात यह है सरकारी पक्ष का दृष्टिकोण और विरोधी पक्ष का दृष्टिकोण जो कुछ भी हो लेकिन वे दोनों इस बात को सोचें कि इसको प्रवर समिति में भेजने से कोई हानि तो नहीं होगी । आप एक कानून में संशोधन करने के संबंध में विचार कर रहे हैं । १९५२ के बाद जो जमींदारी एबोलीशन बिल पास हुआ उसमें आपने कितने अमेंडमेंट किये । आपने जो कानून पास किये हैं उनमें इतने संशोधन किये कि उनकी शक्ल भद्दी कर दी क्योंकि आप बहुमत के जोर पर कानून पास करते हैं । इसलिये इसको प्रवर समिति में सात दिन के लिये रखने में क्या नुक्सान होगा ?

मैं वकील होने के नाते कहता हूं कि इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने से बड़ा लाभ होगा । फतेहपुर म्युनिसपैलिटी का मुझे तजुर्बा है । उसकी बिना पर मैं कहता हूं कि उसने वाटर टैक्स, हाउस टैक्स लगाया, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया । इसमें बहुत से सवाल पैदा होंगे । यह क्रय करने वाले पर लगेगा या विक्रय करने वाले पर लगेगा और किस को देना होगा, इसमें दुनिया भर के प्रश्न उपस्थित होंगे । आप टैक्स बढ़ाकर एक ऐसी मनो-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री दीपनारायणसिंह]

वृत्ति पैदा करेंगे कि एक हजार की जायदाद का सेल डीड ५०० रुपये में लिखा जायगा । इस तरह से आप स्टाम्प ऐक्ट को नष्ट करने की बात करेंगे । मैं सरकारी पक्ष के लोगों से अपील करूंगा कि वे कानूनी दृष्टि से इस सवाल पर विचार करें । कचहरी में मैं रोज देखता हूं कि दस हजार की जायदाद दो हजार में बिकती है । रजिस्ट्रेशन का नुक्सान होता है, रिश्वत बढ़ती है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । आप कर पर कर लगाते चले जा रहे हैं, यह द्रौपदी के चीर की तरह से दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है । आप कर चाहे कितना ही लगाइये लेकिन सोच समझकर कर लगाइये । पहले ही, बिल के शुरू होने पर, आपने कर लगाना शुरू कर दिया । कर लगाना शुरू कर दिया था इसलिये केसकर साहब हारे थे । आप समाज के हित की बात करते हैं तो इसको प्रवर समिति में जरूर भेजिये । टाउन एरिया कमेटियों में कोई देवता नहीं बैठते हैं, वे वहां पर स्वार्थ लेकर बैठते हैं । इसलिये जिस तरह से टैक्स लगता है उसकी तशरीह करनी होगी । इसलिये प्रवर समिति में इसके जाने से हर चीज पर वहां बात हो सकेगी । वहां पर बंदिशें भी लग सकेंगी और उस हालत में उनके हाथ जकड़े रहेंगे और ज्यादा बेइमानी नहीं कर सकेंगे । इसलिये इसको प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता है । इसलिये इसके द्वारा जो टैक्स लगाया जा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार और बेइमानी को रोकने के लिये, इसको प्रवर समिति में भेजना जरूरी है ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं कि—

"The duty imposed by the Indian Stamp Act, 1889, on any deed of transfer of immovable property shall, in the case of immovable property situated within an area to which this Act applies, be increased by 1 per cent on the value of the property transferred, or, in the case of a usufructuary mortgage on the amount secured by the instrument."

माननीय अधिष्ठाता महोदय, तादाद बढ़ जाने से अक्ल नहीं बढ़ा करती है, सत्ता हथिया लेने से अक्ल नहीं बढ़ा करती है। आपके यहां भी कानूनदां होंगे, और इधर भी कानून जानने वाले हैं । उनको इस पर प्रवर समितियों में विचार करने दीजिये जिससे सही आदमियों पर टैक्स लगे । नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन । कोई टैक्सेज, बिना प्रतिनिधित्व के न रहे, यह समाजवादी उसूल है । आपने उसको डिस्कार्ड किया । समाजवाद को सही रूप में रखा जाय । हम नहीं कहते हैं कि टैक्स न लगाया जाय लेकिन ठीक प्रकार से ठीक लोगों पर लगाया जाय । प्रवर समिति में भेज दीजिये । सात दिन का मामला है । उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ेगा । उसमें सोचने समझने के बाद, विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद, आप फिर पेश कीजिये । इन शब्दों के साथ, मैं माननीय कल्पनाथ सिंह के संशोधन का समर्थन करता हूं । मैं समझता हूं कि सरकारी पक्ष इस पर ज्यादा जिद नहीं करेगा ।

*श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके सामने कल्पनाथ जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । आज सुबह से यही विवाद चल रहा है । सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने बार-बार यही कहा कि इसमें किसान और रिक्शा चलाने वालों का नाम आता है, वही एक आधार लेकर वह बहस करते हैं । जो यह कहा गया है कि एक लाख की आबादी, चाहे वह टाउन एरिया हो या म्युनिसिपल बोर्ड हो, चाहे नगर-महापालिका हो, इस आबादी के ऊपर यह टैक्स लगाते हैं । लेकिन यह भी आपको वाजे हो कि जहां-जहां पर एक लाख की आबादी या दो लाख की आबादी होती है वहां पर भी गरीब होते हैं । आज शहरों की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, उसका कारण क्या है ? आज हजारों लाखों की तादाद में लोग देहातों से भाग-भाग कर शहरों में आबाद हो रहे हैं । डकैती के भय से, गरीबी के कारण कहीं रिक्शा चलाते हैं, कहीं पान की दूकान किये हुये हैं, कहीं खोंचा लगाये हुये हैं और अपना जीवन निर्वाह करने के लिये आते हैं । आपके सामने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रत्यक्ष प्रमाण है । पाकिस्तान से भाग कर जो लोग आये उनकी क्या दशाएं हैं । चारबाग स्टेशन पर देखिये । कितने ही साल उन्होंने इसी शहर में झोपड़ी डाल कर, खेमें लगा कर अपनी गुजर की । लेकिन ज्योंही वह कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते हैं त्यों ही एक टूटी-फूटी झोपड़ी बनाने की सोचते हैं । जब उनको जमीन खरीदने का अवसर होता है तो महाजन या जमींदार पहले इस बात को तय कर लेता है कि इतना कर आपको देना पड़ेगा । इस पर जो टैक्स पड़ेगा उसे आपको देना पड़ेगा । उससे हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा । इस तरह से ब्लैक के नाम के ऊपर अन्दर अन्दर पैसा गरीब को देना पड़ता है । यही नहीं है कि बड़े आदमी जो जमीन बेचते हैं उन पर पैसा पड़ता हो । बड़े आदमी अपनी जगह पर बिल्कुल सेफ हैं । जो गरीब जमीन खरीदता है उसी को यह टैक्स अदा करना पड़ता है । तो मैं आपसे यह बता रहा था कि किसानों का नाम यहां पर लिया जाता है तो किसान और रिक्शा चलाने वाले आज जिस दृष्टि से देखे जाते हैं एक महीना पहले कभी उनके प्रति ऐसे शब्द सपने में भी नहीं निकाले जाते थे । लेकिन आज वह समय बीतने के बाद उनके नाम के ऊपर यह मखौल हो रही है । क्या आप समझते हैं कि विरोधी दल वाले किसान और रिक्शा चलाने वालों का नाम लेकर के अपनी बात कायम रखे हुये हैं । यह बात नहीं है । वास्तव में जो असलियत है उसी को कहना पड़ता है । अभी यह बताया गया कि गरीबों के मुहल्लों में शहरों के अन्दर इस रुपये से नालियां और खड़ंजे लगाये जायेंगे । बाहर की बात जाने दीजिये, कानपुर और लखनऊ के मुहल्लों को आप देख लीजिये । चौक के पश्चिम के मुहल्लों को आप देखें, कानपुर में क्लेक्टरगंज बाजार को देखें जहां अरबों रुपये का माल रोजाना बिकता है । लेकिन अगर कहीं आपको पेशाबघर या टट्टी के अन्दर जाने की आवश्यकता हो तो कदापि हिम्मत नहीं पड़ेगी । पाखाने की खुड्डियां आपको भरी हुई मिलेंगी । कानपुर की यह हालत है और लखनऊ का तो कहना ही क्या है । जिन्दा सबूत है सामने किसी वक्त पता लगा सकते हैं । हमारे सदस्यगण रोजाना आते जाते हैं देखते होंगे । लेकिन अपनी बात बनाने के लिये, अपने कानून को पास करने के लिये वह सभी बातें कह सकते हैं । उनको अधिकार है, उनका बहुमत है, चाहें जितना टैक्स लगा लें । वह तो कहिये एक का दो ही कर रहे हैं, अगर एक का दस भी करना चाहें तो क्या किसी की ताकत है कि वह उनको रोक दे । लेकिन नहीं, सत्तारूढ़ होने के बाद भी, पावर हाथ में आने के बाद भी दुनिया की गरीबी, दुनिया की बेकारी, दुनिया की जटिल समस्याओं के ऊपर उनको विचार करना चाहिये । यह नहीं होना चाहिये कि हमको पावर है, हम मनमाने ढंग से, जो चाहें करें ।

मैं आपसे श्रीमन्, बतलाऊं कि जिस गरीब देश में करोड़ों आदमी भूखे, नंगे और बेकार हों वहां अभी पिछले वर्ष की बात है शायद, एक विदेशी कोई महिला आई हुई थीं उनके ऊपर ३० करोड़ रुपया सर्फ किया गया । ऐसे गरीब देश के लिये क्या यह उचित बात थी ? इसी तरह से बहुत-सी मदें ऐसी हैं कि जिनमें बिल्कुल फिजूलखर्ची चल रही है । उनके ऊपर सरकार को कुछ प्रतिबंध लगाकर रुपया बचाना चाहिये और गरीबों के ऊपर नया टैक्स नहीं लादना चाहिये । इसलिये माननीय कल्पनाथ सिंह का जो यह संशोधन है कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाय, इसे मान लिया जाय और इस टैक्स को खत्म किया जाय । इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री रामकिशोर (जिला फतेहपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकारी पक्ष की ओर से कल जो उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) संशोधन विधेयक, १९६२ पर विवाद उपस्थित हुआ था उसका कुछ सुझावों के साथ मैं समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं और विपक्ष की ओर से जो यह संशोधन उपस्थित हुआ था कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय उसका विरोध करने के लिये उपस्थित हुआ हूं । दोनों पक्षों की ओर से इस बिल पर जो विवाद जारी रहा उसको मैंने सुना और समझने की कोशिश की । सरकारी पक्ष की ओर से उस बिल को आवश्यक बताया गया और विरोधी पक्ष की ओर से कहा गया कि यह प्रवर समिति

[श्री रामकिशोर]

में भेजकर इसके अधिकार और इसकी सारी बातों पर विचार किया जाय। मैं समझता हूं कि जो दोनों तरफ से तर्क पेश किये गये वह करीब करीब एक से हैं। ऐसा मालूम हुआ कि विपक्ष जो यह कर बढ़ाने की बात है उससे सहमत है। केवल प्रवर समिति में भेजकर उस पर विचार करने की बात करता है।

अब देखना यह है कि इसका जो प्राविधान किया गया है कि एक प्रतिशत या दो प्रतिशत बढ़ाया जाय, वह आवश्यक है अथवा अनावश्यक। मैं इस मामले को समझने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोनों पक्ष इस बात को समझते हैं कि यह आवश्यक है और इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब प्रश्न यह है कि इस टैक्स को कैसे लगाया जाय। इस सम्बन्ध में जहां तक मेरा सुझाव है मैं तो यह चाहता हूं कि इस बिल के साथ इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाय कि इसमें जो यह दो प्रतिशत बढाने की बात है उसमें आधा टैक्स तो क्रय करने वाला दे और आधा जो विक्रय करता है वह दे। इससे इस बिल की उपयोगिता साफ हो जायगी और क्रेता और विक्रेता दोनों पर इस कर का बोझ बट जायगा और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि यह बिल जो प्रस्तुत हुआ है उसका, मैं इस सुझाव के साथ समर्थन करता हूं और विपक्ष से, आपके माध्यम से यह प्रार्थना करता हूं कि वह प्रवर समिति में जाने का अपना प्रस्ताव वापस लेलें और जैसा कि स्वतः उन्होंने स्वीकार किया है सूची में लगी प्रतिशत की बात को मान लिया जाय। सरकारी पक्ष भी मेरे सुझाव के साथ इस बात को स्वीकार कर ले और मैं इस बिल का हार्दिक समर्थन करता हूं।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने छोटे से बिल पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। जब से यह बिल इस सदन में उपस्थित हुआ है एक तरफ से यह कहा जाता है कि यह बिल टैक्स बढाने के लिये आया है इसलिये इसको पास नहीं करना चाहिये बल्कि इसको एक प्रवर समिति के सामने भेज देना जरूरी है। दूसरी तरफ बिल इतना छोटा है और उसका संशोधन इतना छोटा है कि उसको जल्दी से पास कर लेना चाहिये। हमारे साथी यदि इतने छोटे बिल और इतने छोटे संशोधन को पास करने में टालमटोल करें और उसको प्रवर समिति में भेजने की बात करे तो बहुत अच्छा नहीं हो। अधिष्ठाता महोदय, हम समझ नहीं सकते कि कौन ऐसी गवर्नमेन्ट होगी चाहे वह इस सूबे की हो या हिन्दुस्तान के दूसरे सूबे की जो टैक्स न चाहे। बाहर के किसी मुल्क में चाहे किसी नाम से लोग असेम्बलियों और कौंसिलों में बैठते हों हर कहीं टैक्स लगाये जाते हैं। जहां कुछ काम होगा उस के लिये टैक्स लगाया जायगा। जब सरकार मिलों पर, पूंजी पर, आमदनी पर टैक्स लगाती है तो वह सब गलत होता है लेकिन उसी के साथ भावना और इच्छा यह है कि शहरों की सफाई का, नालियों का, सड़कों का प्रबंध होना चाहिये। तरक्की हो, काम हो लेकिन उस के लिये टैक्स न लगाया जाय यह बात कही जाती है। यह मेरी समझ में नहीं आती कि कौन ऐसे लोग होंगे कि जिन पर टैक्स लगाया जा सकता है और बिना टैक्स लगाये कैसे हम शहरों और गांवों की तरक्की और भलाई कर सकते हैं। इसलिये मैं अपने विरोधी भाइयों से निवेदन करूंगा कि अगर आप इस बिल को प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं तो उस के पहले आपको चाहिये कि निकायों में जहां आपको टैक्स लगाये जाने में गलती मालूम होती हो, जहां पता लगता हो कि गरीबों पर टैक्स लग रहा है, वह गलत है तो उसके लिये आप सरकार से अपील करें, आवश्यक हो तो संशोधन विधेयक लायें या और कोई तरीका अपनायें लेकिन जहां गरीब मुसीबत में है, परेशान है और उसकी परेशानी को दूर करने के लिये टैक्स बढ़ाया जाता है उसके लिये बिल लाया जाता है, उसे प्रवर समिति में भेजने की बात कहना कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिये मैं अपील करता हूं कि जिस ढंग से यह बिल सरकार ने पेश किया है उसे उसी ढंग से पास कर देना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं उप मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और विरोधी पक्ष की ओर से जो प्रवर समिति में भेजने की बात है उसका विरोध करता हूं। मेरे समर्थन और विरोध के कुछ कारण हैं। आज जब हमारा मुल्क आजाद है और हम चाहते हैं कि बड़े बड़े शहरों और टाउन्स का इंप्रूवमेंट हो, वहां अन्य देशों की तरह नागरिकों को आधुनिक युग की सुविधा प्राप्त हो, तो निस्संदेह हमें वहां के साधनों को बढाना पड़ेगा, वहां की आमदनी को बढाना पड़ेगा ताकि वहां का विकास हो सके। विरोधी पक्ष की ओर से कहा गया कि जो टैक्स बढ़ाये जाने की बात है वह अनुचित है। मैं कहता हूं कि यह जस्टीफाइड है और इसकी उपयोगिता इस बात में है कि इसके द्वारा आय बढाने से गरीबों का फायदा होगा। इसका असर गरीबों पर कम पड़ेगा और अमीरों पर, जिनके पास संपत्ति अधिक है, असर ज्यादा पड़ेगा और इससे जो आमदनी होगी उससे गरीबों की बस्तियों का, मकानों का, उनके मोहल्ले की गलियों का इंप्रूवमेंट हो सकेगा। उनको दैवी आपत्तियों से बचाया जा सकता है। इस संशोधन विधेयक द्वारा जो आमदनी बढ़ेगी उससे पिछड़ी बस्तियों का सुधार और विकास हो सकता है। तो यह जो टैक्स के संबंध में संशोधन विधेयक है इसकी मुखालफत तो तब होनी चाहिये जब कि सरकार किसी गलत काम में उसका उपयोग करे। जब इसका सदुपयोग होगा और सदुपयोग के लिये सरकार इस विधेयक को लाई है तो उसका माननीय विरोधी सदस्यों को विरोध नहीं करना चाहिये। यदि आप चाहते हैं कि बड़े बड़े नगरों में सब प्रकार की सुविधायें हमको दी जायं तो आपको इसका समर्थन करना चाहिये। मैंने देखा कि नगरों में मजदूरों के लिये मजदूर कालोनी बनाई गयी हैं। उनको अनेक सुविधायें भी दी जा रही हैं। गरीब आदमी खुद मकान नहीं बना सकता है। नगरपालिकायें और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा ही यह काम किये जा रहे हैं तो इसके लिये पैसे की जरूरत है। अतः मैं इस प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और जो प्रस्ताव विरोधी पक्ष की तरफ से आया है उसका विरोध करता हूं।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जिसमें इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने और उसके अधिकारों को बढाने का प्रस्ताव किया गया है। मैं प्रारम्भ में इस बात को बता देना चाहता हूं, मैं इस राय का हूं कि अगर प्रजातंत्र को मजबूत बनाना है तो स्वायत्त शासन की इकाइयों को मजबूत बनाना होगा और जब हम उसके मजबूत होने की बात करते हैं तो यह बात निश्चित है कि उनकी आय के स्रोत चाहे वह नगरपालिका हो, अंतरिम जिला परिषद हो, गांव पंचायत हो या और कोई इकाई हो उसे बढाना भी नितान्त आवश्यक है। आज अनुभव यह बताता है कि संस्थायें अपने कार्यों का सम्पादन ठीक ढंग से नहीं कर पाती हैं और वह केवल इस कारण कि उनकी आय सीमित है और नतीजा यह होता है कि वे या तो सरकारी कर्ज पर या सरकारी अनुदान पर निर्भर रहती हैं। इस कारण वे उन विकास कार्यों को भी जिनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, नहीं कर पाती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुये जब लोकल फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी बिठाई गयी थी तो उसने इस बात के ऊपर विचार किया था कि वह कौन से साधन होंगे, कौन सा मार्ग होगा जिसके जरिये स्वायत्त शासन इकाइयों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। उसने इस बात को ध्यान में रखते हुये इस तरह की सिफारिशों की कि किन साधनों से आय बढ सकती है। जिन साधनों से आयें होती हैं उन साधनों का बटवारा इस प्रकार से होना चाहिये यह उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि स्वायत शासन की इकाइयां अपने कार्यों का सम्पादन सुचारु रूप से कर सकें। मैं समझता हूं कि भिन्न भिन्न स्तरों पर इस बात पर विचार किया जा चुका है और इसी सदन में निरंतर यह आवाज उठती रही है कि यदि गांव सभाओं का संचालन ठीक तरह से करना है तो लगान का २५ फीसदी गांव सभाओं को मिलना चाहिये। यही नहीं कि हम ही उठाते रहे हैं बल्कि सरकार द्वारा निर्मित एक इवैलुएशन कमेटी, जिसके सभापति गोविन्द सहायजी थे, जो आज सरकार में हैं उसने सिफारिश की थी कि २५ फीसदी का लगान भार गांव सभा को दिया जाय। जिस फाइनेंस कमेटी की

[श्री चन्द्रजीत]

सिफारिश को ध्यान में रखते हुए आज सरकार इस संशोधन को ला रही है, स्वयं उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि यदि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को सुचारु रूप से काम करने देना है तो लैंड रेवेन्यू का २५ फीसदी उसको मिलना चाहिये जबकि गांव सभाओं का निर्माण नहीं हुआ था तभी यह सिफारिश की थी कि सरकार को इंटरटेनमेंट टैक्स से जो आमदनी होती है, सेल्स टैक्स से जो आमदनी होती है उसका एक हिस्सा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को मिलना चाहिये। मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं कि जहां एक तरफ यह दलील दी जा रही है सरकारी पक्ष की तरफ से कि इंप्रूवमेन्टट्रस्ट की आय के साधनों को बढ़ाना चाहिये और मैंने स्वायत्त शासन विभाग और मंत्री जी से भी जानने की कोशिश की कि इस एक परसेंट सरचार्ज से कितनी आय होती थी और दो परसेंट होने पर कितनी हो जायगी, लेकिन पता नहीं चला। इस समय सौभाग्य से या दुर्भाग्य से केवल एक इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट गाजियाबाद का है। इससे पहले जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट थे वह कारपोरेशन बनने के बाद समाप्त हो गये। भविष्य में सरकार और भी बनायेगी और बनाने चाहिये। यदि अपने शहरों का नव-निर्माण करना है और वहां के स्वास्थ्य और आवासों की अच्छी व्यवस्था करनी है तो और इंप्रूवमेन्ट ट्रस्ट खुलने चाहिये। मैं समझता हूं कि आज गम्भीरता से इन सारी बातों पर विचार करना चाहिये जिससे उनकी आय के साधन बढ़ सकें। मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि गाजियाबाद के इंप्रूवमेन्ट ट्रस्ट की आमदनी कितनी थी और कितनी हो जायगी, उसके आंकड़े मालूम करें। अभी तक रिपोर्ट नहीं थी। मैं भी चाहता हूं कि बढ़नी चाहिये। तो जब ऐसी बातें हैं और विरोधी दल की तरफ से ऐसी बात रही है तो इसमें आपको क्या एतराज हो सकता है। प्रवर समिति में विधेयक जाते हैं तो सुचारु रूप से विचार-विमर्श होता है, ठंडे दिल से लोगों को बैठने का मौका मिलता है, लोग तैयार हो कर जाते हैं तो काम ठीक प्रकार से होता है। आय बढ़ाने का यही एक रास्ता है तो यह गलत रास्ता है। अगर सरकार को कोई आय उन्हीं इलाकों से प्राप्त हो रही है जिसमें इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट काम करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि वहां से प्राप्त आमदनी का कुछ भाग वहीं के निर्माण के लिए न दिया जाय।

इन्हीं बातों के साथ मैं समझता हूं कि सरकार को इस गम्भीर विषय पर ध्यान देना चाहिये और मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करें। हमारी तो शिकायत करते हैं कि हम हर प्रस्ताव को प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति को देने की मांग करते हैं लेकिन हम भी शिकायत कर सकते हैं कि हमारे प्रत्येक संशोधन को अस्वीकार कर दिया जाता है। तो ऐसी परम्परा न डालें। यह जो आप इनकार करने की परम्परा डाल रहे हैं यह उचित नहीं है। इस प्रकार के जो आवश्यक संशोधन आते हैं उन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि मंत्री जी इनको मानें और एक कमेटी और बिठा दें, इस बात की जांच करने के लिये कि लैंड रेवेन्यू का कितना हिस्सा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को मिलना चाहिये और कितना हिस्सा पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों को मिलना चाहिये। दूसरी बात यह कि सरकार जो इनको कर्जा देती है उसका ब्याज क्या हो। जैसा कि फाइनेंस इन्क्वायरी कमेटी के एक माननीय सदस्य ने कहा था जिस दर पर सरकार कर्जा लेती है उसकी चौथाई दर पर स्थानीय निकायों को कर्जा देना चाहिये। तो यह गंभीर सवाल है। सरकार एक कमेटी की सिफारिशों के एक छोटे पहलू को पकड़कर यह संशोधन ले आई लेकिन मुख्य सिफारिशों के लिये अपनी आंखें मूंदे हैं, यह उचित नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि जब तक सरकार कोई और कदम नहीं उठाती तब तक इस बिल को ही प्रवर समिति में जाने दें और वहां इस पर विचार किया जाय।

*श्री कल्पनाथसिंह—श्रीमन्, सबसे पहले तो मैं एक माननीय सदस्य का उत्तर देना चाहता हूं जो कि शायद इस समय यहां मौजूद नहीं हैं, और जो कल रूपक की बात कह रहे थे। मैं गांव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गिना सकता हूं, मेरे पास नाम मौजूद हैं कि कौन गांव लिये गये कानपुर शहर के डेवलपमेन्ट के नाम पर और शायद माननीय सदस्य ने उधर गौर भी नहीं किया था कि मैंने कहा था कि करीब करीब २०० गांव उसमें ले लिये गये। तो गांव में रहने वाले आदमी को माननीय सदस्य किसान मानें या न मानें। और भी बहुत से सदस्यों ने किसान और मजदूर शब्द का बड़ा खुलकर प्रयोग किया और कुछ लोगों ने तो जरा मीठे मीठे स्वर में मजाक भी उड़ाने की कोशिश की। लेकिन सोचना चाहिये कि आखिर गांव में रहने वाला किसान अगर किसान नहीं है तो है क्या? जमीने कुछ एक्वायर की गई हैं और एक्वायर की गई जमीनों को ही उन्हीं काश्तकारों को फिर से खेती के लिये नीलाम की गई। यह क्या है? किसान की बात नहीं है तो क्या मिल लगाने की बात है? किस लाभ के लिये पट्टे या ठेके पर जमीन दी जाती है? १९४८ से जमीन एक्वायर की गई और आज तक उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यही कहा जायगा कि फिर टैक्स लगाने दीजिये। ठीक है लगाइये टैक्स। या तो यह सिद्धान्त तय कीजिये कि टैक्स उस पर लगायेंगे जिसकी पाकेट में पैसे होंगे या फिर जो भीख मांगता होगा उस पर। यहीं से शुरू कीजिये कि जो सबसे ज्यादा गरीब होगा उस पर टैक्स लगेगा और जो सबसे ज्यादा अमीर होगा उस पर कम टैक्स लगेगा। जब गरीब मजदूर और किसान की बात कही जाती है तो कहते हैं कि यह शहरों में कहां से आगये। मुझे खुशी होगी यदि एक लाख से ऊपर वाले शहरों में टैक्स लगे लेकिन उसके साथ साथ यह जो एक परसेन्ट का बहुत ही मामूली इजाफा हाव भाव के साथ कह दिया जाता है उसको १०० परसेन्ट क्यों नहीं कहते यह कोई मामूली इजाफा है? श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसानों की जमीनें ली गयी हैं उनका इस इम्प्रूवमेन्ट से कोई वास्ता भी नहीं है। मुझे खुशी होगी अगर माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन जगहों को अपने इम्प्रूवमेन्ट के नाम पर लिया है उन पर कितनी मील लंबी सड़कें बनायी गयीं, कितनी जमीन अस्पतालों को अलाट की गयी, कितनी पर स्नानागार बनाये गये और कितने घरों में पानी देने के लिये टोंटी लगायी गयी।

यह भी कहा गया कि आखिर प्रवर समिति में भेजने के लिये क्यों कहा जाता है। लेकिन महज प्रवर समिति में भेजने की बात तो मेरे प्रस्ताव में थी नहीं। मेरे संशोधन में तो उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की बात थी। श्रीमन्, आपको भी थोड़ी गलतफहमी हो गयी। जब आप उस पक्ष के समर्थन में कुछ कह रहे थे इसलिये आपने उसका विरोध किया। अगर उस अधिकार क्षेत्र को बढा दिया जाय तो मेरा विश्वास है कि उस समिति में इस प्रकार का सुझाव भी दिया जा सकता है जिसका जिक्र माननीय चन्द्रजीत जी ने किया। मंत्री जी ने जो उद्देश्य और कारण बताये हैं उसमें भी सेल्स टैक्स और एन्टरटेनमेंट टैक्स का जिक्र है। उसमें सदन को नया टैक्स लगाने का अधिकार भी दिया जा सकता है, यदि वह उचित हो। जब हम खुद भी यह समझते हैं कि स्थानीय निकायों को सरकार अपनी मर्जी पर रखे हुए है उनको परमुखापेक्षी बनाये हुए है तब अगर उनको ऐसे अधिकार दिये जायं जिनसे वे अपने काम को अच्छी तरह से चला सकें तो यह एक कदम एक बढता हुआ कदम होगा और डिसेंट्रलाइजेशन की ओर ले जाने वाला होगा। प्रवर समिति में जाने पर मेरा ख्याल है इस पर भी कुछ प्रकाश पड़ जाता। कुछ माननीय सदस्यों की ओर से बार बार यह आक्षेप किया जाता है कि सदन के समय का दुरुपयोग हो रहा है अगर ऐसा हो रहा था तो जैसा कि कल और परसों उस पक्ष के लोगों ने क्लोजर मूव किया किया था, अपनी संख्या तो अधिक है ही, क्यों इतना पछताते हैं, क्लोजर मूव करके हाथ उठवा लेते, फिर बहस बन्द हो जाती। उल्टी तोहमत इधर बैठने वाले लोगों पर क्यों लगायी जाती है? यह बात कुछ अच्छी नहीं मालूम पड़ती कि हम लोगों के लिये तो यह कहा जाता है कि प्रेस गैलरी के जरिये सस्ती ख्याति प्राप्त करने का यह एक अच्छा तरीका है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि जो स्वतः इसके लिये गुनहगार है वह दूसरे को इसी प्रेस गैलरी के द्वारा गुनहगार साबित करने की कोशिश करता है, तो यह कहां तक उचित है। मैं उन माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे जरा ठंडे दिल से इन बातों पर सोचें और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इस सदन में जरा कम करें तो अच्छा होगा।

[श्री कल्पनाथसिंह]

श्रीमन्, एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि इसको प्रवर समिति में भेजने की बात ही क्या है, दूसरे यह कि यह बहुत छोटी-सी बात है। हां, अमेंडमेन्ट आवे तो उस पर बिचार किया जा सकता है। वे सरकार के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और मैं यह समझता हूं कि जिम्मेदारी से यह बात उन्होंने कही होगी। दो संशोधन हैं, एक तो माननीय कमलासिंह जी का है और दूसरा श्री टम्बरेश्वरीप्रसाद जी का है। इन दोनों संशोधनों में किस पर वे गौर करने के लिये तैयार हैं, अगर माननीय मंत्री जी राय करके बतलावें तो मैं अपना यह संशोधन जो प्रवर समिति में भेजने का है, उसे वापस ले लूं। क्योंकि यह एक अच्छी व स्वस्थ परम्परा होगी। लेकिन यह बतलाने का कष्ट उन्होंने नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि महज कुछ आवेश में वे इस प्रस्ताव के बारे में बोल गये। इसलिये मैं उनसे आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि अगर यह काम नहीं हो सकता कि अमेंडमेन्ट बाद में हो, तो थोड़ी यह रियायत बरतें कि यह प्रवर समिति में चला जाय, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है।

रिक्शे वालों की बात और मजदूरों की बात भी कही गयी कि रिक्शे वालों को क्यों घसीटा गया इसमें। ये शहर के रिक्शे वाले तो वही हैं जिनके बारे में आपके पक्ष के एक आदमी ने जिक्र किया कि गन्दी बस्तियों में, गरीबों की बस्तियों में दवाई की जरूरत है, पानी की जरूरत है, आदि आदि। मैं यह समझता हूं कि स्वतः उस माननीय सदस्य के भाषण को उन लोगों ने सुना होगा, तो वह उन्हीं के उत्तर के लिये काफी था। माननीय सदस्या, इलाहाबाद ने यह कहा कि जनता इस टैक्स की आदी हो गयी है। जरूर वह आपके जुल्म सहने की आदी हो गयी है, वरना उस पक्ष के लोग वहां नजर नहीं आते, यह बात सही है, मैंने माना। लेकिन मैं हैरत में तब पड़ गया कि माननीय सदस्या जो इलाहाबाद शहर की एक कारपोरेटर हैं और शायद उन्होंने अपनी इस बात पर गौर नहीं किया। मैंने यह कभी नहीं कहा कि आमदनी न बढ़ायी जाय, आमदनी जरूर बढ़ायी जाय लेकिन आय बढ़ाने के साथ-साथ यह भी देखना है कि आय का स्रोत क्या है यह जो आय बढ़ाई जा रही है यह आ कहां से रही है? अगर वह आय ऐसी जगह से आ रही हो कि जिस जगह से आने पर देने वाले पर कोई बोझ न पड़ता हो और उसकी रीढ़ की हड्डी न टूटती हो तब तो बहुत अच्छा है। अगर मुस्कराते हुए कोई आदमी दान स्वरूप, कर्त्तव्य स्वरूप इस कर भार को सहन करने के लिये तैयार हो जाय तब तो बहुत अच्छी बात होगी लेकिन अगर हाथ मल कर, रोते हुए, तड़पते हुये और मरते हुए दवा के पैसे के रूप में इस टैक्स को अदा करे, कफन के पैसे खर्च करते वक्त अगर उसको इस पैसे का ख्याल आ जाय तो श्रीमन्, यह काम कोई अच्छा काम न होगा।

मैं आय का स्रोत बढ़ाने का जिक्र कर रहा था। इस पर मतभेद है और शायद प्रवर समिति में जाने की बात, मेरा ख्याल है कि उसमें चूंकि अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की बात निहित है इसलिये मंत्री जी का और बोझ हल्का हो सकता है और माननीय सदस्या इलाहाबाद को भी अधिक सन्तोष होगा कि उनकी महापालिका की आय को प्रवर समिति ने और बढ़ा दिया। उनको तो खास तौर से मेरे प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिये था और अब भी मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों को सुनने के बाद, चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों, यहां तक कि मैं माननीय मंत्री जी से भी आशा करता हूं कि वह भी इसे कबूल करेंगे।

स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में इसमें एक चीज और जुड़ी हुई है जिसका कि यहां जिक्र हुआ, वह मारगेज वाली बात है। यह तो विवादग्रस्त हो सकता है कि खरीदने वाला यह स्टाम्प ड्यूटी दे या बेचने वाला दे, लेकिन अनुभव यह कहता है कि बेचने वाला ही देता है क्योंकि वह गर्जमंद होता है। जैसे देहात में जो आदमी जमीन बेचने जाता है तो खरीदने वाला सब से पहले यह पूछता है कि तुमने भूमिधरी सनद ली या नहीं। तो सौरदार पहले दसगुना दाखिल करता है तब वह जमीन बेचने का अधिकारी होता है। इसी तरह से अगर इन जमीनों के बारे में भी खरीदने वाला पूछेगा या रेहन रखने वाला पूछेगा कि यह बताओ कि यह जो अधिक कर के पैसे होंगे वह कौन देगा? जो पैसा देता है यह तो नहीं चाहेगा कि वह पैसा स्टाम्प

ड्यूटी में मुजरा कर लिया जाय, वह तो चाहेगा कि १०० रुपया वापस दो तब मिल्कियत वापस होगी लेकिन जब स्टाम्प ड्यूटी का सवाल पैदा होगा तो वह स्टाम्प ड्यूटी गिरवीं रखने वाले आदमी को ही देनी पड़ेगी, ऐसा मुझे महसूस होता है। क्योंकि लेने वाला आदमी स्टैम्प ड्यूटी देकर गिरवी लेगा, यह बात तो कुछ समझ में नहीं आती। और जरूरतमन्द आदमी अपनी जरूरत का शिकार होने के नाते लाजिमी है वह साहूकार की शर्तें कबूल कर ले। तो उस पर दोहरा बोझ पड़ता है, एक तो टैक्स का और दूसरे खर्चे का। इसलिये मेरा यह ख्याल था कि शायद समिति इस अंग को अनुपयुक्त समझती और इसको निकाल देती, कोई दूसरा रास्ता इसकी जगह सोच सकती थी। अतः मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें और इस विधेयक को जैसा कि वह प्रस्तुत हुआ है प्रवर समिति में भेजने का फैसला करें।

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बात का दुख है कि इस बिल के बारे में कुछ माननीय सदस्यों को और प्रेस को भी भ्रम रहा है। क्योंकि आज जो मैंने प्रातः 'स्वतंत्र भारत' अखबार देखा उसमें भी कुछ भ्रमपूर्ण बातें लिखी गई हैं। इस विधेयक का संबंध केवल .....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी आपको ऐड्रेस कर रहे हैं या प्रेस को ?

श्री अधिष्ठाता—अपनी बात स्पष्ट करने के लिये प्रेस को कहने का तो अधिकार उनको है।

श्री जयराम वर्मा—मैं प्रेस को ऐड्रेस नहीं कर कर रहा हूं। इस बिल का संबंध केवल यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, १९१९ के अधीन स्थापित इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्टों से है। उनकी सीमाओं के भीतर अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर, हस्तांतरित संपत्ति के मूल्य पर या अगर वह मार्गेज हुई हो। प्रापर्टी तो मार्गेज मनी पर एक प्रतिशत अधिकार, सरचार्ज लगाने के अधिकार इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्टों को है। यह अधिकार १९४८ में उनको दे चुके हैं। इस विधेयक के द्वारा उस अधिकार को बढ़ाने का प्रस्ताव है, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट सरचार्ज १ प्रतिशत के स्थान पर २ प्रतिशत लगा सकेंगे। ऐसा प्रस्ताव किया गया है। यह एक छोटा-सा विधेयक है, इसके सिद्धान्त को यह सदन बहुत पहले स्वीकार कर चुका है। जहां तक इसके रेट का सवाल है वह रेट भी सदन बहुत पहले स्वीकार कर चुका है जिसको मैं आगे बताऊंगा। इस विधेयक को प्रवर समिति में ले जाने के जो कारण बताये गये, वे कुछ उचित से प्रतीत नहीं होते। प्रस्तावक महोदय ने कारण यह बताया है कि इसका प्रभाव गरीबों पर पड़ेगा क्योंकि बेचने वाले सब गरीब होते हैं। उनका यह ख्याल सही नहीं है। बेचने वाला गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। उसी तरह से खरीदने वाले की छोटी हैसियत भी हो सकती है और बड़ी हैसियत भी हो सकती है। लेकिन इसका प्रभाव अधिकतर उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जिनके पास पैसा अधिक है, न कि गरीबों पर। हस्तांतरित प्रापर्टी के मूल्य पर यह लगेगा। यह ठीक नहीं है कि केवल बेचने वाला ही यह स्टाम्प ड्यूटी देगा। खरीदने वाला भी देगा और अगर उनके बीच में कोई समझौता हो जाता है तो दोनों देंगे। इसलिये यह कारण कि गरीबों पर इसका प्रभाव पड़ेगा जिसके कारण इस प्रवर समिति में जाना चाहिये, ठीक नहीं है। प्रस्तावक महोदय का यह भी कहना कि प्रवर समिति में राजस्व के और स्रोतों को सोचा जा सकेगा, यह भी ठीक नहीं है क्योंकि इसका भी प्रभाव इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के भीतर रहने वाले लोगों पर पड़ेगा। कोई भी और स्रोत आप सोचेंगे राजस्व का, तब भी भार उन्हीं पर पड़ने वाला है, किसी दूसरे पर नहीं। अगर इतना भार यह माननीय सदन स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो और स्रोत वह कैसे प्रवर समिति में निकाल कर देगा कि जिनके द्वारा वहां के निवासियों पर और टैक्स लग जाय। इसलिये जो कारण रखा गया है वह किसी तरह से इसे प्रवर समिति में ले जाने के लिये उचित नहीं प्रतीत कराता।

माननीय चन्द्र जीत यादव ने एक बात यह कही कि अगर प्रवर समिति में यह विधेयक जायेगा तो यह सोचा जायगा कि इंटरटेनमेंट और सेल्स टैक्स का अधिकार इन स्थानीय निकायों

[श्री जयराम वर्मा—]

को मिल जाय। इसके ऊपर लोकल फाइनेन्स इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है। वह गवर्नमेन्ट के सामने है। तो कोई नई बात के लिये माननीय सदस्य ले जाना नहीं चाहते या कोई नई बात माननीय सदस्य सदन के सामने रखते कि इस तरह का टैक्स सोचेंगे जिससे जनता के ऊपर भार नहीं पड़ेगा तब तो इसका औचित्य प्रतीत होता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है।

जहां तक सेल्स टैक्स और इंटरटेनमेन्ट टैक्स का सवाल है वह मामला सरकार के बिचाराधीन है। उस पर कुछ दिन में मेरे ख्याल में निर्णय होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि अगर गवर्नमेन्ट कुछ हिस्सा इंटरटेनमेन्ट और सेल्स टैक्स का स्थानीय निकायों को दे भी दे तो उससे मसला कैसे हल होने वाला है? गवर्नमेन्ट को योजनाओं को चलाने के लिये बहुत से पैसे की जरूरत है। जितना पैसा सरकार के पास है वह काफी नहीं है। उस पैसे में कुछ भी पैसा अगर वह स्थानीय निकायों को देती है तो उस रुपये की पूर्ति वह दूसरे जरायों से करेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि फिर टैक्स से रुपया लेना ही है उसे चाहे सरकार लगाये, चाहे स्थानीय निकायों के जरिये लगे। अब प्रश्न यह है कि क्या टैक्स के बारे में विकेन्द्रीकरण न किया जाय? क्या इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है? अगर सरकार टैक्स लगा कर उसका कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों को बांटती है तो यह ठीक नहीं है। उनको भी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी तभी वे उसके औचित्य को महसूस करेंगे और समझ कर लगायेंगे।

इसलिये यह जो संपत्ति के हस्तांतरण के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्टों को दिया गया है वह उचित ही है और चूंकि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एक विशेष स्थिति में बनाये जाते हैं, उनको अपने बड़े-बड़े विकास के कार्यक्रमों को चलाने के लिये काफी रुपये की जरूरत होती है जिसके लिये उनको दिक्कत होती है। इसलिये उनके अपने कुछ साधन हो, यह सरकार के सामने बिचार रहा है और इसीलिये यह टैक्स की दर को बढ़ाया गया है। जहां तक सिद्धान्त का सवाल है, मैं पहले ही बतला चुका हूं कि ४८ में यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेन्ट एडाप्टेशन ऐक्ट पास हुआ था और उसके द्वारा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्टों को १ परसेंट सरचार्ज लगाने का अधिकार दिया गया था। तो यह सिद्धान्त पहले स्वीकार हो चुका है। सन् ४५ में एक कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेन्ट ऐक्ट पास हुआ था। उसके द्वारा उस डेवलपमेन्ट बोर्ड को २ परसेंट सरचार्ज लगाने का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा सन् ५९ में जब इस माननीय सदन ने उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम पास किया उस समय भी महानगर पालिकाओं को २ प्रतिशत सरचार्ज लगाने का अधिकार दिया था तो यह अधिकार पहले से ही हम मंजूर कर चुके हैं, कोई नयी बात नहीं है जिसके बारे में आज एतराज पैदा हो।

जो और नगरपालिकायें हैं, जिनकी जनसंख्या १ लाख या उससे ज्यादा है वहां अभी इस तरह का सरचार्ज लगाने का अधिकार नहीं है। उनका मामला भी विचाराधीन है और उससे संबंधित संशोधन विधेयक बहुत जल्द इस सदन के सामने आने वाला है।

अगर माननीय सदस्य दूसरे स्थानों पर भी देखें तो वहां भी इस तरह के सरचार्ज लगाने का अधिकार पहले से ही प्राप्त है। कलकत्ता इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ऐक्ट, १९११ में पास हुआ था। वहां भी २ परसेंट सरचार्ज लगाने का अधिकार है। मद्रास में तो इस टैक्स की दर बहुत ऊंची है। मद्रास म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९२० के द्वारा ५ परसेंट सरचार्ज लगाने का अधिकार है। मद्रास लोकल बोर्डस ऐक्ट, १९२० के द्वारा ४ परसेंट और मद्रास विलेज पंचायत ऐक्ट १९५० के द्वारा ४ परसेंट सरचार्ज लगाने का अधिकार मिला हुआ है। इसलिये सरचार्ज की दर लगाने का अधिकार इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट्स को हम दे रहे हैं वह ज्यादा नहीं है बल्कि दूसरे स्थानों के मुकाबले में कम ही है। लिहाजा यह कहना कि इसका बहुत बड़ा भार गरीब जनता पर ही पड़ेगा मुनासिब नहीं है।

जहां तक इसका सवाल है कि यह दर कितनी होनी चाहिये, इस पर यही बिचार हो सकता है, प्रवर समिति में जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यह दर तो दूसरे स्थानों को देख कर और पहले से ही जो अधिकार यह माननीय सदन दे चुका है उसको सामने रख कर नियत की गयी

है और मुनासिब मालूम पड़ती है। लेकिन दर के बारे में यहां आसानी से बिचार हो सकता है, प्रवर समिति में जाने का कोई सवाल नहीं है।

एक प्रश्न यह उठाया गया कि अगर सेल हो तब तो इस तरह का सरचार्ज लगे लेकिन अगर मार्गेज हो तो न लगे। यह सरचार्ज तो ट्रांसफर आफ दि प्रापर्टी पर लगेगा और ट्रांसफर सेल में भी होता है और मार्गेज में भी होता है, सेल में परमानेन्ट ट्रांसफर होता है और मार्गेज में टेम्पोरेरी होता है। तो सेल या मार्गेज की वैल्यू पर यह सरचार्ज लगेगा।

एक शिकायत यह की गयी कि कानपुर में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने २०० गांव शामिल कर लिये हैं लेकिन उनके विकास के बारे में कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है। लेकिन कानपुर में तो सन् ५९ से कोई इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट नहीं है। इसलिये उनकी यह शिकायत कुछ जानकारी की कमी पर आधारित है। माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने एक बात कही थी चाहे उसमें उनको गलतफहमी रही हो या कुछ भी रहा हो लेकिन उनका मंशा यह था कि यह जो प्रवर समिति में भेजनेवाला प्रस्ताव रखा गया है उसका मंशा केवल यह है कि हम इस विधेयक पर विचार कर सकें। मैं भी यह समझता हूं उनके कहने के अनुसार शायद यही मंशा प्रस्तावक की है और महज इस पर बिचार करने के लिये यह संशोधन लाया गया है। इस पर बिचार हो गया है और अधिक समय अब इस पर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि प्रस्तावक कृपा करके अपने संशोधन को वापस लें लेंगे लेकिन अगर उनकी ऐसी कृपा न हो तो मैं इस माननीय सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि उनके संशोधन को नामंजूर कर दे।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जो एक सप्ताह के भीतर अपने रिपोर्ट दे दे, साथ ही उसे इस विधेयक का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेन्ट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२--'सन् १९४८ ई० का यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) ऐक्ट' के परिशिष्ट के प्रथम स्तम्भ की उस प्रविस्टि के सामने, जो यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की धारा ६७ के सम्बन्ध में है, उक्त परिशिष्ट के द्वितीय स्तम्भ में दी हुई धारा ६७-एच की उपधारा (१) में, अंक तथा शब्द '1 percent' के स्थान पर अंक तथा शब्द '2 per cent' रख दिये जायं।

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट संख्या ४७ सन् १९४८ ई० के परिशिष्ट का संशोधन
यू० पी० ऐक्ट सं० ८, १९१९ ई०।

*श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं :

"खण्ड २ की पंक्ति ५ में शब्द '2 per cent' के स्थान पर '00.5 per cent' रख दिया जाय।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय चन्द्रजीत यादव जी के कहने के बाद मंत्री जी ने फरमाया कि कानपुर में कोई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है ही नहीं। उसको सुनने के बाद मैंने यह समझा कि शायद गाजियाबाद को छोड़ कर कहीं और इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट है ही नहीं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जयराम वर्मा--जी, मैंने यह कहा था कि कानपुर में कोई इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--यह सही है कि गाजियाबाद के अलावा और कहीं नहीं है यह भी ठीक है न ? और जो और इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट्स हैं उन पर भी लागू होगा ।

श्री जयराम वर्मा--कोई और नहीं है । जो इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कायम होंगे उन पर लागू हो सकता है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--तो मैं अब यह सोच रहा हूं कि क्या गाजियाबाद से इस प्रकार की कोई मांग आयी जिसके लिये यह संशोधन प्रस्तुत करना पड़ा ? श्रीमन्, सरकार अभी तक इस बात के लिये तैयार नहीं है, न उसको पता है कि सरचार्ज से कितनी रकम आती है और कितना उनको चाहिये । मन्त्री जी ने चन्द्रजीत यादव के कहने के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया । हमें भ्रम था कि वही पुरानी बात हो रही है कि यह भी किसी तरीके से दस्तखत से आ गया है । मैं समझता हूं कि जब सरकार को यह पता नहीं है कि उसको कितनी जरूरत है और कितना चाहिये और बिना जानकारी हुए सदन में उसने यह मांग प्रस्तुत कर दी है, यह उसका बड़ा अनुत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है ।

मन्त्री जी ने कई बार कहा कि यह छोटा-सा विधेयक है । १ की जगह १० गुना, २० गुना, ३० गुना भी रख दिया जाय तब भी विधेयक छोटा-सा ही तो रहेगा । १ स्थान पर ४०, ५०, १००, १,००० जो चाहे रख दीजिये विधेयक तो छोटा रहेगा ही, कोई बड़ा नहीं हो जायगा । हमें तो यह देखना है कि आखिर इस विधेयक को इस समय क्यों रखा जा रहा है । आप देखें कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है । अगर मन्त्री जी ध्यान देते और उसके पन्ने लौटते तो उनको पता चल जाता कि इसी इम्प्रूवमेंट में जो खर्चे हैं उसमें अभी बड़ी-बड़ी गुंजाइशें हैं और इसमें यह नई बात नहीं है कि टैक्स न बढ़ाया जाय बल्कि कम कर दिया जाय । इसका औचित्य यह नहीं है कि टैक्स बढ़ाना ही होगा, ऐसी बात नहीं है, वैसे भी हो सकता है । सरकार के दो पहलू हैं उनको मैं आपके सामने रख रहा हूं । टैक्स कहां से आता है और कहां खर्च होता है ? अभी उत्तर दिया गया कि गरीब अमीर बराबर हैं । इसलिये मैं एक तो गरीबों का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं और दूसरा अमीरों का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश की ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट के ११४ पृष्ठ पर लिखा है कि--

"घुसरामऊ के कुछ मकान गिरा दिये गये और नये प्लाट उनको सस्ते दाम पर दिये गये ।" यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि उनके मकान भी गिरा दिये गये और जो प्लाट उनको दिये गये उसके दाम भी उनसे लिये गये । यह मैं गन्दी बस्ती का जिक्र कर रहा हूं । इधर मन्त्री जी एक प्रतिशत के बजाय दो प्रतिशत टैक्स के लेते हैं और उधर यह बात होती है कि किस तरह से लाख रुपये का बंगला बन जाय । श्रीमन्, मिसाल देखने का कष्ट करें जो अमीरों पर खर्चा किया गया है । उत्तर प्रदेश की ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, १९५७ के देखने से मालूम होता है कि लखनऊ में कांस्ट्रक्शन वर्क्स कैसे हुए हैं और कहां हुए हैं । मैं इसको अंग्रेजी में पढ़े देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य जो अंग्रेजी में पढ़ें, उसका अनुवाद भी कर दें ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--बहुत अच्छा श्रीमन्, इस रिपोर्ट में लिखा है कि--

"Work was most complete with regard to the construction of the second set of three bungalows for Government officers. The amount spent was Rs.1,09,500. The bungalows were allotted on hire purchase system."

श्रीमन्, ऐसा है कि एक स्कीम बनाई गई उसमें १,०९,५०० रुपये से तीन बंगले बने और उनको सरकारी अधिकारियों को हायर पर्चेज सिस्टम पर दे दिया गया । फिर बंगले

बने वे भी दे दिये गये। फिर एक नई स्कीम आई और बटलर रोड पर एक बंगला बनाया गया। इसके अलावा एक बंगले को तोड़कर कुछ पोर्शन बना दिया गया। लखनऊ की कुल स्कीम को मैं पढ़ रहा हूं। उसी जगह पर एक शॉपिंग सेंटर बना दिया गया। ऐसी हालत में भी हम से आशा की जाती है कि १ प्रतिशत के बजाय २ प्रतिशत दें। जब गरीब आदमी कोई अपना मकान गिरवीं रखता है तो वह परेशानी में होकर ही ऐसा करता है। इसलिये यह नहीं होना चाहिये। हमने देखा है कि किस तरह से इस रुपये का उपयोग किया गया है। क्या यह सरकारी अधिकारी किराये के मकानों में नहीं रह सकते थे? क्या सरकार मकान नहीं बना सकती थी? इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को इनके लिये मकान बनाने की क्या जरूरत पड़ी? यह एक अच्छी योजना है, इसको समझ कर सरकारी अफसर और कुछ ऊंचे दिमाग के लोग बैठे और उन्होंने उस पर विचार किया और तरकीब निकाली कि इम्प्रूवमेंट के नाम पर इसको डेवलप कर लिया जाय। इसी सदन में कुछ निजी सरकारी बंगलों की बात आयी थी जिसकी जांच माननीय मुख्य मन्त्री या कोई और मन्त्री नहीं करा सके।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य, सारी नीति के व्यापक ब्योरे में न जा कर अपने को संशोधन तक सीमित रखें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैं कह रहा हूं कि दो परसेंट क्यों दिया जाय? आप कह दें कि दे दो तो हम मान लेंगे और वह मकान हायर पर्चेज पर सरकारी अफसरों को दे दिये जायं तो ठीक है। हम मान लेंगे।

श्री अधिष्ठाता—इस तरफ संकेत कर दें। विस्तार में न जायं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—फिर एक स्कीम और है। उसमें इम्प्रूवमेंट का दफ्तर बनाने के लिये २९ लाख रुपये ग्रांट किये गये और उसमें एक ही साल में पांच लाख रुपये लग गये। एक परसेंट से करोड़ों रुपये की जायदाद तो बिकती नहीं होगी और उसका उपयोग जो इस तरह से हमारे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कर रहे हैं, उसको देखते हुए हमें एकदम से उनकी आमदनी बढ़ाने का अधिकार उनको नहीं देना चाहिये जब तक हम यह न देख लें कि यह रुपया उचित रूप से खर्च हो रहा है।

इसके अतिरिक्त शहर में ऐसे लोग भी होते हैं जो गांवों से भाग कर आते हैं, उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। जो वहां पर पल्थी मार कर जमे रहते हैं, अगर इम्प्रूवमेंट करने के लिये उन्हीं से रुपया लिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन हमारे समाजवादी मित्र जो हैं चाहे इधर हैं या उधर हैं वह इस बात पर सोचें कि जहां समाजवाद में टैक्स का औचित्य है वहां पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की भी बात कही गयी है। वहां यह नहीं कहा गया है कि जिसकी दस रुपये की आमदनी है उस पर पांच रुपये का टैक्स लगा दो। उसके साथ-साथ एक हद तक उस आदमी की आमदनी सुरक्षित रहनी चाहिये। जब उस हद को वह पार करने लगे तो उस पर टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को, मान लीजिये उसकी आमदनी १०० रुपये है, उसको १ लाख रुपये की आमदनी वाले के साथ नहीं जोत देना चाहिये। दोनों में आपको अन्तर करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो हम को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने इस बिल में यह गुंजायश की होती कि छोटी जायदाद के ट्रांस्फर, पांच सौ की, एक हजार की जायदाद पर, टैक्स नहीं होगा तो सोचने की बात होती। मार्गेज की बात कही जाती है। अगर आप को गरीबों का ख्याल है तो आपके दिमाग में समाजवाद की यह भावना कौंचनी चाहिये कि भाई इतने रुपये तक कुछ नहीं लेंगे। चाहे गरीब आदमी हो या अमीर। या कोई इस प्रकार का मापदंड होता जिससे वह लोग बच जाते जिनके मकान गिरवी हैं। हो सकता है कि इसमें घुसरामऊ वाला भी कोई व्यक्ति फंस जाय, जिसकी जमीन बच गयी हो, उसको बेच कर, नया मकान बनाये। उससे भी दो परसेंट ले लिया जायगा। यह जो आपकी टैक्सेशन की नीति है यह गलत है ठीक है, आपका वह असर उस व्यक्ति पर भी होता है जिसकी लाखों रुपया आमदनी है लेकिन हमारी दृष्टि में वह व्यक्ति पहले है जो पहले कुचला

[श्री टेम्बेश्वरी प्रसाद—]

जायगा और उस तक नौबत ही नहीं आयेगी जिसको आप बड़ा आदमी कहते हैं। कानपुर में सात आठ वर्ष विद्यार्थी जीवन के रूप में मैंने व्यतीत किया है, मुझे तजुर्बा है सीसामऊ और दर्शनपुरवा एरिया में जहां बड़े-बड़े आदमी रहते हैं, योजना के अन्दर उन्होंने बड़े-बड़े प्लाट हजार-हजार रुपये के खरीदे, वह आज लाख-लाख रुपये के हो गये। लेकिन जो मजदूरी करने वाले हैं, जिनके मकान शुरू में पांच सौ रुपये के थे वह या तो सरकार की योजना के अन्तर्गत खोदकर फेंक दिये गये या अगर हैं तो वह पांच सौ रुपये के ही हैं, वह लाख रुपये के नहीं हुए हैं, पचास हजार के भी नहीं हुए हैं। अगर पचास हजार रुपये के हुए हैं तो वह प्लाट हुए हैं जो कि पड़े हुए हैं।

आप महानगर की स्थिति देखिये। सरकार ने जिस वक्त बस्ती बसायी तो पहले जो छोटे-छोटे प्लाट्स थे आज उनकी कीमत कितनी हो गई। वहां पर कितने गरीबों की आबादी थी, सब सरकार ने खुदवाकर फेंकवा दी। यहीं क्या, कानपुर में भी और और दूसरी जगहों पर भी हर जगह सरकार ने गरीबों की झोपड़ियों को खुदवाकर फेंकवा दिया और कम्पेन्सेशन के नाम पर कुछ रुपया उनको दे दिया। आज वह बेचारे यहीं के होते हुए भी विस्थापित हो गये हैं, आपने उनकी कोई बस्ती कहीं नहीं बसायी। गिराने के पहले कभी इस पर गौर नहीं किया कि ये कहां जायेंगे। तो आपकी यह टैक्सेशन की नीति गलत है। आज की इस स्थिति को देखते हुए मैं माननीय मन्त्री जी से आपके द्वारा अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार करें और अब जैसा उन्होंने अपने अन्तिम भाषण में कहा कि इतनी छोटी-सी बात है और इसको प्रवर समिति में जाने की क्या जरूरत है, तो चलिये ठीक है, प्रवर समिति में मत भेजिये, लेकिन यह जो दूसरा संशोधन विरोधी दल की तरफ से आया है इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है और इसको मान लीजिये। लाखों रुपया सरकारी अफसरों के लिये और म्यूनिसिपल एम्प्लायीज के लिये जो इस तरह खर्च हो रहा है जिसमें कि सरकार और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट रुपया उधार दे देकर ऐसे लोगों के लिये लगावे यह कहां तक उचित है? आप चले जाइए किदवई नगर की कालोनी में जिसमें १५० फुट चौड़ी सड़क बनी है। उसके अन्दर जाकर देखिये कोई ७५ रुपये या ९० रुपये मासिक आय का आदमी रहता है? क्या आज एक भी मकान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी बड़े शहर में किसी बिना पहुंच वाले आदमी को एलाट हो सकता है? मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा और आपके द्वारा इस सरकार से निवेदन करूंगा कि नहीं एलाट हो सकता है। आज लखनऊ के अन्दर छोटे स्तर के कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों को जो असुविधा होती है वह क्या किसी से छिपी है? सुविधा आज अगर कोई है तो वह उन लखपतियों को है, उन बड़े-बड़े आदमियों को है जो पहले से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, सुविधा आज से दस वर्ष बाद मिलनी हो और पैसा पहले से ही फेंक सकें, ऐसे आदमियों को सुविधा है।

मैं मानता हूं कि नगर को सुन्दर बनाने की भी आवश्यकता होती है। नगर को सुन्दर बनाना भी एक अच्छा काम है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन नगर को सुन्दर बनाने के साथ-साथ हमें उन घरों को भी सुन्दर बनाने की ओर दृष्टिपात करना है जो कि अपने रोजगार या अन्य किसी कार्य के लिये अपने घर को गिरों रखने जा रहे हैं। हमें उस घर की भी चिन्ता होनी चाहिये। लेकिन हम देखते हैं कि सरकार की बिल्कुल उपेक्षापूर्ण नीति उसकी तरफ है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह सदन के सदस्यों की यह राय जान लेने के बाद कि आज इन ट्रस्टों द्वारा कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं हो रहा है जिससे कि गरीब जनता को कोई लाभ हो रहा हो, इस टैक्स को बढ़ाने की कृपा नहीं करेंगे और यह जो मेरा संशोधन है इसको मान लेंगे।

श्री उग्रसेन—माननीय अधिष्ठाता जी, यह जो विधेयक है और इसमें माननीय सदस्य का जो संशोधन है इसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, प्रथम वाचन के अवसर पर इस पर बोलते हुए माननीय सदस्यों ने इधर के भी और उधर के भी, दोनों तरफ के सदस्यों ने समाजवाद पर बड़ी छींटाकसी की और श्रीमन्, मैं बताऊं, आजकल एक फैशन

हो गया है--दो बातों का फैशन हुआ है, एक तो किसी को बनाना हो तो नेता कह दिया जाय कि अरे, आप तो नेता हैं, और दूसरा फैशन क्या हो गया है कि समाजवाद पर छींटाकसी की जाय और समाजवाद की मखौल उड़ाई जाय। यह किस तरफ से चलता है? यह उन लोगों की तरफ से चलता है जिनके लिये समाजवाद एक जहर है, क्योंकि यह ऐसा दर्शन है कि जो अपने पैदायश के समय से ही पूंजीवाद का नाश कर देता है। मैं समाजवाद का पंडित नहीं हूं मगर एक शब्द में समाजवाद का मतलब बता देता हूं। समाजवाद एक सूत्र में यह कहा गया है कि क्षमता के हिसाब से काम किया जाय और अपनी आवश्यकता की पूर्ति की जाय। जितनी उसकी क्षमता हो उतना वह काम करें और जितनी आवश्यकता हो, जो जीवन के लिये आवश्यक है उसकी पूर्ति हो। जैसे अब कोई विधायक है तो उसके लिये यह जरूरी नहीं है कि वह मोटर रखे यहां पर क्योंकि विधान सभा से दारुलशफा बहुत नजदीक है। अगर ऐसा आदमी मोटर रखता है तो उसके लिये आराम और आशायश की चीज हो जायगी। उसके लिये यह जरूरत है कि अपनी फाइल ले और यहां पर चला आवे। आवश्यकता के अनुसार जहां पर पूर्ति होती हो और उसकी पूर्ति जो सरकार करती हो वही समाजवाद की सरकार होगी। मगर हमारे देश में तो एक भ्रम फैला हुआ है और खासकर पढ़े-लिखे लोगों में जो यह कहते हैं कि आधुनिकता की बात करनी चाहिये और उसी के अनुसार आशायश और आराम की बातें करनी चाहिये। उनका यह हाल है कि अमेरिका में जैसा वस्त्र पहिना जाता है वैसा हमको भी पहिनना चाहिये मगर वह इस बात को नहीं देखते हैं कि अमेरिका में जिस तरह से आमदनी की जाती है उस प्रकार से यहां पर भी की जाय। इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। अमेरिका के अन्दर धन पैदा करने के साधन क्या हैं इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर इस बात पर ध्यान दिया जाता तो यह न होता जो कि डेवलपमेंट बोर्ड में आजकल हो रहा है। मैंने बम्बई में देखा कि वहां के डेवलपमेंट बोर्ड ने मकान बनवाये तो उसमें वही लोग रहते हैं जो हरिजन हैं या और पिछड़े लोग हैं, मगर यहां पर जो डेवलपमेंट बोर्ड ने मकान बनाये हैं उनकी हालत दूसरी है। डेवलमेंट बोर्ड ने सड़क बनाई और फिर वह टूट भी गई। जब हम लोग समिति की हैसियत से आगरा में गये तो देखा कि वहां के बोर्ड के मकानों में सड़क और मरम्मत दोनों काम साथ-साथ हो रहे थे। कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया।

हम भी कहते हैं कि एक प्रतिशत या दो प्रतिशत सरचार्ज बढ़ाया जाय। अगर विकास करना होगा तो उसके लिये पैसे की जरूरत होगी, मगर विकास के नाम पर यदि फिजूलखर्ची की जाय तो उसके लिये पैसे की जरूरत नहीं है। मन्त्रिमन्डल पर जितना खर्च हो रहा है, सरकार को चलाने में जितना खर्चा हो रहा है उसमें उतने खर्च की जरूरत नहीं है। सरकार की जो मालगुजारी होती है या सरकार के जो और आमदनी के स्रोत हैं उनसे सरकार उनकी सहायता करे। हमने पहले भी कहा था कि मालगुजारी में से हिस्सा गांव सभाओं को मिलना चाहिये जिससे उनकी आमदनी बढ़े। कांग्रेस के लिये यह बात सही है कि यदि टैक्स नहीं लगाया जायगा तो फिर विकास होना सम्भव नहीं है। यदि टैक्स नहीं लगता है तो विकास नहीं हो सकता है। यह नहीं हो सकता है कि टैक्स तो लगा दें और फिर बाद को कह दें कि सारा विकास का कार्य हो गया। अब जैसा कि इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है कि लोकल संस्थाओं की आमदनी बढ़ाई जाय---तो यह उसकी परिधि की बात हो जाती है, और उसके लिये भी गुंजायश होनी चाहिये। यह तभी हो सकता है जब सरकार कुछ हिस्सा अपनी आमदनी में से म्युनिसिपल बोर्ड को देदे। दूसरी तरफ जो बड़े-बड़े उद्योग धन्धे हैं उन पर कुछ टैक्स लगाकर इस काम को चलाया जाय तो अच्छा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सरकार डेवलपमेंट के कार्य को बढ़ाना चाहती है तो सरकार को क्रान्तिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार हम लोगों को बतलाये कि वह आदर्श डेवलपमेंट बोर्ड कैसा होगा और कैसे बनेगा। उसका नक्शा सदन के सामने रखना चाहिये कि वह ऐसा साफ सुथरा और लिपा पुता होगा। खाने को भले ही दूध, दही न मिले, इंग्लैंड में तो मक्खन रोटी का सवाल है, यहां तो सूखी रोटी चाहिये और तन ढकने को सूट, पैंट, कोट और कन्ठलंगोट न हो तो कम से कम एक धोती और साड़ी तो चाहिये ही। तो डेवलपमेंट बोर्ड कैसा हो, उसकी लागत क्या हो, खर्च क्या हो, इसकी रूप रेखा इस विधेयक को पुरःस्थापित करते समय मन्त्री जी को सदन

[श्री उग्रसेन--]

के समक्ष रखनी चाहिये थी, लेकिन कुछ नहीं कहा गया उस विषय में। सेल्स टैक्स के कई-कई संशोधन विधेयक पास कराये गये लेकिन उन से कोई विकास कार्य नहीं हुआ। टैक्स लगाना एक बात है और उस टैक्स के पैसे को विकास के कार्य में लगाना दूसरी बात है। आज इस मुल्क में केवल ५० लाख अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का विकास हो रहा है। ४२ करोड़ की दलदल में यह ५० लाख कमल खिले हुए हैं और हर योजना काल में ४, ५ लाख आदमी बाबू वर्ग से साहब वर्ग में चले जाते हैं। साधारण जनता का कोई विकास नहीं होता।

मलिन बस्ती सुधार के लिये एक विधेयक आया था और उसकी कमेटी में मन्त्री जी भी थे। उसमें एक मांग की गयी थी कि कानपुर के जिन हातों को आप गिरायेंगे वहां के रहने वालों के लिये कोई आल्टरनेटिव एकमोडेशन होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि गरीबों की बस्तियों के लिये सरकार के पास कोई सुनिश्चित योजना होनी चाहिये। अगर ऐसा होता तो हम खुशी से यह पैसा देने के लिये तैयार रहते। लेकिन यहां कानून बन जाता है कि इस बस्ती में मजदूर रहेगा और वहां रहते हैं १००, २०० और ३०० रुपये मासिक पाने वाले बाबू लोग और जब हम विरोध करते हैं तो सरकार कहती है कि यह तो बड़े बदमाश हैं, टैक्स ही नहीं लगाने देते। आप टैक्स लगा सकते हैं संख्यापुर के बल पर, लेकिन यह न समझ लीजियेगा कि हमने चूंकि दो परसेंट बढ़ा दिया इसलिये सारे डेवलपमेंट बोर्ड आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद के बन गये और सुधर गये। उनकी कार्यवाही में इतनी बड़ी पोल है कि कुछ कहा नहीं जा सकता और आखिर उनका पर्दा फाश कैसे होगा मैं नहीं समझ पाता। संभव है, हमारे नये विधायकगण उनका पर्दा फाश करें। टैक्सों से गरीबों को जितना लाभ होता है उसे देख कर हम मजबूर हैं कि हम इस विधेयक का विरोध करें और टैक्स की बढ़ोत्तरी का यदि कोई भी प्रस्ताव आये तो उसका विरोध करें।

श्री अधिष्ठाता--कमलासिंह जी, आप भी अपना संशोधन प्रस्तुत कर दें क्योंकि दोनों संशोधन एक से ही हैं।

श्री टम्बरेश्वरी प्रसाद--एक से कैसे हैं इनमें फर्क है।

श्री अधिष्ठाता--केवल रेट के कम ज्यादा करने की बात है।

***श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)--अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ की पंक्ति ५ में शब्द "2 percent" के स्थान पर "1·25 percent" रख दिया जाय।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, दो तरह की चीजों पर टैक्स लगाया गया है। एक तो ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी हो और दूसरे जब बंधक की दशा में प्रापर्टी हो, चाहे वह मकान की शक्ल में हो या खेत के रूप में हो, उस पर टैक्स लगेगा। यह देखा गया है कि अक्सर गरीब लोग या कोई धनी हो वह, अपनी प्रापर्टी को उस समय गिरवीं रखते हैं या बेचते हैं जब उनको रुपये की जरूरत होती है और उनके पास अपना कार्य चलाने के लिये रुपया नहीं होता है। जब वह बिलकुल मजबूर हो जाता है तब वह उसको बेचता है।

एक चीज वह कहते हैं कि जो परचेज करता है वही टैक्स देता है। सेलटैक्स के बारे में देखा गया है कि उसको उपभोक्ता ही पे करता है। यहां गरज तो मुझे है, मैं मार्गेज करता हूं और जब मैं मार्गेज करता हूं तो यह जानकर करता हूं कि खर्चा सब मुझे ही करना है और फिर जितना रुपया कोई लोन लेता है उसी पर सारा उसका भार पड़ता है। एक ओर जब सुधार के लिये हम कार्य करते हों, और उसके लिये रुपये की जरूरत हो, तो हमें मजबूर होकर प्रापर्टी को गिरवी रखना पड़ता है और उस पर अगर टैक्स लगा दिया जाय तो यह बात बुरी है। जहां तक ट्रान्सफर का सवाल है वहां तो यह हो सकता है कि जिसके पास रुपया है वह ज्यादा दे सके, लेकिन जहां मार्गेज का सवाल है उस वक्त तो आदमी खुद जरूरत से मजबूर होकर उसको गिरवीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखता है। ऐसी हालत में कर को १ परसेंट से बढ़ा कर दो परसेंट अगर कर देते हैं तो यह चीज हो जाती है।

रजिस्ट्रेशन विभाग को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितना करप्शन है। अगर १०० रुपये के ट्रान्सफर की रजिस्ट्री की जाती है तो १५–२० रुपये तो वहां ही ले लिये जाते हैं। अगर उस करप्शन की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान जाय तो उससे भी जनता को कुछ राहत मिल सकती है। साथ ही साथ क्योंकि टैक्स डबल किया जा रहा है, मैं यह प्रार्थना करूंगा कि उसके स्थान पर, डेवलपमेंट का ख्याल करते हुये आप उसे सवा परसेंट कर दें तो वह बर्दाश्त किया जा सकेगा।

दूसरी चीज यह है कि जो लोन यह सरकार केन्द्रीय सरकार से लेती है वह एक परसेंट पर लेती है और उसको ३ परसेंट पर स्थानीय निकायों को देती है और जब वे टाउन एरिया वगैरह को लोन देता है तो उनसे ५–६ और ७–८ परसेंट तक लेती है। इस तरह से आमदनी काफी है। अगर यह ट्रान्सफर कर दें तो यह उपयुक्त होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन रखता हूं।

श्री जयराम वर्मा––अधिष्ठाता महोदय, जो यह संशोधन है वह इस विधेयक के उद्देश्यों के विपरीत है। यह विधेयक तो एक परसेंट से दो परसेंट बढ़ाने के लिये लाया गया है और इस पहले संशोधन में उसको कम करने की बात है, इसलिये मेरे ख्याल से तो यह संशोधन एक तरह से आउट आफ आर्डर है।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद––आपने क्या कहा ?

श्री जयराम वर्मा––माननीय सदस्य का संशोधन आउट आफ आर्डर है, क्योंकि वह इस विधेयक के उद्देश्य से बिलकुल विपरीत है। माननीय सदस्य का संशोधन यह है कि जो एक परसेंट सरचार्ज की जगह पर २ परसेंट करने का प्रस्ताव विधेयक में है उसकी जगह पर आधा परसेंट कर दिया जाय।। इसलिये यह आउट आफ आर्डर है, यह नहीं आ सकता है।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद–– यह किस नियम के अन्तर्गत बात कर रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता––माननीय मंत्री जी कृपया स्थान ग्रहण करें। जहां तक इसके आउट आफ आर्डर होने का संबंध है, यह आर्डर में तो है, इसलिये कि अगर बढ़ाया जा सकता है तो घटाया भी जा सकता है और घटाकर भी उस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है जो बढ़ाकर हो सकती है। अब जो आपको आपत्ति हो, वह कहें।

श्री जयराम वर्मा––श्रीमान् जी, यह देख कर कि इस बवत जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को सरचार्ज लगाने का अधिकार है वह काफी नहीं है, उससे उनका काम पूरा नहीं होता है और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक विशेष परिस्थिति में कायम किये जाते हैं, उनके सामने बड़े बड़े विकास के कार्य होते हैं, उनके करने के लिये उनको नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों के मुकाबले में अधिक धन की आवश्यकता है, तो जब एक परसेंट से काम नहीं चल रहा है फिर आधे परसेंट से चल सकेगा, ऐसा विचार रखना कुछ मुनासिब नहीं होगा।

जहां तक कि हमारे सामने गाजियाबाद के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का सवाल है, माननीय सदस्य को एतराज था कि केवल एक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के लिये ऐसा संशोधन विधेयक लाया गया है। हमारे सामने एक का सवाल नहीं है। अगर इसके लिये ही यह विधेयक होता तो बाकी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो कायम होंगे उनके लिये अलग से विधेयक लाना पड़ता उसके लिये और अन्य इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के लिये, सबके लिये एक ही बात है इसलिये यह संशोधन विधेयक लाया गया, और चूंकि महानगरपालिकाओं में दो परसेंट कर चुके हैं और नगरपालिका जिनकी आबादी १ लाख

[श्री जयराम वर्मा---]

या १ लाख से ऊपर है वहां भी उनकी आवश्यकताओं को देख कर बढ़ाने वाले हैं अगर सब जगह एक यूनिफार्म रेट हो तो सब का काम चल सकेगा । यह तो माननीय सदस्य भी मानते हैं कि इससे भी काम नहीं चलने वाला है और बिक्री कर और इंटरटेनमेंट टैक्स में भी उनको हिस्सा मिलना चाहिये, तो जब वह स्वयं मानते हैं कि १ परसेंट या आधा परसेंट करने से काम नहीं चलने वाला है तो इसके माने होते हैं कि वे स्वीकार कर लेते हैं कि अधिक आमदनी के तरीके होने चाहिये । इस प्रकार तो दोनों विचार एक दूसरे के विरोध में पड़ते हैं । तो यह १ परसेंट की जगह पर आधा परसेंट करने का संशोधन किसी तरह से मुनासिब नहीं है ।

जहां तक एक परसेंट की जगह सवा परसेंट करने की बात है, वह भी काफी नहीं है । इस समय गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का काम १ परसेंट सरचार्ज से नहीं चल रहा है और जब उनके ऊपर अधिक भार पड़ जायगा तो कैसे काम चलेगा । इस समय उनका काम सरकार की ग्रान्ट और ऋण से चल रहा है इस प्रकार कब तक उनको ग्रान्ट और ऋण दिया जायगा ? यह उचित है कि इसका भार वहां के निवासियों पर भी डाला जा सके जिनका विकास उन्हें करना है । यह चीज मुनासिब नहीं हो सकती कि अगर किसी आबादी का विकास करना है, उनको सुविधा देनी है तो उसका भार दूसरों पर डाला जाय और वह हमेशा बचते जायं । इससे काम ठीक से नहीं चल सकता है । उन्हें इस भार को मंजूर करना पड़ेगा तभी विकास हो सकता है । इस दृष्टि से जो दो परसेंट कर लगाने का प्राविधान किया गया है वह मुनासिब है और रेट के बारे में जो सिद्धान्त सदन पहले स्वीकार कर चुका है उसके अनुरूप है क्योंकि नगर महापालिकाओं को इस तरह से अधिकार पहले दिये जा चुके हैं । कानपुर में अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट के द्वारा १९४५ में बोर्ड कायम हुआ था और वहां भी दो परसेन्ट का अधिकार दिया गया था । अभी जैसे बतलाया था दूसरे प्रदेशों में भी इससे कम यह सरचार्ज टैक्स नहीं है । कलकत्ते में इतना ही है और मद्रास में तो दुगना, ढाईगुना है । तो यह ज्यादा नहीं है, निहायत मुनासिब है, माननीय सदस्यों को इसे स्वीकार करना चाहिये । मैं प्रस्तावक महोदयों से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि इन बातों को अपने सामने रखते हुये अपने संशोधनों को वापिस ले लें और यदि उनकी ओर से ऐसी कृपा न हो तो माननीय सदन उनके संशोधनों को अस्वीकार कर दे ।

श्री टाम्ब्रेश्वरी प्रसाद---अधिष्ठाता महोदय, मुझे दुख है कि मैंने जो बात माननीय मंत्री जी के सामने रखी थी उसका उत्तर नहीं मिला । उन्होंने किसी प्रकार भी इसके औचित्य को साबित नहीं किया, केवल दो एक बातें यह कह दीं, कि कलकत्ते में ज्यादा है, मद्रास में ज्यादा है बार-बार इस सदन में कहा जा चुका है कि इस सरकार ने इस प्रदेश की आमदनी इस कदर गिरा दी है कि तमाम जायदादें गिरवीं हो जायंगी और बिकेंगी । टैक्स लगाने के समय तो सरकार दूसरे प्रदेशों के उदाहरण देने लगती है लेकिन जब और मसलों के समय इधर से दूसरे प्रदेशों का जिक्र किया जाता है तो सरकार उसको टाल जाती है । एक माननीय सदस्य ने एक परसेन्ट को बढ़ाकर उसकी जगह पर सवा परसेन्ट का संशोधन रखने की उदारता दिखाई तो सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया बल्कि वह अपनी बात पर ही अड़ी हुई है । अगर बढ़ाना ही है तो थोड़े-थोड़े बढ़ाओ लेकिन मंत्री जी तो तय करके आये हैं कि बढ़ाकर जायेंगे क्योंकि यह समाजवादी सरकार है, ये अपने को समाजवादी कहते हैं इसलिये बढ़ाकर ही जायेंगे और बढ़ायेंगे कुछ भी नहीं । कभी तो सौभाग्य होगा कि टैक्स घटाये जायं, बढ़ाये न जायं । मैं समझता हूं जल्दी ही वह अवसर आयेगा जब मंत्री जी को टैक्स बढ़ाने की नौबत नहीं आयेगी ।

श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)---अधिष्ठाता महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं । इसमें रेहननामे की बात आई है, उसमें दो बातें हैं, एक तो भोगबंधक और दूसरे दृष्टिबंधक तो उनका किससे मतलब है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---इसमें उसी रेहन-नामे का जिक्र है जिसका कि विधेयक में है। अगर आप स्टैम्प ऐक्ट उठाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि स्टैम्प जायदाद बेचने वाले को खरीदना पड़ता है, उसी के नाम से लिया जाता है, यह बात माननीय सदस्यों को पता नहीं है, इसलिये बार बार पूंछ रहे हैं। उनको शक है।

***श्री कमलासिंह यादव**---श्रीमन्, इस सदन के सामने जो अभी एक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा उसके बारे में मेरा निवेदन है कि मारगेज दो प्रकार का होता है। एक तो सिंपिल और दूसरा युजुक्चुअरी मारगेज। पहले में प्रापर्टी रेहन करने वाले के कब्जे में रहती है और दूसरे में प्रापर्टी दूसरे को दे दी जाती है और उस रुपये के इंटरेस्ट में वह प्रापर्टी को इस्तेमाल करता है। अगर ज्यादा इंटरेस्ट होती है तो वह रिडीम हो जाती है जैसा कि आजकल कानून है। यह डिफरेंस इन दोनों में है। असल बात यह है कि जब आमदनी की जरूरत होती है तभी वह अपनी जायदाद को मारगेज करता है, चाहे वह मारगेज किसी भी प्रकार का हो। ऐसी सूरत में इसको बढ़ाया न जाय।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि बाम्बे और मद्रास में ऐसा होता है। लेकिन यह दोनों प्राविन्सेज इन्डस्ट्रियल प्राविन्सेज हैं। अगर आप वहां पर जाकर देखें तो रात को ९ बजे के करीब बहुत से लोग फुटपाथों पर सोते हुये मिलेंगे। वे एक टाट या गमछा बिछा कर सोते हैं। अगर उनसे पूछा जाय कि वे किस जिले के हैं तो वे यही बतायेंगे कि हम गाजीपुर, आजमगढ़ या बलिया के हैं। उधर के लोग अक्सर कहा करते हैं कि कम्युनिज्म पूर्वी जिलों में ज्यादा बढ़ रहा है। इसका खास कारण है यह कि पूर्वी जिलों के लोग काम करने की ताकत रखते हैं, लेकिन उनको रोजी कमाने के लिये कोई ठिकाना नहीं है। सरकार उनको काम देने के बारे में कुछ प्रबंध नहीं कर पाती है। ऐसी हालत में हमें अफसोस होता है कि हमारे यहां के नौजवान लोग इस प्रदेश को छोड़ कर दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिये जाते हैं। आप टैक्स भले ही लगायें लेकिन लोगों को काम करने का कोई साधन कल कारखाने आदि तो मुहैया कीजिये। जैसा कि अमेरिका आदि दूसरे देशों में है। वहां पर यह प्रणाली है कि कोई भी आदमी किसी किस्म का काम करना चाहे तो अपने खाली वक्त में वह पैसा पैदा कर सकता है। हमारे यहां से जो लोग वहां पढ़ने के लिये जाते हैं उनके लिये भी ऐसा कहा जाता है कि वे अपने खाली समय में काम कर लेते हैं और अपने कमाये धन से पढ़ते हैं और कभी कभी तो अपने परिश्रम से कमाये धन को वे देश में ले आते हैं। इसलिये हमारे प्रदेश में ऐसी प्रणाली होनी चाहिये जिससे हमारे यहां के वे लोग जिनके हाथ में ताकत है, अपनी वे रोजी को कमा सकें। जो काम करना चाहता है उसे काम दिया जा सके और जिससे वह अपनी गुजर बसर कर सके। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं, कि यह सदन जो सरकार द्वारा १ परसेंट से २ परसेंट टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है उसके बजाय १ परसेंट से सवा परसेंट टैक्स वाले मेरे संशोधन को मानने के लिये तैयार होगा।

श्री अधिष्ठाता---स्वायत्त शासन मंत्री जी, क्या आपको और कुछ कहना है ?

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन्, विरोधी पक्ष से बहुत सी ऐसी बातें कही गई जिनका इस संशोधन से कोई सम्बन्ध नहीं था इसलिये मैंने उनको छोड़ दिया और कोई जवाब नहीं दिया। माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने लखनऊ में हायर परचेज वाले मकानों का जिक्र किया। इस सम्बन्ध में मैं सदन को बतलादूं कि हायर परचेज सिस्टम पर जो मकान बनाये गये थे उन्हें जो लेना चाहे ले सकता था और इसी आधार पर लोगों को दिया गया, फिर इसमें एतराज क्या है और इसका इस संशोधन से क्या सम्बन्ध था जो उन्होंने कहा कि १ परसेंट से २ परसेंट टैक्स करने के बजाय उसे आधा परसेंट कर दिया जाय।

दूसरी बात यह कही गई है कि उनके मकानों को उनकी जगहों को एक्वायर किया गया और फिर उनको सस्ते दामों पर दिया गया। इसमें भी उनको शिकायत है कि उनको सस्ते दामों पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयराम वर्मा—]

क्यों दिया गया । कहां तो गरीबों की बात कहते हैं और जब एक्वायर की हुई जमीन को सस्ते दामों में देने में गरीबों का तरजीह दी जाती है तो उनको एतराज होता है । इसका प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है । जो बातें सम्बन्धित थीं उनका उत्तर मैंने दे दिया । १ परसेंट की जगह २ परसेंट करना बिलकुल मुनासिब है, और मैं समझता हूं कि माननीय सदन इसको स्वीकार करेगा ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ की पंक्ति ५ में शब्द "2 Per cent" के स्थान पर "00.5 Per cent" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ की पंक्ति ५ में शब्द "2 Per cent" के स्थान पर "1.25 Per cent" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेन्ट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ४७ सन् १९४८ ई०

सन् १९४८ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) ऐक्ट को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ पारि किया जाय ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—अधिष्ठाता महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं और इसलिये विरोध करता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अभी जो अपनी दलीलें दी हैं, उसमें उन्होंने दो जगहों का हवाला दिया, एक कलकत्ता और एक बम्बई कारपोरेशन का । इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने यह भी बतलाया कि एक तरफ तो विरोधी पक्ष के लोग आय का कोई जरिया नहीं बतलाते और यहां चाहते हैं कि जो टैक्स है वह कम लगे । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी का कहना यह है कि कारपोरेशन में सब जगह लोगों की जमीनें ले ली गई और हकीकत यह है कि उन जमीनों को बहुत ज्यादा कीमत पर दूसरे लोगों के हाथ बेचा गया । जिन लोगों की जमीनें ली गई उनको हटा दिया गया ।

माननीय मन्त्री जी का ध्यान में लखनऊ सलेज फार्म की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आप पहले भी इस विभाग के मन्त्री थे, उस समय भी एक सवाल उठा था कि जांच की जाय कि लाखों रुपये की आय जो सलेज फार्म से होती है वह कहां जाती है, ५–६ साल से कोई हिसाब नहीं मिलता और पूछा तो मालूम हुआ कि कोई अफसर रिटायर हो गये और कोई चले गये। इस तरह से तमाम सम्पत्ति सलेज फार्म की लूट ली गई और कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। क्या वह आय का जरिया नहीं हो सकता था? यह मन्त्री जी बतायें।

दूसरे अभी बनारस कोरपोरेशन की मीटिंग हो रही थी वहां के जो जो अधिकारी हैं उन्होंने कभी भी मोटर से दौरा नहीं किया और जो विभाग में लाखों रुपया था उसका इस्तेमाल नहीं किया लेकिन खूब अपना भत्ता और टी० ए०, डी० ए० बनाया इस तरह की रकम बचा कर आय नहीं बढ़ाई जा सकती? इसी तरह से मैं जानता हूं कि बनारस में तमाम चुंगी की चोरी होती है, रसीद नहीं दी जाती और वहां के अहलकार और अधिकारी चुंगी का पैसा लेकर अपने पास रखते हैं। क्या उस को चेक कर के आय का जरिया नहीं बनाया जा सकता? माननीय मन्त्री जी बम्बई और कलकत्ते की बात करते हैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। बम्बई कलकत्ते का सब्ज बाग दिखा कर, यू० पी० के लोगों को इस बात की दलील देकर यहां के लोगों पर टैक्स लादकर उनसे कर वसूल करना चाहते हैं, यह कोई न्यायसंगत बात नहीं है। इसके लिये आप को फिलहाल एक कमेटी मुकर्रर करनी चाहिये।

दूसरे आप देखें कि इतना ही नहीं शहरों में जिनकी आय ३,६०० रुपये सालाना तक है उन के ऊपर आज आयकर नहीं लगता। क्या यह टैक्स जो सरकार लगाना चाहती है उसमें भी कोई सीमा इस की है कि इतनी आय तक के लोगों को छूट मिलेगी, ५,००० या १०,००० की कोई सीमा रखी है कि इतनी सम्पत्ति के ट्रांसफर पर गरीब लोगों पर यह कर नहीं लगेगा? अगर ऐसी कोई सीमा सरकार की तरफ से लगाने की व्यवस्था होती तो हम समझ सकते थे कि समाजवाद की तरफ यह सरकार बढ़ रही है और एक दलील हो सकती थी कि भाई ५,००० तक के लोगों को हम छूट दे रहे हैं, उन को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा या ऐसा होता कि ५,००० से ऊपर १ प्रतिशत लगेगा और १०,००० से ऊपर २ प्रतिशत लगेगा और इसके ऊपर २०,००० की सम्पत्ति जो बचेगा तो और ज्यादा प्रतिशत लगेगा। इस तरह से अगर स्लेब सिस्टम आप लाते तो अच्छा होता और हम समझते कि आप समाजवादी उसूलों को मानते हैं लेकिन आप ने इस पर विचार करना गवारा नहीं किया और नहीं सोचा कि शहर में विभिन्न आय और हैसियत के लोग रहते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो टैक्स अदा नहीं कर सकते। हमारे माननीय गिरधारी लाल जी भी वाराणसी के सुरती के व्यापारी हैं, उनको यह भी नहीं मालूम कि भोग बन्धक और दृष्टिबन्धक भी नहीं जानते और उसके बारे में पूछ रहे थे, उनको यह भी पता नहीं कि कौन स्टाम्प खरीदता है, खरीदने वाला या बेचने वाला। जिन को इतना भी ज्ञान न हो कि वह आय का जरिया क्या बता सकते हैं? उनको मामूली बात का भी ज्ञान नहीं है कि किस तरह से आय की चोरी हो रही है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट भी कम आय वालों पर कर लगाना उचित नहीं समझती, आज लाखों रुपये की चोरी जाली बहीखातों से होती है यह सब पैसा सतर्कता से मिल सकता है लेकिन उधर ध्यान नहीं है और छोटे लोगों पर कर लगाने की कोशिश की जाती है। जिस तरह से देहात में कहावत है कि सब धान १६ पसेरी, वही हिसाब है कि कोई भी हो सब पर २ प्रतिशत कर लगेगा। यह भी कोई न्याय है कोई समाजवाद है? मैं चाहता हूं कि ५,००० के नीचे वालों पर कोई कर न लगे और उसके ऊपर स्लैब सिस्टम से कर लगता जाय, अधिक आय पर अधिक टैक्स।

मैं अन्त में अपील करूंगा कि आप गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार कर सदन की कमेटी मुकर्रर कर दें कि कारपोरेशन की आय किस तरह से बढ़ाई जा सकती है इस पर वह कमेटी गौर करे। दिया कि सन् ४९ की कमेटी ने आय बढ़ाने के लिये क्या–क्या सुझाव दिये थे। उसी के सुझाव आप ने हवाला पर आप १९६२ में विचार कर रहे हैं। उस समिति ने तो और भी सुझाव दिये थे कि बिक्री कर और इन्टरटेनमेंट टैक्स का भी कुछ हिस्सा कारपोरेशन को दिया जाय। पर इस पर आपने इसलिये विचार नहीं किया कि क्योंकि वह सारा का सारा पैसा सरकार के खजाने में

[श्री ऊदल---]

जाता है। मैं तो खुश होता जब आप उस कमेटी की जितनी सिफारिशें थीं कारपोरेशन की आय को बढ़ाने के लिये उन सब पर विचार करते। पर ऐसा न करके एक बात को आप ले आये कि १ प्रतिशत से बढ़ा कर २ प्रतिशत कर दिया जाय। अतः मैं मन्त्री जी से मांग करता हूं कि इस मसले पर गम्भीरतापूर्वक सोचें और ५,००० रुपये तक बेचने वाले हैं उनको इस टैक्स से मुक्त करें। ५,००० से १०,००० रुपये तक वालों पर आप १ प्रतिशत लगा दें और १०,००० से २०,००० रुपये तक २ प्रतिशत और इसके आगे ३ प्रतिशत कर दें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं।

*श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)---अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यहां पर कलकत्ता और बम्बई की उन्होंने मिसाल दी, मैं वहां गया हूं। वहां ९ लाख उत्तर भारत के लोग फुटपाथ पर सोकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सरकार आये दिन उनके टैक्स लगाती है और कहती है कि इससे जनता का हित होगा। जब कि होता बिल्कुल उल्टा है, भ्रष्टाचार फैलता है और कुछ अधिकारियों की जेब गरम होती है। हमारे जिला इलाहाबाद में तहसील फूलपुर में ऐसी बात हुई, उस दिन सी० एल० आर० डी०, की बात चल रही थी, हालांकि उसका इससे आज कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन उदाहरण स्वरूप कहना चाहता हूं कि वहां भूदान से जमीन मांग कर सर्वोदय वालों ने लोगों को दी और उनको आश्वासन दिया कि ३ साल के बाद जब आपका दखल हो जायगा तब लगान लगेगा। हुआ यह कि जमीन भी नहीं मिली और ८, १० साल का लगान उनसे कुर्की करके वसूल किया गया। यह इंसाफ है? एक तरफ आप कहते हैं गरीबों की, किसानों की आप मदद करते हैं और दूसरी तरफ उन पर टैक्स लगाते हैं। अतः जैसा ऊदल जी ने रखा है कि ५,००० तक वालों से कोई टैक्स न लिया जाय वह उचित ही है, मन्त्री जी उसपर विचार करें और स्वीकार कर लें। सरकार को ध्यान देना चाहिये। कि टैक्स लगाना ही उसका काम नहीं बल्कि गरीबी और भुखमरी को भी दूर करना उसका काम है। इन शब्दों के साथ में मन्त्री के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---श्रीमन्, अभी मन्त्री जी टैक्स बढ़ाने का जस्टीफिकेशन दे रहे थे। यों तो सरकार के पास जस्टीफिकेशन देने के लिये बहुत से उपाय हैं और उसके द्वारा वह अपनी बात को प्रतिपादित करती रही है और विरोधी पक्ष उन मार्गों को अपनाये जाने का विरोध करता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जब कभी कमेटीज कायम करती है, उनकी रिपोर्ट लेती है तो उस समय के लिये जो टैक्स बढ़ाने के विषय में सुझाव दिया जाता है उस समय उसे कार्यान्वित नहीं किया जाता और १०, १२ वर्ष के बाद उसकी जरूरत महसूस होती है। एक नहीं, कई विधेयकों पर संशोधन जब आये तो यह बात मालूम हुई। उसे पता चलता है कि धन की वास्तव में सरकार को कितनी आवश्यकता है।

दूसरी बात यह कही गई कि टैक्स का बोझ, जो इस विधेयक में प्रस्तावित किया जा रहा है, किसान या मजदूर पर नहीं पड़ेगा। लेकिन सभी अर्थशास्त्री जानते हैं कि कोई भी टैक्स हो उसका बोझ किसान व मजदूर पर पड़ता ही है। आप यह जानते हैं कि इम्प्रूवमेंट होगा और इसके लिये हम खरीदने वाले या बेचने वाले पर ड्यूटी लगा रहे हैं, इस सम्बन्ध में आपको यह बात माननी पड़ेगी कि उससे जो कीमतें बढ़ेंगी उनका प्रभाव किसान और मजदूर पर पड़ेगा। जब वह वहां से जायगा और कोई चीज खरीदेगा या बेचेगा तो टैक्सेज का भार उस पर जरूर पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के टैक्स सरकार लगाती है जिनको किसान देता है, और उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी तरह से यह कहा गया कि विकास कार्यों के लिये पैसा कहां से आये? बार-बार योजनाओं का नाम लिया जाता है। योजनाओं और विकास के नाम पर सभी तरह से पैसा वसूल करने के लिये जस्टीफिकेशन दिया जाता है। मेरा कहना यह है कि अगर सरकार को विकास कार्य करने हैं तो जो वर्तमान टेक्सेज हैं उनके वसूल करने का सही तरीका वह अख्तियार करे और अगर सही तरीका उन्हीं टैक्सेज को वसूल करने का सरकार अख्तियार कर लेगी तो मुझे उम्मीद है कि उन्हीं टैक्सेशन से उसका काम चल जायगा।

माननीय अधिष्ठाता बरेली नगर क्षेत्र से चुने हुये हैं। एक बात की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। श्री अब्दुल वाजिद वहां चेयरमैन थे। चुंगी में चोरी का बहुत सा रुपया निकाल कर उन्होंने वहां पर दो ढाई लाख रुपये की आमदनी बढ़ा दी। इसलिये सरकार से मेरा निवेदन है कि बरेली की चुंगी की तरह अगर वह लगे हुये टैक्सेज में से जो रुपया वसूल नहीं होता है उसे वसूल करने की चेष्टा करे तो इस पैसे की जरूरत उसी रुपये से पूरी हो जायगी और दूसरे नये टैक्स लगाने की जरूरत नहीं होगी।

इसी प्रकार से दूसरा जो सुझाव मैं दे रहा हूं जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं अगर हम जायजा लें और यू० पी० भर में नजर डालें तो देखेंगे कि उनके ऊपर सरकार ने अपना टैक्स छोड़ रखा है और अगर ईमानदारी से सरकार उनसे कोई समझौता न करे और उनसे वह पूरा रुपया वसूल करे, वह रुपया जो इस समय उनके ऊपर बाकी है वह उनसे वसूल कर लिया जाय, तो बहुत सी योजनाओं का काम चल जायगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर बरेली की एच० आर० शुगर फैक्टरी की बाबत जानता हूं कि ७,८ वर्ष का सेस उस पर बकाया था, लेकिन सरकार वसूल नहीं कर रही है, बल्कि नवम्बर, दिसम्बर के महीने में कई हजार रुपया माफ कर दिया गया। इसी प्रकार मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो टैक्सेज सरकार पहले से ही लगाये हुये हैं अगर उनकी सही रूप से वसूलयाबी हो जाय तो निश्चित रूप से वह पैसा हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन यह तभी सम्भव है जब किसी प्रकार का भेदभाव न बरता जाय, पक्षपात न बरता जाय, ऐसा न हो जो हमारे हैं उन्हें छोड़ दें और जो पराये हैं उनसे वसूल कर लें। मैं एक बार फिर यह मांग दोहराता हूं कि हमारे प्रदेश के जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं उन सब पर जितना पैसा टैक्स का बाकी है वह एक दम से अगर वसूल नहीं किया जा सकता तो तीन साल की किस्तें कर के वसूल कर लें तो बहुत पैसा आ जायगा। मुझे यह कहने में दुःख होता है कि कई बार हमारे सरकारी पक्ष के नेता भी कर्जा लेते हैं और उसकी अदायगी नहीं कर पाते और वर्षों तक वह मामला पड़ा रहता है....

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य को यह ध्यान रखना चाहिये कि इस स्तर पर विवाद की परिधि बहुत सीमित है। यआप अपने भाषण को केवल अस्वीकृति के तर्कों तक ही सीमित रखें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—मन्त्री महोदय ने कई बार कहा कि विकास के लिये धन कहां से आये उस पर मैं बात कह रहा हूं। मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा।

मैं कह रहा था कि हमारे मन्त्री महोदयों के ऊपर भी कर्जा रह जाता है। हमारे यहां बहेड़ी में एक शुगर केन सप्लाई सोसायटी है और हमारे सिंचाई मन्त्री महोदय ने भी उसमें कर्जा लिया था.....

कारागार मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—विषयान्तर हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिला चुका हूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। पैसा किस तरह से आये इसकी ओर ध्यान दिला रहा था। अगर आपको कुछ बुरा मालूम हो रहा है तो मैं इसको छोड़ कर आगे चलूं।

[श्री हरीशकुमार गंगवार---]

इसी प्रकार माननीय मन्त्री जी ने यह कहा था कि केन्द्र की यह मांग है कि जितने भी सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सबको इस्तेमाल करके टैक्स लगायें और जब वह पैसा आ जायगा तभी केन्द्रीय सरकार उस विषय में उचित निर्णय करेगी। तो जितना भी भ्रष्टाचार योजनाओं में चल रहा है उसको अगर हम समाप्त कर दें तो बहुत काफी धन आसानी से प्राप्त हो सकता है। जितनी भी योजनायें हमारी चल रही हैं अगर वास्तव में देखा जाय तो कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न हो और कम से कम ५० फीसदी रुपया पब्लिक का बर्बाद न होता हो। अगर हम जिम्मेदारी के साथ इस काम को करें तो मेरा ऐसा विश्वास है कि वह पैसा भी यहीं से निकल सकता है और नये टैक्स को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का और मन्त्री जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

एपीडेमिक डिजीजेज (उ०प्र० संशोधन) विधेयक, १९६२

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---मान्यवर, इसके पूर्व कि इस बिल पर विचार जारी किया जाय मैं आपके द्वारा प्रक्रिया नियमावली के नियम १३१ के अन्तर्गत माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से मांग करता हूं कि वे निम्नलिखित सूचना सदन की मेज पर रखें:---

एपीडेमिक डिजीजेज ऐक्ट, १८९७।

इंडियन पेनल कोड तथा उन न्यायालयों के निर्णय जो इसके विरोध में हुये हैं।

इनके अभाव में जैसा कि होता आया है उचित ढंग से वाद विवाद हो नहीं सकता। पहले जब माननीय उग्रसेन जी ने मांग की थी तो उस बिल के बीच में विवाद हो रहा था लेकिन इस पर अभी विचार नहीं हो रहा है और यह मांगने का हमारा अधिकार है। जिन पत्रों की मांग मैंने आपके द्वारा रखी है उनमें कोई गोपनीय नहीं है और माननीय मन्त्री जी को उसे प्रस्तुत करना चाहिये। इसके बिना उस पर बहस नहीं हो सकती और न विचार किया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य ने नियम १३१ की ओर ध्यान दिलाया। मैंने उसको देखा। उसमें ऐसा प्राविजन अवश्य है लेकिन वह कण्डीशन प्रिसीडेंट नहीं है, लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि वह उन चीजों को जिनकी ओर माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है, उपलब्ध करा दें।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, कब्ल इसके कि इस बिल पर विचार किया जाय, मैं यह देख रहा हूं कि जो प्रतिलिपि दी गई है हम लोगों को, उसमें जिन संशोधनों की बात आई है वह सारे या मूल धारा अंग्रेजी में लिखी गई है और उसका हिन्दी अनुवाद में श्रीमन्, आवश्यक समझता हूं कि होना चाहिये, क्योंकि सरकार और सदन दोनों का निश्चय है कि हिन्दी में यहां का कार्य हो। तो यह तो संशोधन दिया गया है वह हिन्दी में दिया जाय ताकि इस पर विचार किया जा सके।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य की सूचना के लिये मैं यह बताना चाहता हूं कि नियमों के अनुसार जो मूल अधिनियम अंग्रेजी भाषा में हैं, उनमें संशोधन अंग्रेजी भाषा में ही हो सकता है। अतः जो संशोधन विधेयक आते हैं उसमें जिस प्राविजन के द्वारा संशोधन किया जाता

है वह हिन्दी में होता है और जो मूलधारा में संशोधन करना प्रस्तुत होता है वह अनिवार्य रूप से अंग्रेजी में ही होता है। यह नियम संगत है और परम्परा संगत है, इसलिये इस पर विचार आरम्भ करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—लेकिन अधिष्ठाता महोदय, इस सदन का कार्य हिन्दी में होता है और यह परम्परा रही है कि अगर अंग्रेजी में कोई बात कही जायगी तो उसका अनुवाद हिन्दी में होगा। वह माननीय सदस्य जो हिन्दी समझते हैं और अंग्रेजी नहीं समझते हैं उनके लिये अत्यन्त कठिनाई होगी।

श्री अधिष्ठाता—आप अपना स्थान ग्रहण करें। जो नियम माननीय सदन के बनाये हुये हैं वह सारी परिस्थितियों को समझ कर ही बनाये गये हैं। जो मूल अधिनियम अंग्रेजी भाषा में हैं उन पर संशोधन दूसरी भाषा में हो नहीं सकता, इस कठिनाई को समझकर ही बनाये गये होंगे। अगर किसी माननीय सदस्य को उसका अर्थ समझने में कोई कठिनाई है तो उसका निराकरण हो सकता है लेकिन यह नियम बने हुये हैं,इस सदन के हैं और जब तक उन नियमों में परिवर्तन न हो तब तक यह परम्परा के अनुसार और नियमों के अनुसार भी ठीक है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—लेकिन अधिष्ठाता महोदय, यह भी इस सदन की परम्परा रही है कि अगर कोई एक शब्द भी अंग्रेजी में प्रयोग करता रहा है तो उसका अनुवाद हिन्दी में करा दिया जाता रहा है।

श्री अधिष्ठाता—मैं इस पर अब विवाद नहीं चाहूंगा। मैंने वह व्यवस्था देदी है कि वह नियम और परम्परा के अनुकूल है इसलिये मेरा आग्रह है कि आप कृपया इस बात को समझ लें कि जो बात सम्भव ही नहीं है उसकी तरफ आप संकेत कर रहे हैं, वह सम्भव नहीं हो सकता। इसका अनुवाद सम्भव नहीं है, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—अधिष्ठाता महोदय, अगर यह परम्परा चलती रही तब तो अंग्रेजी भाषा से इस सदन की मुक्ति कभी भी नहीं हो सकती। आप पर ही यह है कि आप हिन्दी को सदन में पूरी तरह से लागू करावें नहीं तो यह सदन हमेशा इसी तरह से अंग्रेजी भाषा के बन्धन में जकड़ा रहेगा।

श्री अधिष्ठाता—यह सदन नियम बनाने के लिये तो स्वतन्त्र है। सदन के नियमों के अनुसार ऐसा है कि जो मूल अधिनियम अंग्रेजी में होगा उसका संशोधन अंग्रेजी में ही हो सकता है और उसका कारण प्रत्यक्ष है कि जो अंग्रेजी में मूल अधिनियम है उसका संशोधन अगर किसी दूसरी भाषा में होगा तो उसमें वह शब्द जुड़ ही नहीं सकता। इसलिये जो बात असम्भव है उसको हम कठिनाइयों की वजह से सम्भव तो कर नहीं सकते। यह व्यवस्था हो चुकी है। कोई नई व्यवस्था अब उठ नहीं सकती है और न मैं उसके लिये इजाजत दे सकता हूं।

अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी....

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि....

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया आसन ग्रहण करें। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बुला चुका हूं।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जब कोई सदन के सम्मानित सदस्य अंग्रेजी समझने में असमर्थ हैं और इस बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं और अगर उनको उस भाषा का उल्था प्राप्त नहीं होता है तो वे अपने विचार कैसे व्यक्त कर सकते हैं? इस संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता था कि क्या ऐसे माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन नहीं होता है जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं?

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य को कम से कम यह तो मालूम है कि जो अभी मेरी व्यवस्था थी वह अंग्रेजी में नहीं थी । अंग्रेजी समझने में कुछ माननीय सदस्यों को कठिनाई हो सकती है । लेकिन प्रश्न यह है कि जब हमारा मूल अधिनियम अंग्रेजी में है तब वे ही सदस्य उसमें संशोधन करने में समर्थ होंगे जो मूल अधिनियम को पढ़ने का कष्ट करें क्योंकि बिना उसके पढ़े हुये संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं । जो सदस्य मूल अधिनियम को पढ़ सकते हैं वे संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं । इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये नियमों में प्रावीजन किया गया है । फिर भी यदि माननीय सदस्यों को कठिनाई हो तो ध्यान दिलाने पर उस पर विचार किया जा सकता है । लेकिन इस समय सदन में वाद विवाद करना उचित नहीं होगा, एक व्यवस्था दिये जाने के बाद ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—श्रीमन्, मैं यह कहता हूं कि....

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, मैं न्यायालय के निर्णय की कापी चाहता था ।

श्री अधिष्ठाता—इसके लिये सरकार का ध्यान दिला दिया गया है । वह आपको मिल जायेगी ।

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एपीडेमिक डिजीजेज (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाय ।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है मान्यवर, यह एक बहुत ही छोटा सा विधेयक है और जब बीमारियां हुआ करती थीं तो पुराने ऐक्ट के द्वारा गवर्नर के यहां से नोटिफिकेशन भेजा जाता था और सरकार के आदमियों को यह अधिकार दिया जाता था कि इस नोटिफिकेशन के द्वारा यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उनको अधिकार होगा कि वे कोर्ट इत्यादि में जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं । लेकिन बाद में यह बात देखने में आई कि कुछ जगहों पर एतराज उठे कि जहां से नोटिफिकेशन निकला है, गवर्नर के द्वारा निकला है या सरकार के द्वारा निकला है, तो वे आकर पैरवी करें और केवल उन्ही को अधिकार है कि वे ही शिकायत इत्यादि कर सकते हैं ।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।) अब सरकार केवल छोटे से विधेयक को लाकर के नीचे के अधिकारियों को एक नोटिफिकेशन के द्वारा यह अधिकार दे रही है कि अगर कहीं गंदगी पायी जाती हो, या ऐक्ट की धाराओं का किसी भी स्थान पर, उल्लंघन होता हो, तो उनको अधिकार होगा कि उन लोगों का प्रासीक्युशन (Prosecution) करें । मान्यवर, अब तक इस तरह का प्राविजन नहीं था । बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है । केवल एक धारा को बदलने के लिये, केवल दिन प्रति दिन के कार्य में जो कठिनाइयां होती है, जिससे कार्य की प्रगति में बाधा पड़ती है, उस उद्देश्य को ले कर यहां पर यह विधेयक लाया गया है । मैं समझता हूं कि इसमें कोई बड़ी नीति की या बड़ी व्यापक बात नहीं है जिसके द्वारा इस सदन का बहुत समय लिया जाय । मान्यवर, मैं सदन का अधिक समय न लेता हुआ सदन से निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करके इसको पारित किया जाय ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, प्रक्रिया नियमावली की धारा १३१ की ओर मैं आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इसमें लिखा हुआ है—"विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग पर सकेगा कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जायं ।"

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने यह विधेयक अभी पुरःस्थापित किया है । इसके उद्देश्य और कारण में जो लिखा है वह काफी नहीं है कि परिवाद केवल राज्यपाल द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है । उसमें जो राज्यपाल की आज्ञा हो या निश्चित पत्र व्यवहार हो उसकी प्रतिलिपि मेज पर रख दें । आप ऐसी आज्ञा दें, नहीं तो, माननीय मंत्री इसको पुरःस्थापित न कर सकें ।

श्री अध्यक्ष—माननीय उग्रसेन जी का जो आक्षेप है वह ठीक है । उन्हें अधिकार है कि वह पत्रावली एवं लेख-पत्र जो इस से संबंधित हों मांग सकते हैं और सरकार को सदन के समक्ष, सदस्य के मांगने पर, रखना चाहिये । चूंकि उसकी मांग हुई है इस वजह से वह अवश्य रखे जायेंगे । केवल निवेदन एक था कि इस प्रकार के प्रश्न माननीय खेर साहब के सामने भी उपस्थित किये गये थे । उस समय ऐसा विचार था कि अगर कोई लेख-पत्र किसी आदालत का फैसला है, तो चूंकि वह वीकलीज या ला जर्नल में छप जाता है, इसलिये उसकी सदन में पेश करने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन मैं समझता हूं कि सदन की सुविधा के लिये, ऐसे पत्र चाहे फिर वह हाई कोर्ट के जजमेंट ही क्यों न हों, सदन की मेज पर रख देना चाहिये । अब मैं माननीय उग्रसेन को बता दूं कि यह बात मैंने कल ही देख ली थी और पत्रावली मंगा ली गयी है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

श्री उग्रसेन—रख दी गयी है या रख दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष—मेज पर है । जो माननीय सदस्य देखना चाहें देख सकते हैं । वह सारी पत्रावली मेरे पास है । जो माननीय सदस्य देखना चाहें उनको दिखा दी जायगी । अब माननीय कल्पनाथ सिंह अपना संशोधन उपस्थित करें ।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, अभी एक व्यवस्था का प्रश्न था । अभी जब अधिष्ठाता महोदय पीठासीन थे तो हम लोगों ने यह प्रश्न उठाया था कि जो इसमें अंग्रेजी का भाग छपा है उसका हिन्दी में अनुवाद होना चाहिये । उसमें मैंने यह नहीं कहा कि जो अंग्रेजी का बिल है उसका हिंदी में संशोधन होना चाहिये । मैंने ऐसी बात नहीं कही कि जब वह अंग्रेजी में छपा हुआ है तो उसका संशोधन हिन्दी में हो । इतना जरूर है कि २८१ के हिसाब से हमारे सदन की भाषा हिन्दी है और देवनागरी लिपि है और हमारे सामने जो पत्र या पत्रावली आये वह देवनागरी लिपि में होनी चाहिये । वह भाग हिन्दी में नहीं है । इसलिये हम चाहते हैं कि वह अनुवाद करके सदस्यों को दिया जाय जिससे सुविधा से काम किया जा सके । जब तक उसका अनुवाद सदस्यों के सामने न हो तो काम सुविधा से नहीं चल सकता है ।

श्री अध्यक्ष—मुझे यह भी सूचना मिली है कि ऐसी आपत्ति माननीय अधिष्ठाता के समक्ष रखी गई थी । अभी तक जो हमारे यहां प्रथा प्रचलित थी वह यह थी कि जो अंग्रेजी में अधिनियम हैं उनके संशोधन अंग्रेजी भाषा में ही प्रस्तुत किये जायं । कभी ऐसा नहीं हुआ कि अंग्रेजी में जो अधिनियम बने हैं उनके संशोधन हिन्दी भाषा में रखे जायं और अंग्रेजी में भी रखे जायं । ऐसा कभी नहीं हुआ । मैं यह भी समझता हूं कि इससे हमारे सदन का कोई विशेष लाभ नहीं होगा ।

दूसरी बात यह है कि सदन की भाषा हिन्दी है । तो सदन में आप हिन्दी में ही बोलें और उसकी कार्यवाही भी हिन्दी में हो लेकिन अगर किसी स्थान पर 'ए' के बजाय 'बी' लिखना हो तो वह हिन्दी में नहीं लिखा जा सकता । अंग्रेजी के शब्द के स्थान पर अंग्रेजी के ही शब्द लिखे जायेंगे । जहां तक उस नियम का संबंध है जिसका उल्लेख किया गया है उस नियम का उल्लंघन इस कारण से नहीं होता कि सारा प्रस्ताव आपके सामने हिन्दी में है और उस पर संशोधन यह है कि जो अंग्रेजी में शब्द वहां पर लिखे गये हैं उनके स्थान पर दूसरी अंग्रेजी के शब्द लिखे जायं । अब यह संशोधन नहीं हो सकता कि जो अंग्रेजी के वहां पर शब्द लिखे हैं उनके स्थान पर हिन्दी के शब्द लिखे जायं । वह तो अंग्रेजी में ही लिखे जायेंगे । मैं समझता

[श्री अध्यक्ष--]

हूं कि आपकी आपत्ति उस नियम के अन्तर्गत नहीं आती कि जिस नियम के सहारे पर यह की गई है । चूंकि इस विषय पर अभी एक रूलिंग हो चुकी है इसलिये मैं उचित नहीं समझता कि उस आपत्ति को दोहराया जाय ।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद--श्रीमन्, उस विषय पर उनकी रूलिंग नहीं हुई है । उनकी रूलिंग तो यह थी कि जो अधिनियम अंग्रेजी में हैं उनके संशोधन अंग्रेजी में ही हो सकते हैं । उन्होंने वह दूसरी वाली रूलिंग नहीं दी । आप उस रूलिंग को देख लें । इस रूलिंग के अलावा उन्होंने दूसरी रूलिंग नहीं दी है ....

श्री अध्यक्ष--आपको अधिष्ठाता महोदय की रूलिंग मान्य है ?

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद--अधिष्ठाता महोदय के सामने दूसरी बात थी । उस समय सवाल यह था कि अंग्रेजी के जो बिल हैं उसमें हिन्दी के संशोधन की आवश्यकता है या नहीं, तो उन्होंने रूलिंग यह दी कि अंग्रेजी का जो बिल है उसमें अंग्रेजी में ही संशोधन हो सकता है और हिन्दी भाषा में उसमें संशोधन नहीं हो सकता है । किन्तु मेरा निवेदन यह है कि यह अंग्रेजी में जो छपा हुआ बिल का भाग है उसका हिन्दी में अनुवाद होना चाहिये । मेरा निवेदन केवल इतना है कि जो अंग्रेजी में वह संशोधन लिखा हुआ है उसका अनुवाद हिन्दी में सदस्यों की सुविधा के लिये होना चाहिये । ऐसा न होने से उस पर विचार करने में असुविधा है । इसके साथ ऐसा कोई पत्रक भी नहीं है जिससे कुछ मदद मिल सके और यह अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इससे दिक्कत हो रही है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--अध्यक्ष महोदय, माननीय अधिष्ठाता महोदय ने जो व्यवस्था दी है वह बिलकुल सही है क्योंकि हमारा जो अधिनियम है वह इंग्लिश में है और परम्परा सदन की यह रही है कि जो संशोधन इंग्लिश के अधिनियम में आयेंगे वह इंग्लिश में ही होंगे । यदि हम इसका अनुवाद किसी दूसरी जगह छपा दें तो हिन्दी के अनुवाद में हिन्दी में संशोधन आयेंगे जो कि इस सदन में स्वीकार नहीं किये जा सकते, न उन पर विचार हो सकता है । तो जो अधिष्ठाता महोदय ने व्यवस्था दी है वह बिलकुल सही दी है । माननीय मंत्री जी ने जब इसे पेश किया तो उन्होंने उसका सारांश समझा दिया था कि हमारे संशोधन का मकसद यह है और उद्देश्य और कारण में भी यह साफ-साफ लिखा हुआ है कि किस वजह से यह संशोधन कर रहे हैं । तो सदन के सम्मानित सदस्य इसका सारांश तो समझ ही गए । अब अगर हम हिन्दी में यहां छापेंगे तो हम जो यहां की परम्परा रही है उसके विपरीत जायेंगे । माननीय अधिष्ठाता महोदय की व्यवस्था बिलकुल सही है ।

श्री अध्यक्ष--जो आपत्ति प्रस्तुत की गई है वह अमान्य है । अब बहस आगे जारी रहेगी ।

***श्री कल्पनाथसिंह** (जिला गोरखपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री द्वारा उपस्थित जो एपीडेमिक डिजीजेज (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, १९६२ है उसमें निम्न संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं--

"एपीडेमिक डिजीजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दे, साथ ही उसे यह भी अधिकार दिया जाय कि वह इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र को भी बढ़ा सके ।"

श्रीमन्, यह एक ऐसा संशोधन होने जा रहा है जिसमें मुकदमा चलवाने का अधिकार और कम्प्लैंट करने का अधिकार गजटेड आफिसरों को हो जायगा जबकि यह अधिकार अब तक सरकार को या माननीय राज्यपाल महोदय को ही था । यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सदन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के सभी सम्मानित सदस्यों को गंभीरतापूर्वक विचार करना है । जब एपीडेमिक डिजीजेज फैलते हैं और यह घोषणा हो जाती है तो उस समय अधिकारियों की चांदी हो जाती है और खास तौर पर उन अधिकारियों की जो इस काम के लिये नियुक्त किये जाते हैं । श्रीमन्, यह बात छिपी नहीं है कि वह अधिकारी कभी तेल वाले से कहते हैं कि अगर तुमसे सौदा नहीं पटा तो तुम्हारी खैरियत नहीं है, कभी रास्ता चलने वालों से कहते हैं, कभी नदी में मछली पकड़ने वालों को पकड़ लेते हैं, कभी दूध बेचने वालों को पकड़ लेंगे और कभी मिठाई की दूकान करने वाले को पकड़ लेंगे, उनकी राय में यह सभी लोग उसमें सहायक सिद्ध होते हैं या उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते हैं । तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि रेलगाड़ी पर चलने वाले लोग भी उससे वंचित नहीं रह जाते, मोटर, तांगा, इक्का आदि पर चलने वाले भी उससे वंचित नहीं रह जाते और कभी कभी टीका न लेने का इल्जाम भी लग जाता है । तो वह अधिकार जो उच्च स्तर पर था आज तक, वह इन अधिकारियों को मिल जायगा । अभी तक सरकार अगर उचित समझती थी तो बोर्ड में कान्नीजेंस के लिये मामला भेजती थी, अब अगर गजेटेड अधिकारियों को यह अधिकार मिल जायगा, जिसमें बी० डी० ओ० भी शामिल हैं तो यह सोचा जा सकता है कि इसके दुरुपयोग होने की संभावना है ।

इस सिलसिले में बहुत ही मिसालें हैं और वह सब आये दिन लोगों पर गुजरा करती है । एक मिसाल सेनीटरी इंसपेक्टर्स की है । ज्यादातर ऐसे कामों के लिये वही लोग लगाये जाते हैं । यह स्वाभाविक है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर को इस काम के लिये नियुक्त किया जा सकता है कि वह कम्प्लेन्ट कर दें, लेकिन आखिर वह किसके कहने पर चलेगा ? किसके द्वारा इंक्वायरी करायेगा और कैसे कागजों की छानबीन करेगा । इस बात की पूरी गुंजायश रहेगी कि जो नीचे के उसके कर्मचारी कहेंगे उसके आधार पर वह अपना काम करेगा और उस कर्मचारी से किसी दूसरे आदमी की अनबन हो सकती है । वह अनबन उसकी ड्यूटी के सिलसिले में भी हो सकती है और व्यक्तिगत भी हो सकती है । उस व्यक्तिगत वैमनस्य के कारण यह छोटे कर्मचारी कंप्लेंट करके उस गजटेड अफसर को सेटिस्फाई करके किसी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दाखिल करा कर उससे बदला ले सकते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है श्रीमन्, कि इस पर पूर्णतया विचार करने के लिये उचित अवसर मिलना चाहिये । इसमें जो हवाला दिया गया है और जैसा कि इसके पूर्व मूल अधिनियम में है कि धारा १८८ इंडियन पीनल कोड उस व्यक्ति पर लागू होगी, उस संबंध में कहना चाहता हूं कि वह धारा भी बड़ी कठोर है । इसमें सजायें छोटी मोटी नहीं हुआ करतीं । यह दूसरी बात है कि सजा देने वाला अधिकारी उस जुर्म को कैसा समझता है या किस तरह की बात उसके दिमाग में जाती है, लेकिन जो सजा की परिधि है वह काफी विस्तृत है और सजा के उस विस्तृत क्षेत्र को देखते हुये यह शंका उत्पन्न होती है कि अगर अधिकारियों ने कहीं इस अधिकार का दुरुपयोग किया, जिसकी पूरी संभावना है और जो आये दिन हुआ करता है, तो जनता का हित नहीं होगा । सेनीटरी इंस्पेक्टर्स आये दिन यही किया करते हैं और उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है । आये दिन बाजारों में क्या क्या तमाशा हुआ करता है यह कहने की चीज नहीं है । मैं समझता हूं कि उसे कहना इस सदन में इस सदन का अपमान करना होगा । न कहा जाय वही ज्यादा अच्छा है । इसलिये ऐसे लोगों के हाथों में जो एक गजेटेड अफसर के छोटे अंग मात्र हैं यह अधिकार दे कर यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि जनता का हित हो सकता है । गजेटेड अफसर हर जगह पहुंच नहीं सकता, वह हर मामले की तफसील में नहीं जा सकता और बाकी सारी बातें वैसी ही रहती हैं इसमें जैसी कि इसके पूर्व थीं । बात केवल इतनी बदल रही है कि कम्पलेंट करने का अधिकार सरकार अपने बजाय गजेटेड आफिसर को देना चाहती है । तो इस तरह जो शाब्दिक परिवर्तन हो रहा है उसमें एक ऐसी भावना निहित है जिससे यह डर लगने लगा है कि पावर का दुरुपयोग होगा । मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव को जिसे प्रवर समिति में भेजने का सुझाव है पेश करता हूं ।

कारागार मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये तथा माननीय

[श्री धर्मदत्त वैद्य--]

कल्पनार्थसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज प्रातःकाल से ही जब से इस सदन की कार्यवाही चल रही है प्रवर समिति का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया है और प्रत्येक बिल को उधर के बैठने वाले सदस्य प्रवर समिति में ले जाना चाहते हैं, चाहे वह महत्व का हो या न हो । इस संशोधन बिल से क्या कठिनाइयां माननीय सदस्य के विचार से पैदा होंगी । उनको गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करना चाहिये । जिस समय संक्रामक रोग फैलते हैं उस समय जिले के अधिकारी यदि तत्काल कार्यवाही नहीं करते तो वह रोग और फैल जाता है । आज भी जिला स्तर पर जो अधिकारी हैं वे उसकी रोकथाम के लिये प्रयास करते हैं । किन्तु कुछ वैधानिक संकटों के कारण इस संशोधन को लाना पड़ा है । इस संशोधन द्वारा उनको एक अधिकार नियम के अनुसार दिया जा रहा है कि वे ऐसे अवसर पर तत्काल कार्यवाही करें । अगर किसी जिलें में या किसी शहर में कालरा जैसी बीमारी फैली है तो उसके लिये, इस विधेयक के पास होने पर, उनको गवर्नर से या सरकारसे कोई आज्ञा मांगनी नहीं पड़ेगी, बल्कि वे स्वयं तुरन्त कार्यवाही कर सकेंगे । अगर वे गवर्नर से आज्ञा प्राप्त करें, तो उसमें जितना समय लगेगा इसको उधर के बैठने वाले सदस्य भी ठीक नहीं समझेंगे क्योंकि जब इस प्रकार के संक्रामक रोग फैलते हैं उस समय उनकी रोकथाम के लिये तुरन्त कार्यवाही करनी होती है । इस संशोधन द्वारा उनको यह अधिकार हो जाता है कि वे शीघ्र कार्यवाही करें । तो क्या आवश्यकता है इसको प्रवर समिति में भेजने की ? इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य से कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें जिससे यह सदन इस विधेयक को शीघ्र पारित कर सके ।

श्री कल्पनार्थसिंह--अध्यक्ष महोदय, अगर इतना विश्वास दिलाया जाता है और यह कहा जाता है कि बार-बार प्रवर समिति में भेजने की बात कही जाती है और इतनी देर तक प्रवर समिति में भेजने की बात मैंने कही है, तो मैं इसको वापस लेता हूं ताकि बात खत्म हो ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि एपीडेमिक डिजीज़ेज (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, २, प्रस्तावना तथा शीर्षक

एपीडेमिक डिजीज़ेज (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, १९६२

एपीडेमिक डिजीज़ेज ऐक्ट, १८९७ को संशोधित करने का विधेयक

ऐक्ट संख्या ३ १८९७

कुछ प्रयोजनों के लिये एपीडेमिक डिजीज़ेज ऐक्ट, १८९७ को (उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में) संशोधित करना आवश्यक है :

अतएव भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार

१--(१) यह अधिनियम एपीडेमिक डिजीज़ेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रासार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

ऐक्ट संख्या ३, १८९७ की धारा ३ का संशोधन

२—एपीडेमिक डिजीजेज ऐक्ट, १८९७ की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

Act No.XLV of 1960

"3—(1) Any person disobeying any regulation or order, made under this Act, shall be deemed to have committed an offence punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

(2) No Court shall take cognizance of any offence punishable by virtue of sub-section (1), except on a complaint in wirting made by a Gazetted Officer authorized in that behalf by the State Government by notification in the *Gazette*, anything to the contray contained in section 195 of the Code of Criminal Procedure, 1898 notwithstanding."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, २, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्मसिंह—मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि एपीडेमीक डिजीजेज (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, १९६२ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि एपीडेमीक डिजीजेज (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, १९६२ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मुझे एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना है। जो बिल अभी पास हुआ है टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) विधेयक, १९६२, इसके अगर उद्देश्य और कारण में देखा जाय। तो इसमें बहुत साफ तरीके से यह लिखा हुआ है कि इसमें एक परसेन्ट से दो परसेन्ट सरचार्ज बढ़ाने की बात है.....

श्री अध्यक्ष—वह तो पारित हो चुका है। पारित हो जाने के बाद इस पर कोई विचार-विनिमय नहीं होगा।

अब आज का कार्य समाप्त हुआ, कल ११ बजे बैठक फिर होगी।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
४ अप्रैल, १९६२।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—३८ एल० ए०—१९६२—८४५।